

सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2018-19



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2018–19

छत्तीसगढ़ शासन

विषय—सूची

		पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		1
विनियोग लेखे का सार		2–17
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र		19–21
विनियोग लेखे		
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	
	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा (<i>भारित</i> विनियोग)	23–25
	लोक ऋण (<i>भारित</i> विनियोग)	26–27
01	सामान्य प्रशासन	28–32
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	33–34
03	पुलिस	35–39
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	40–42
05	जेल	43–44
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	45–47
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	48–50
08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	51–54
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	55–56
10	वन	57–65
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	66–69
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	70–73
13	कृषि	74–82
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	83–87
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	88–90
16	मछली पालन	91–92
17	सहकारिता	93–95

		पृष्ठ संख्या
18	श्रम	96–98
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	99–106
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	107–113
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	114–117
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय	118
23	जल संसाधन विभाग	119–126
24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	127–132
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	133–134
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	135–137
27	स्कूल शिक्षा	138–145
28	राज्य विधान मंडल	146–147
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	148–152
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	153–158
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	159
32	जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	160–162
33	आदिम जाति कल्याण	163–165
34	समाज कल्याण	166–168
35	पुनर्वास	169
36	परिवहन	170–172
37	पर्यटन	173
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	174–175
40	आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय	176–177
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	178–223
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	224–226
43	खेल और युवा कल्याण	227–228
44	उच्च शिक्षा	229–232

45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	233-236
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	237-238
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	239-243
49	अनुसूचित जाति कल्याण	244
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	245
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	246-247
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	248-249
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	250-251
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	252-259
56	ग्रामोद्योग	260-262
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	263-268
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	269
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	270-301
65	विमानन विभाग	302-303
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	304-306
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	307-319
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	320-324
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	325-326
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	327-330
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	331-334
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	335-336
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	337-342
80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	343-348
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	349-355
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	356-359
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	360-361

परिशिष्ट

	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-I अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	365-367
परिशिष्ट-II 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्षान्त तक निधि को प्रतिपूरित नहीं किया गया।	368

प्रस्तावना

वर्ष 2018-19 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में-

- मूल मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
 पूरक पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
 पुनर्वि. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।
 प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

बचत

- (1) कुल प्रावधान का 2 % से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी (मुल एवं अनुपूरक)।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उप शीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

आधिक्य

सभी अधिक व्ययों का विधानसभा से नियमितिकरण की आवश्यकता होगी।

- (1) सभी प्रकरणों में जहां अनुदानों में पूर्ण आधिक्य है कुछ राशि प्रावधान पर आधिक्य व्यय का नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों हेतु ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों हेतु ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उप शीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा (प्रभारित विनियोग)		
प्रभारित	4,30,45,570	00
लोक ऋण (प्रभारित विनियोग)		
प्रभारित	00	2,06,33,679
01 सामान्य प्रशासन		
दत्तमत	23,17,680	11,58,030
प्रभारित	3,29,910	00
02 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	2,93,180	00
03 पुलिस		
दत्तमत	4,31,74,409	7,67,520
प्रभारित	9,600	00
04 गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	5,60,607	52,420
05 जेल		
दत्तमत	17,55,223	00
प्रभारित	10	00
06 वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	6,71,81,081	1,000
प्रभारित	5,041	00
07 वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	26,46,748	8,400
प्रभारित	6,00,635	00
08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन		
दत्तमत	1,04,48,012	34,04,350
प्रभारित	1,526	00
09 राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,03,550	5,000
प्रभारित	10	00
10 वन		
दत्तमत	1,06,91,319,	2,93,151,
प्रभारित	2,84,915	00

का सार

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
3,72,89,974	00	57,55,596	00	00	00
00	1,14,58,913	00	91,74,766	00	00
18,92,329	8,94,983	4,25,351	2,63,047	00	00
2,35,030	00	94,880	00	00	00
1,70,531	00	1,22,649	00	00	00
3,70,05,481	1,39,304	61,68,928	6,28,216	00	00
6,908	00	2,692	00	00	00
3,09,464	52,398	2,51,143	22	00	00
13,56,856	00	3,98,367	00	00	00
00	00	10	00	00	00
5,77,58,128	2,448	94,22,953	00	00	1,448
5,253	00	00	00	212	00
				(2,11,953)	
16,51,471	1,180	9,95,277	7,220	00	00
00	00	6,00,635	00	00	00
65,48,246	8,73,811	38,99,766	25,30,539	00	00
217	00	1,309	00	00	00
77,532	00	1,26,018	5,000	00	00
00	00	10	00	00	00
75,45,855	76,255	31,45,464	2,16,896	00	00
2,12,972	00	71,943	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	27,78,891	6,91,633
प्रभारित	25	500
12 उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,08,06,916	42,00,660
प्रभारित	22,90,000	00
13 कृषि		
दत्तमत	5,62,88,905	80,800
प्रभारित	1,300	00
14 पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	50,17,047	3,19,442
प्रभारित	20	00
15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	60,70,380	7,90,000
16 मछली पालन		
दत्तमत	6,26,125	64,500
प्रभारित	20	00
17 सहकारिता		
दत्तमत	1,66,98,779	12,85,002
प्रभारित	15	00
18 श्रम		
दत्तमत	19,44,377	10,000
प्रभारित	20	00
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
दत्तमत	2,19,73,248	6,84,604
प्रभारित	1,550	00
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
दत्तमत	39,43,258	28,43,406
प्रभारित	6,258	00
21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	15,64,420	69,55,363
22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय		
दत्तमत	2,94,570	00
प्रभारित	5	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
18,41,488	1,95,456	9,37,403	4,96,177	00	00
00	00	25	500	00	00
1,00,29,659	38,95,950	1,07,77,257	3,04,710	00	00
22,30,031	00	59,969	00	00	00
5,07,57,556	15,922	55,31,349	64,878	00	00
47	00	1,253,	00	00	00
34,34,471	1,90,575	15,82,576	1,28,867	00	00
569	00	00	00	549	00
				(5,48,650)	
21,18,824	7,60,000	39,51,556	30,000	00	00
4,99,772	5,000	1,26,353	59,500	00	00
00	00	20	00	00	00
1,59,09,844	11,70,200	7,88,935	1,14,802	00	00
00	00	15	00	00	00
11,72,720	00	7,71,657	10,000	00	00
60	00	20	00	00	00
1,70,61,981	3,29,834	49,11,267	3,54,770	00	00
433	00	1,117	00	00	00
25,92,689	16,33,816	13,50,569	12,09,590	00	00
1,145	00	5,113	00	00	00
6,31,822	19,72,671	9,32,598	49,82,692	00	00
2,40,474	00	54,096	00	00	00
00	00	5	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
23 जल संसाधन विभाग		
दत्तमत	58,88,786	48,81,549
प्रभारित	110	2,600
24 लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	1,59,77,667	1,65,67,900
प्रभारित	00	1,83,130
25 खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	34,25,584	41,56,895
प्रभारित	500	00
26 संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	6,13,281	15,000
27 स्कूल शिक्षा		
दत्तमत	3,91,20,128	15,83,340
प्रभारित	300	00
28 राज्य विधान मण्डल		
दत्तमत	6,19,020	00
प्रभारित	8,200	00
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन		
दत्तमत	53,71,526	1,41,500
प्रभारित	6,81,920	21,400
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,86,18,299	70,08,880
प्रभारित	1,852	00
31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,92,980	00
प्रभारित	40	00
32 जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	28,54,250	500
प्रभारित	10	00
33 आदिम जाति कल्याण		
दत्तमत	3,13,42,300	5,800
प्रभारित	1,000	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
48,38,017	34,18,047	10,50,769	14,63,502	00	00
00	1,011	110	1,589	00	00
79,48,037	1,18,11,863	80,29,630	47,56,037	00	00
00	1,82,475	00	655	00	00
15,40,995	8,65,720	18,84,589	32,91,175	00	00
318	00	182	00	00	00
3,77,131	00	2,36,150	15,000	00	00
3,24,83,742	8,27,941	66,36,386	7,55,399	00	00
298	00	2	00	00	00
3,90,482	00	2,28,538	00	00	00
2,991	00	5,209	00	00	00
43,30,593	1,08,476	10,40,933	33,024	00	00
5,42,024	17,295	1,39,896	4,105	00	00
2,26,88,774	59,94,202	1,59,29,525	10,14,678	00	00
1,452	00	400	00	00	00
2,71,422	00	1,21,558	00	00	00
00	00	40	00	00	00
22,84,903	00	5,69,347	500	00	00
00	00	10	00	00	00
2,95,48,861	265	17,93,439	5,535	00	00
2,000	00	00	00	1,000	00
					(10,00,000)

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
34 समाज कल्याण		
दत्तमत	10,40,251	1,000
प्रभारित	40	00
35 पुनर्वास		
दत्तमत	22,960	00
36 परिवहन		
दत्तमत	7,64,386	3,22,100
प्रभारित	2,010	00
37 पर्यटन		
दत्तमत	2,73,000	3,17,000
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,27,36,935	73,451
प्रभारित	50	00
40 आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	47,066	26,10,000
41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना		
दत्तमत	16,97,68,931	3,26,57,629
प्रभारित	10	1,500
42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	00	1,08,21,900
प्रभारित	00	84,200
43 खेल और युवा कल्याण		
दत्तमत	6,78,447	17,500
प्रभारित	30	00
44 उच्च शिक्षा		
दत्तमत	66,41,660	1,23,400
प्रभारित	70	00
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
दत्तमत	9,87,243	39,57,976
46 विज्ञान और टेक्नालॉजी		
दत्तमत	1,78,500	40,000

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
6,39,287	117	4,00,964	883	00	00
00	00	40	00	00	00
14,798	00	8,162	00	00	00
3,84,958	30,932	3,79,428	2,91,168	00	00
665	00	1,345	00	00	00
57,000	1,37,683	2,16,000	1,79,317	00	00
1,94,51,633	5,047	32,85,302	68,404	00	00
32	00	18	00	00	00
24,338	1,13,762	22,728	24,96,238	00	00
13,06,89,497	1,99,81,271	3,90,79,434	1,26,76,358	00	00
00	1,000	10	500	00	00
00	81,66,302	00	26,55,598	00	00
00	78,933	00	5,267	00	00
1,27,250	13,907	5,51,197	3,593	00	00
00	00	30	00	00	00
56,02,796	572	10,38,864	1,22,828	00	00
00	00	70	00	00	00
6,88,011	26,87,587	2,99,232	12,70,389	00	00
56,300	21,254	1,22,200	18,746	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग		
दत्तमत	37,19,465	3,10,226
प्रभारित	10	00
49 अनुसूचित जाति कल्याण		
दत्तमत	68,710	00
50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	16,660	00
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व		
दत्तमत	1,12,450	32,000
53 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	2,04,500	3,37,050
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	13,10,000	3,16,600
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	1,03,49,582	2,90,700
प्रभारित	10	00
56 ग्रामोद्योग		
दत्तमत	10,57,902	13,000
प्रभारित	10	00
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय		
दत्तमत	60,86,401	2,000
60 जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	7,500	5,20,000
64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
दत्तमत	5,51,42,350	1,56,67,984
प्रभारित	10	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

22,67,855	43,462	14,51,610	2,66,764	00	00
00	00	10	00	00	00
39,039	00	29,671	00	00	00
27,079	00	00	00	10,419 (1,04,18,996)	00
45,628	16,568	66,822	15,432	00	00
1,54,236	3,37,050	50,264	00	00	00
9,52,500	1,06,400	3,57,500	2,10,200	00	00
53,54,497	76,354	49,95,085	2,14,346	00	00
00	00	10	00	00	00
8,10,490	2,934	2,47,412	10,066	00	00
00	00	10	00	00	00
45,57,410	00	15,28,991	2,000	00	00
2,731	5,09,679	4,769	10,321	00	00
4,24,24,791	88,25,378	1,27,17,559	68,42,606	00	00
00	00	10	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
65 विमानन विभाग		
दत्तमत	3,90,592	2,00,500
प्रभारित	10	00
66 पिछड़ा वर्ग कल्याण		
दत्तमत	25,62,876	2,44,300
67 लोक निर्माण कार्य—भवन		
दत्तमत	66,13,860	67,58,351
प्रभारित	4,600	00
68 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन		
दत्तमत	00	18,30,330
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण		
दत्तमत	1,06,07,608	00
71 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव-प्रौद्योगिकी		
दत्तमत	14,10,784	56,34,000
75 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	70,00,000
76 लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	77,56,001
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	61,82,856	18,92,045
प्रभारित	420	00
80 त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	4,20,04,773	18,05,000
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	2,27,70,530	61,06,100
प्रभारित	7,13,450	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
3,07,858	00	82,734	2,00,500	00	00
00	00	10	00	00	00
15,45,122	37,222	10,17,754	2,07,078	00	00
56,29,498	31,46,562	9,84,362	36,11,789	00	00
7,744	00	00	00	3,144	00
				(31,44,252)	
00	8,80,854	00	9,49,476	00	00
74,93,010	00	31,14,598	00	00	00
5,01,493	10,40,000	9,09,291	45,94,000	00	00
00	45,99,139	00	24,00,861	00	00
00	46,03,409	00	31,52,592	00	00
43,51,541	9,19,211	18,31,315	9,72,834	00	00
00	00	420	00	00	00
2,32,50,513	17,75,988	1,87,54,260	29,012	00	00
1,36,50,515	18,50,000	91,20,015	42,56,100	00	00
4,90,151	00	2,23,299	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
82 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दत्तमत	1,91,36,511	19,75,000
83 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत	4,49,460	3,30,000
योग दत्तमत :	81,48,47,296	16,79,39,788
योग प्रभारित :	4,79,91,092	2,09,27,009
महायोग :	86,28,38,388	18,88,66,797

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
83,40,882	19,00,322	1,07,95,629	74,678	00	00
4,16,425	3,30,000	33,035	00	00	00
60,71,69,131	9,73,95,283	20,76,88,584	7,05,45,953	10,419	1,448
4,10,30,254	1,17,39,627	69,65,743	91,87,382	4,905	00
64,81,99,385	10,91,34,910	21,46,54,327	7,97,33,335	15,324	1,448

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :-

अनुदान संख्या और नाम—

दत्तमत—अनुदान		अनुभाग
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	पूंजीगत
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व
प्रभारित—विनियोग		
06	वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व
14	पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व
33	अदिम जाति कल्याण	राजस्व
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व

वर्ष 2018-19 के दौरान विनियोग लेखे के सार में दर्शाये गये व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों से किये गये ₹ 49,233 हजार का व्यय जो वर्षान्त तक निधि को प्रतिपूरित नहीं किया गया सम्मिलित नहीं है, जिसे परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	60,71,69,131	4,10,30,254	9,73,95,283	1,17,39,627
घटाइये—वसूलियों का जोड़	40,87,158	494	62,34,673	00
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11— में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	60,30,81,973	4,10,29,760	9,11,60,610	1,17,39,627

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुआ :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

राजस्व:- अनुदान संख्या-50

पूँजीगत:-अनुदान संख्या-06

(ख) प्रभारित विनियोग :-

राजस्व :- अनुदान संख्या-14, 33 एवं 67

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुई:-

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्व :-अनुदान संख्या- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 81 एवं 82.

(ii) पूँजीगत :-अनुदान संख्या -01, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67,68, 71, 75, 76, 79 एवं 81.

(ख) प्रभारित विनियोग :-

(i) राजस्व :-अनुदान संख्या-ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा-01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 25,28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 47, 55, 56, 64, 65, 79 एवं 81.

(ii) पूँजीगत:-अनुदान संख्या- लोक ऋण, 11, 23, 29, एवं 41.

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹5.00 लाख निर्धारित किये गए हैं ।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाऊचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतन्त्र संस्थायें हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सम्बंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।


इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल है।

मामलों का ध्यानाकर्षण—

मैं निम्नलिखित पर ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा :

1. वित्तीय वर्ष 2018—19 के दौरान दो अनुदानों और चार विनियोगों के अंतर्गत राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशि के अतिरिक्त ₹ 1.67 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया। वर्ष 2000—01 से 2017—18 तक अधिक संवितरण किए गए ₹ 3,260.16 करोड़ को राज्य विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद— 204 (3) का उल्लंघन है, जिसमें यह विनिर्दिष्ट है कि राज्य के समेकित निधि से राज्य विधान सभा द्वारा विनियोग के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अतिरिक्त कोई भी राशि आहरित नहीं की जायेगी। यह बजटीय प्रणाली तथा वित्तीय नियंत्रण को प्रभावित करती है एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितता को प्रोत्साहित करती है।

उपरोक्त मामले पर लेखा परीक्षा अभियुक्तियों का विस्तृत विवरण 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" में दिया गया है।


(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक : 22 जुलाई 2020

स्थान : नई दिल्ली

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2049-ब्याज अदायगियां			
राजस्व:			
मूल	3,96,74,470		
पूरक	33,71,100	4,30,45,570	3,72,89,974
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)57,55,596 57,55,596

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 33,711.00 लाख अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2048-101-4856-संचित शोधन निधि के लिए अंतरण-			
मूल	22,000.00		
पुनर्वि.	(-)12,000.00	10,000.00	10,000.00
समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 12,000.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			0.00
(2) 2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण-			
मूल	25,000.00		
पुनर्वि.	(-)25,000.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,489.57 लाख की कमी नवीन बाजार ऋण के लिए पृथक शीर्ष में प्रावधान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 14,510.43 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 25,000.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2005-06 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			0.00
(3) 2049-01-101-7758-उदय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान-			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,569.18	7,430.82	7,430.82
			0.00
(4) 2049-01-123-4854-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज-			
मूल	60,000.00		
पुनर्वि.	(-)9,684.79	50,315.21	50,315.21
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा विनियोग से क्रमशः ₹ 2,569.18 लाख तथा ₹ 9,684.79 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज-			
मूल 500.00			
पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
(6) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैंस बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज-			
मूल 1,080.00			
पुनर्वि. (-)1,080.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,080.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2005-06 से 2017-18 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गये ऋणों पर ब्याज-			
मूल 24,000.00			
पुनर्वि. (-)6,398.24	17,601.76	17,601.76	0.00
(8) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज-			
मूल 5,743.97			
पुनर्वि. (-)4,002.83	1,741.14	1,741.14	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा विनियोग से क्रमशः ₹ 6,398.24 लाख एवं ₹ 4,002.83 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(9) 2049-04-101-6721-बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित ऋणों पर ब्याज-			
मूल 7,468.97			
पुनर्वि. (-)3,186.54	4,282.43	4,282.43	0.00
(10) 2049-60-701-4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)-			
मूल 2,500.00			
पुनर्वि. (-)716.58	1,783.42	1,783.42	0.00
(11) 2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)-			
मूल 7,000.00			
पुनर्वि. (-)2,604.08	4,395.92	4,395.92	0.00
(12) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज-			
मूल 600.00			
पुनर्वि. (-)211.61	388.39	388.39	0.00

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा विनियोग से क्रमशः ₹ 3,186.54 लाख, ₹ 716.58 लाख, ₹ 2,604.08 लाख एवं ₹ 211.61 लाख के कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (11) एवं 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-305-2624-पुराने ऋणों का प्रबंध-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	274.50	574.50	0.00
(2) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज-			
मूल	36,779.88		
पुनर्वि.	10,085.75	46,865.63	0.00
(3) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	9,578.15		
पुनर्वि.	92.82	9,670.97	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में क्रमशः ₹ 274.50 लाख, ₹ 10,085.75 एवं ₹ 92.82 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

लोक ऋण
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूँजीगत	2,06,33,679	1,14,58,913	(-)91,74,766
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			91,74,766

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

(i) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003-103-8140-भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2007-08 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 6003-105-3731-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कर्ज-			
मूल	51,693.17		
पुनर्वि.	(-)792.94	50,900.23	50,900.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 792.94 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(3) 6003-110-637-उपाय तथा साधन अग्रिम-			
मूल	66,000.00		
पुनर्वि.	(-)66,000.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,122.75 लाख की कमी सम्भावित व्यय के तहत उपयोग किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 62,877.25 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 66,000.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2007-08 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम-			
मूल	26,451.00		
पुनर्वि.	(-)26,451.00	0.00	0.00

₹ 26,451.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

लोक ऋण—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 6003-111-5670-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां— मूल 45,500.00 पुनर्वि. (-)1,125.85	44,374.15	44,374.15	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,125.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
6004-02-101-3052-ब्लॉक कर्जे— मूल 6,759.71 पुनर्वि. 3,122.75	9,882.46	9,882.46	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,122.75 लाख का आवर्धन मूल प्रावधान पर्याप्त नहीं होने से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ हजार में)			
मुख्य शीर्ष—			
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013—मंत्री परिषद			
2015—निर्वाचन			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2055—पुलिस			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2062—अनवेषन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
राजस्व			
दत्तमत—			
मूल	20,91,780		
पूरक	2,25,900	23,17,680	18,92,329
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)4,25,351 4,10,740
प्रभारित			
मूल	3,27,810		
पूरक	2,100	3,29,910	2,35,030
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)94,880 94,863
पूंजीगत	11,58,030	8,94,983	(-)2,63,047
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			6,142
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 (₹ 1,529.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 730.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,259.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 4,253.51 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 4,107.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 01—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013-101-3282—मंत्रियों का वेतन— मूल 134.30 पुनर्वि. (-)69.78	64.52	67.52	+3.00
(2) 2013-102-3282—मंत्रियों का वेतन— मूल 288.00 पुनर्वि. (-)113.73	174.27	171.20	(-)3.07
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 69.78 लाख एवं ₹ 113.73 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 2013-105-9064—मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान— मूल 3,570.00 पूरक 700.00 पुनर्वि. (-)718.37	3,551.64	3,551.64	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 718.37 लाख की कमी वैवेकिक अनुदान की स्वीकृति मंत्रियों के अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2013-108-3283—मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)69.66	130.34	126.28	(-)4.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.66 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(5) 2013-800-3282—मंत्रियों का वेतन— मूल 262.00 पुनर्वि. (-)129.70	132.30	111.07	(-)21.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 129.70 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(6) 2015-101-6262—राज्य निर्वाचन आयोग— मूल 902.40 पूरक 1,060.00 पुनर्वि. (-)271.72	1,690.68	1,681.57	(-)9.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 271.72 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने, अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, देयकों के कम प्राप्त होने, जिलों में संयुक्त भवन होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, निर्विरोध निर्वाचन होने एवं निर्वाचन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2052-090-4327—सचिवालय— मूल 6,441.30 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)407.14	6,034.16	6,041.14	+6.98
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 240.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण द्वारा ₹ 647.14 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 407.14 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2052-090-5053-राज्य स्थापना दिवस- समारोह हेतु	350.00	258.13	(-)91.87
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(9) 2052-091-458-आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय-			
मूल	1,091.00		
पूरक	45.00		
पुनर्वि.	(-)124.00	1,012.00	966.19
			(-)45.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 124.00 लाख की कमी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा में मंहगाई भत्ते एवं मकान किराया भत्ते लागू नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, फर्नीचर क्रय नहीं किए जाने, मरम्मत कार्य की आवश्यकता नहीं होने, वाहनों में सी.एन.जी. स्थापित किए जाने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2055-101-4544-सी.आई.डी. (इकोनामिक अफेन्सेस)-			
मूल	940.20		
पुनर्वि.	(-)336.96	603.24	603.12
			(-)0.12
(11) 2055-101-5461-एन्टी करप्शन ब्यूरो-			
मूल	889.30		
पुनर्वि.	(-)274.12	615.18	622.91
			+7.73
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 336.96 लाख एवं ₹ 274.12 लाख की कमी के साथ क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2070-003-5435-प्रशासन अकादमी-			
मूल	726.40		
पुनर्वि.	(-)257.16	469.24	470.48
			+1.24
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2251-090-4329-सचिवालय-			
मूल	1,876.90		
पुनर्वि.	(-)511.57	1,365.33	1,361.71
			(-)3.62
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण द्वारा ₹ 521.57 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 511.57 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2251-091-7271-छत्तीसगढ़ लोक प्रशासन फोरम का गठन-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 3451—090—4327—सचिवालय—			
मूल	1,876.00		
पुनर्वि.	(-)406.01	1,469.99	1,470.51
			+0.52

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 110.00 लाख की कमी तथा समर्पण द्वारा ₹ 296.01 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 406.01 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011—12 से 2017—18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 21.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 948.80 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 948.63 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2012—03—090—4330—सचिवालय—			
मूल	539.40		
पुनर्वि.	(-)92.50	446.90	446.19
			(-)0.71

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 92.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, दौरे नहीं किए जाने, डाक व्यय में कमी किए जाने, फर्नीचर तथा उपकरणों का क्रय नहीं किए जाने, निधि की मांग नहीं किए जाने, विधिक सहायता नहीं लिए जाने एवं माननीय राज्यपाल द्वारा फेस बुक का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2012—03—101—3708—राज्यपाल की
परिलब्धियां और भत्ते—

मूल	35.00			
पुनर्वि.	(-)29.00	6.00	6.00	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 29.00 लाख की कमी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार होने से उनके वेतन का आहरण छत्तीसगढ़ से नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 2012—03—102—9060—वैकेकिक अनुदान—

मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)24.43	75.57	75.57	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 24.43 लाख की कमी हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2012—03—103—9059—घरेलू कर्मचारी—

मूल	431.20			
पूरक	21.00			
पुनर्वि.	(-)85.86	366.34	366.83	+0.49

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 85.86 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, राजभवन में एल.ई.डी. बल्ब का उपयोग किए जाने से विद्युत प्रभार में कमी होने एवं नियमित राज्यपाल की अनुपस्थिति से व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2012-03-108-3609-अन्य व्यय-			
मूल	15.00		
पुनर्वि.	(-)13.83	1.17	+0.43

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 13.83 लाख की कमी नियमित राज्यपाल की अनुपस्थिति से व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2012-03-800-3609-अन्य व्यय-			
मूल	60.60		
पुनर्वि.	(-)12.60	4.00	(-)0.87

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 12.60 लाख की कमी कार्यालय आवास के रख रखाव में व्यय की कमी के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग-			
मूल	2,110.00		
पुनर्वि.	(-)668.24	1,441.76	+0.91

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 668.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत :
दत्तमत-

(vii) ₹ 2,630.47 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 61.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबन्धन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5435-प्रशासन अकादमी	914.20	143.14	(-)771.06

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7862-मुख्यमंत्री घोषणाओं की पूर्तियां	10,000.00	8,202.00	(-)1,798.00
---	-----------	----------	-------------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं			

राजस्व:

मूल	2,83,680			
पूरक	9,500	2,93,180	1,70,531	(-)1,22,649
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				77,610

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 95.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,226.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 776.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-092-6705—राज्य सूचना आयोग -			
मूल	473.10		
पुनर्वि.	(-)112.19	360.91	360.82
			(-)0.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 112.19 लाख की कमी नियमित कर्मचारियों की कमी एवं अधिकांश कर्मचारी संविदा तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2053-800-4062—विशिष्ट गणमान्य
व्यक्तियों का भ्रमण—

मूल	66.00			
पूरक	95.00	161.00	84.36	(-)76.64

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(3) 2070-800-4678—स्वागत तथा सामपत्तिक
पदाधिकारी का कार्यालय—

मूल	193.00			
पुनर्वि.	(-)31.28	161.72	134.74	(-)26.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 31.28 लाख की कमी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू नहीं किए जाने, निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं जिलाधीशों को पुनः आबंटन के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02 समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2070-800-5079-विशेष जांच आयोग-			
मूल 98.60			
पुनर्वि. (-)67.86	30.74	51.57	+20.83
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.86 लाख की कमी निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(5) 2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान-			
मूल 360.00			
पुनर्वि. (-)254.46	105.54	1.40	(-)104.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 254.46 लाख की कमी निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2006-07 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2235-60-800-1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता	400.00	244.54	(-)155.46
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2235-60-800-7297-लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि-			
मूल 1,000.00			
पुनर्वि. (-)307.35	692.65	593.48	(-)99.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 307.35 लाख की कमी निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03—पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज अदायगियां			
2055—पुलिस			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,23,32,347		
पूरक	8,42,062	4,31,74,409	3,70,05,481
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)61,68,928 58,27,767
प्रभारित—			
मूल	6,600		
पूरक	3,000	9,600	6,908
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)2,692 2,692
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	7,67,520		
पूरक	सांकेतिक	7,67,520	1,39,304
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)6,28,216 6,27,617

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 8,420.62 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि जनवरी 2019 में सांकेतिक प्रावधान किया गया।

(ii) ₹ 61,689.28 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 58,277.67 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-200-2629-पुलिस—			
मूल	3,400.00		
पुनर्वि.	(-)1,040.00	2,360.00	2,360.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,040.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(2) 2055-001-3680-राज्य मुख्यालय—			
मूल	9,394.70		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,477.44	7,917.26	8,070.27
समर्पण द्वारा ₹ 1,140.44 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 337.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,477.44 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+153.01

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2055-001-7811-डायल 100 / 112-			
मूल	6,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,908.00	3,592.00	3,592.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,908.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं-			
मूल	5,287.40		
पुनर्वि.	(-)1,238.39	4,049.01	4,013.47
			(-)35.54
समर्पण द्वारा ₹ 942.41 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 295.98 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,238.39 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2055-101-279-अभियोजन संचालनालय-			
मूल	2,982.51		
पुनर्वि.	(-)1,103.12	1,879.39	1,876.32
			(-)3.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,103.12 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने, शासन से चौकीदार के पद की पूर्ति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2055-101-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7633-क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)1,007.52	192.48	192.48
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,007.52 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2055-101-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7933-महिलाओं एवं बच्चों के बचाव के लिए फोरेंसिक लैब एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना-			
पूरक	230.00		
पुनर्वि.	(-)230.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 230.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(8) 2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)-			
मूल	1,20,534.70		
पुनर्वि.	(-)5,041.37	1,15,493.33	1,14,089.60
			(-)1,403.73
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,013.37 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 5,041.37 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य ₹ 228.00 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2055-104-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7936—विशेष अधोसंरचना योजना— सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के साथ— पूरक 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(10) 2055-108-5067—विधि चिकित्सा विज्ञान— मूल 1,348.36 पुनर्वि. (-)606.74	741.62	724.09	(-)17.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 606.74 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2055-109-4491—सामान्य व्यय— (जिला स्थापना)— मूल 2,04,636.90 पूरक 2,500.00 पुनर्वि. (-)25,619.75	1,81,517.15	1,79,708.19	(-)1,808.96
समर्पण द्वारा ₹ 21,981.75 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 362.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान तथा यू.बी.जी.एल. ग्रेनेड के आयात पर हुए व्यय के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 25,619.75 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,000.00 लाख की अन्य कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2055-109-6717—प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय— मूल 14,331.50 पूरक 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,251.41	14,080.09	14,082.89	+2.80
समर्पण द्वारा ₹ 5,251.41 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,000.00 लाख की वृद्धि विधान सभा निर्वाचन 2018 में अर्द्ध सैनिक बल की तैनाती में हुए व्यय एवं छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल की 7वीं बटालियन की स्थापना एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख की अन्य कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,251.41 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख की अन्य कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2055-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7660—महिला अपराध अनुसंधान इकाई— मूल 247.00 पुनर्वि. (-)247.00	0.00	0.00	0.00
₹ 247.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2055-111-2531—पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेलवे पुलिस—पूर्वी विभाग)— मूल 3,503.65 पुनर्वि. (-)589.73	2,913.92	2,892.26	(-)21.66
समर्पण द्वारा ₹ 597.73 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 589.73 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2055-114-4155-वेतार केन्द्र रायपुर— मूल 4,736.25 पुनर्वि. (-)1,098.06	3,638.19	3,598.38	(-)39.81
समर्पण द्वारा ₹ 1,118.06 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,098.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)566.66	1,933.34	1,933.34	0.00
(17) 2055-115-0600-विशेष केन्द्रीय सहायता— 7918-नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता— मूल 23,000.00 पूरक 3,664.00 पुनर्वि. (-)10,664.00	16,000.00	16,000.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 566.66 लाख एवं ₹ 10,664.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007-08 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(18) 2070-107-2710-प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय— मूल 2,792.06 पुनर्वि. (-)1,191.04	1,601.02	1,581.63	(-)19.39
--	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,191.04 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने, दावों के प्राप्त नहीं होने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, रेल्वे वारंट देयक प्राप्त नहीं होने एवं शासन से प्रशिक्षण कोटा प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2007-08 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(19) 2070-107-492-आव्हान पर होने वाला व्यय— मूल 14,581.50 पुनर्वि. (-)1,556.25	13,025.25	12,986.83	(-)38.42
---	-----------	-----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,556.25 लाख की कमी होमगार्ड के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, रेल्वे वारंट देयक प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं शासन से प्रशिक्षण कोटा प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2055-109-121-केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती मूल 243.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 287.33	530.33	350.14	(-)180.19

अनुदान संख्या 03— समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 295.98 लाख की वृद्धि विधान सभा निर्वाचन में सशस्त्र सेना बल पर हुए व्यय एवं समर्पण द्वारा ₹ 8.65 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 287.33 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

प्रभारित—

(v) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 30.00 लाख का अनुपूरक विनियोग आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)—			
मूल	60.00		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	(-)20.92	69.08	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 20.92 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 6,282.17 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 6,276.17 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4055-207-3680-राज्य मुख्यालय—			
मूल	2,492.10		
पुनर्वि.	(-)2,423.66	68.44	0.00
(2) 4055-207-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)—			
मूल	565.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)528.99	36.01	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,423.66 लाख एवं ₹ 528.99 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(3) 4055-208-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)—

मूल	240.00		
पुनर्वि.	(-)240.00	0.00	0.00

₹ 240.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4055-208-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

2629-पुलिस—			
मूल	4,360.00		
पुनर्वि.	(-)3,071.42	1,288.58	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,071.42 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद्			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4055— पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	3,97,775		
पूरक	1,62,832	5,60,607	3,09,464
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)2,51,143 1,17,322
पूंजीगत:			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	52,420	52,398	(-)22 22

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 (₹ 1,428.32 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 200.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,628.32 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,511.43 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,173.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013—800—9261—अन्य व्यय—			
मूल	210.00		
पुनर्वि.	(-)5.58	204.42	76.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5.58 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)128.26
(2) 2070—106—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—			
7465—रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेंस—			
मूल	70.55		
पुनर्वि.	(-)70.55	0.00	0.00
₹ 70.55 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011—12 से 2017—18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2070—108—7714—राज्य मुख्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं—			
मूल	123.80		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)69.74	54.06	58.58
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.74 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			+4.52

अनुदान संख्या 04—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2070-108-7715-नियंत्रण कक्ष, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 149.49 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)138.34	11.15	7.65	(-)3.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 138.34 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं अग्नि शामक यंत्र के उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2070-108-7716-क्षेत्र कार्यालय, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 1,096.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)360.90	735.10	747.15	+12.05
---	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 360.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2070-108-7717-प्रशिक्षण केन्द्र, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 273.75 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)233.81	39.94	39.36	(-)0.58
--	-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 233.81 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं शासन द्वारा मशीन और उपकरणों के क्रय किए जाने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2070-108-7718-आपातकालीन सेवाएं— मूल 469.60 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)82.50	387.10	390.08	+2.98
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 82.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं वाहनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2235-60-200-3700-राज्य सैनिक बोर्ड— मूल 158.66 पुनर्वि. (-)70.83	87.83	87.84	+0.01
--	-------	-------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.83 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं सैनिक विश्राम गृह स्थानांतरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड— मूल 603.52 पुनर्वि. (-)136.27	467.25	467.53	+0.28
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.27 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं हितग्राहियों की मृत्यु होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 3454-01-801-7934-केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना—			
पूरक	1,428.31	0.00	(-)1,428.31
₹ 1,428.31 लाख के सम्पूर्ण पूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-200-2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	300.00	+430.39
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

(2) 2235-60-200-7495-अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति—			
मूल	150.00		
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	200.00	550.00	(-)172.21

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख का आवर्धन अपराध पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 05—जेल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2056—जेल			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	17,43,223		
पुनर्वि.	12,000	17,55,223	(-)3,98,367
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			3,94,656
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			10
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 120.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 3,983.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 3,946.56 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2056-001-2272-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	375.35		
पुनर्वि.	(-)139.92	235.43	235.63
			+0.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.92 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2056-101-938-केन्द्रीय एवं
जिला जेलें—

मूल	16,306.88		
पुनर्वि.	(-)3,609.17	12,697.71	12,660.40
			(-)37.31

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,609.17 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं शासन द्वारा सी सी टी वी खरीदने हेतु निवदा खोलने की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2006-07 से 2016-17 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2056-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—
938-केन्द्रीय एवं

जिला जेलें—			
पूरक	120.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण पूरक प्रावधान सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 05—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2056—102—1524—जेल उत्पादन—			
मूल	750.00		
पुनर्वि.	(-)77.46	672.54	672.54
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.46 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2019)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2017—18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम			
2885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय			
7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	5,49,44,346		
पूरक	1,22,36,735	6,71,81,081	5,77,58,128
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)94,22,954 1,05,11,869

प्रभारित

5,041

5,253

+212

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

41

*(31 मार्च 2019)***पूंजीगत:**

दत्तमत

1,000

2,448

+1,448

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 5,77,581.28 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2018 (₹ 12.50 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त रहा जबकि सितम्बर 2018 (₹ 1,22,354.85 लाख) में प्राप्त किया अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 94,229.54 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 1,05,118.69 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2052—091—4296—संचालनालय संस्थागत
वित्त व्यवस्था—

मूल 206.00

पुनर्वि. (-)121.74

84.26

83.72

(-)0.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.74 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2054—095—2274—निर्देशन और
प्रशासन—

मूल 1,674.50

पुनर्वि. (-)141.96

1,532.54

1,532.43

(-)0.11

अनुदान संख्या 06—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.30 लाख की वृद्धि संभागीय अमले के दैनिक भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 145.26 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 141.96 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2054-095-4307-संभागीय स्थापना—			
मूल	870.00		
पुनर्वि.	(-)242.71	627.29	632.44
			+5.15

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.16 लाख की वृद्धि संभागीय अमले के दैनिक भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 247.87 लाख कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 242.71 लाख कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2008-09 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2054-095-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—				
7919-छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना—				
मूल	1,000.00			
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00	0.00

₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(5) 2054-097-1026-खजाना स्थापना—				
मूल	4,262.70			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)975.92	3,286.78	3,289.94	+3.16

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.07 लाख की वृद्धि संभागीय अमले के दैनिक भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 988.99 लाख कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 975.92 लाख कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2054-098-4361-स्थानीय निधि लेखा—				
मूल	2,300.00			
पुनर्वि.	(-)810.16	1,489.84	1,486.21	(-)3.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 810.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2071-01-101-2413-निवृत्त वेतन भोगियों को देय—				
मूल	3,40,000.00			
पुनर्वि.	(-)30,035.50	3,09,964.50	2,96,924.46	(-)13,040.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30,035.50 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2071-01-111-4010-विधायकों को पेंशन				
	1,050.00		910.64	(-)139.36

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2435-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान-			
मूल	2,200.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.87	1,199.13	1,199.13
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,000.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2435-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8671-लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना-			
मूल	0.01		
पूरक	1,22,347.00		
पुनर्वि.	(-)97,361.01	24,986.00	24,986.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97,361.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-102-3080-भारत में पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	500.00	2,278.61	+1,778.61
(2) 2071-01-104-4590-सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार	50,000.00	58,737.08	+8,737.08
(3) 2071-01-105-2514-परिवार पेंशन	77,500.00	83,470.36	+5,970.36
(4) 2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	15,000.00	22,189.39	+7,189.39

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (3) एवं 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।

(5) 2071-01-117-6801-राज्य शासन का अंशदान-			
मूल	49,000.00		
पुनर्वि.	26,699.64	75,699.64	75,699.64
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,000.00 लाख की वृद्धि पंचायत संवर्ग शिक्षक का नियमित शिक्षक में संविलियन होने से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,300.36 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 26,699.64 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(6) 2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति-			
मूल	0.10		
पुनर्वि.	(-)0.10	0.00	393.44
			+393.44

₹ 0.10 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	25,61,468		
पूरक	85,280	26,46,748	16,51,471
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)9,95,277 10,55,879
प्रभारित	6,00,635	00	(-)6,00,635
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			6,00,635
पूंजीगत			
दत्तमत—			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	8,400	1,180	(-)7,220 7,220
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 (₹ 850.30 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 852.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 9,952.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 10,558.79 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-01-001-6003-मुख्यालय स्थापना—			
मूल	240.86		
पूरक	2.50		
पुनर्वि.	(-)93.67	149.69	149.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.67 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं यात्रा भत्तों के दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			(-)0.32
(2) 2030-02-102-2455-न्यायिकेतर स्टॉम्प की बिक्री पर व्यय—			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)74.33	275.67	267.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 74.33 लाख की कमी स्टाम्पों की बिक्री में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			(-)8.60

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2030-02-797-7428—छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)3,200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 3,200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्थानांतरण प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2030-03-001-1480—जिला प्रभार— मूल 2,366.30 पुनर्वि. (-)1,099.76	1,266.54	1,270.32	+3.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,099.76 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निविदा प्रक्रिया के पूर्ण नहीं किए जाने एवं निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2039-001-122—अधीक्षण— मूल 3,076.60 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)647.78	2,428.82	2,428.99	+0.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 647.78 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2039-001-1470—जिला कार्यपालिक स्थापना— मूल 6,785.00 पुनर्वि. (-)2,075.49	4,709.51	4,705.95	(-)3.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,075.49 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2039-102-8629—नये सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों को प्रोत्साहन— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)208.38	91.62	91.62	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 208.38 लाख की कमी पात्र आवेदक नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2040-001-3569—मुख्यालय स्थापना व्यय— मूल 1,111.80 पूरक 850.30 पुनर्वि. (-)1,109.20	852.90	851.73	(-)1.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,109.20 लाख की कमी विभागीय दौरे में कमी, वस्तु एवं सेवाकर संचार के अंशदान की मांग प्राप्त नहीं होने, प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने एवं कार्यालय का नये स्थान पर स्थानांतरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 07—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2040-101-1509-जिला स्थापना-			
मूल	7,136.76		
पुनर्वि.	(-)1,795.10	5,341.66	5,338.03
			(-)3.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,795.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने, बिलासपुर संभागीय कार्यालय किराये के भवन में संचालित होने एवं निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-01-101-4612-स्टाम्पों की लागत-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)80.23	69.77	382.06
			+312.29
(2) 2030-01-102-4611-स्टॉम्पों की बिक्री पर व्यय-			
मूल	35.00		
पुनर्वि.	(-)11.33	23.67	151.37
			+127.70

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 80.23 लाख एवं ₹ 11.33 लाख की कमी स्टॉम्पों की कम बिक्री के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2030-02-101-2456-न्यायिकेतर स्टॉम्प की लागत-				
मूल	700.00			
पुनर्वि.	(-)91.92	608.08	779.17	+171.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.92 लाख की कमी ई-स्टाम्प का प्रसार एवं भौतिक स्टाम्पों की बिक्री में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-02-797-7429-छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)6,000.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 6,000.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग स्थानांतरण प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना-				
मूल	5.00			
पुनर्वि.	(-)5.00	0.00	0.00	0.00

₹ 5.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2029—भू—राजस्व			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2216—आवास			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़क तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	1,04,48,010		
पूरक	2	1,04,48,012	65,48,246
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)38,99,766 39,70,867

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	1,526	217	(-)1,309 774
---	-------	-----	-----------------

पूंजीगत:

दत्तमत	34,04,350	8,73,811	(-)25,30,539
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			27,96,019

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया, ₹ 0.02 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 38,997.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 39,708.67 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2029-101-5017-पटेली मेहनताना—			
मूल	216.00		
पुनर्वि.	(-)28.54	187.46	74.39
			(-)113.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 28.54 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत का कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2029-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7787-ई-धरती-			
मूल	8,374.00		
पुनर्वि.	(-)7,402.93	971.07	812.39
			(-)158.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,402.93 लाख की कमी पंजीयन में विलम्ब होने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2029-103-1472-जिला खर्च-			
मूल	29,857.00		
पुनर्वि.	(-)5,857.54	23,999.46	25,089.94
			+1,090.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,857.54 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, प्रशिक्षार्थियों की संख्या में कमी होने, पूर्व में आबंटित राशि का उपयोग नहीं किए जाने एवं बी-01 फार्म की छाया प्रति पटवारियों को वितरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 908-कृषि संगणना-			
मूल	270.40		
पुनर्वि.	(-)180.00	90.40	48.34
			(-)42.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.00 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने एवं कर्मचारियों द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 9981-लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय-			
मूल	203.10		
पुनर्वि.	(-)145.87	57.23	18.00
			(-)39.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 145.87 लाख की कमी भारत सरकार से निधि विलम्ब से प्राप्त होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2029-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-			
पूरक	426.00		
पुनर्वि.	(-)305.70	120.30	71.88
			(-)48.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 305.70 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2029-797-6753-पर्यावरण निधि का अंतरण-			
मूल	8,782.00		
पुनर्वि.	(-)8,782.00	0.00	0.00
			0.00
(8) 2029-797-6754-अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण-			
मूल	12,540.00		
पुनर्वि.	(-)12,540.00	0.00	0.00
			0.00

अनुदान संख्या 08—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 8,782.00 लाख एवं ₹ 12,540.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (1) एवं 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2029-800-0510-अधोसंरचना विकास निधि— 7860-अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि— मूल 10,300.00 पुनर्वि. (-)300.00	10,000.00	10,000.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2052-099-3657-राजस्व बोर्ड— मूल 605.20 पुनर्वि. (-)283.13	322.07	322.17	+0.10
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 283.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2053-093-1510-जिला स्थापना— मूल 29,402.80 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)3,387.93	26,014.87	26,027.02	+12.15
--	-----------	-----------	--------

समर्पण द्वारा ₹ 3,387.93 की कमी जिलाधीशों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2053-101-452-आयुक्त संभागीय कार्यालय— मूल 1,092.70 पुनर्वि. (-)184.36	908.34	862.22	(-)46.12
---	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.36 लाख की कमी आयुक्त संभागीय कार्यालय से निधि की मांग नहीं किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2053-800-7769-भूमि अधिग्रहण पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना प्राधिकार— मूल 115.20 पुनर्वि. (-)51.13	64.07	54.28	(-)9.79
---	-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 51.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कार्यालय प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 13.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 7.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 08—समाप्त

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2053-093-1510-जिला स्थापना-			
मूल	15.00		
पुनर्वि.	(-)7.48	7.52	2.16
			(-)5.36

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 7.48 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 25,305.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 27,960.19 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-80-051-0510-अधोसंरचना विकास निधि-			
7860-अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि-			
मूल	21,000.00		
पुनर्वि.	(-)20,447.17	552.83	498.90
			(-)53.93

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 20,447.17 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059-80-052-1510-जिला स्थापना-

मूल	360.00		
पुनर्वि.	(-)293.00	67.00	66.68
			(-)0.32

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 293.00 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4059-80-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7787-ई-धरती-			
मूल	125.50		
पुनर्वि.	(-)125.50	0.00	0.00
			0.00

₹ 125.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 5054-05-337-0510-अधोसंरचना विकास निधि-

7860-अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि-			
मूल	12,500.00		
पुनर्वि.	(-)7,043.52	5,456.48	8,165.65
			+2,709.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,043.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	2,03,550	77,532	(-)1,26,018
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,22,825
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>10</i>

पूंजीगत:

दत्तमत	5,000	00	(-)5,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			5,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,260.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,228.25 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2058-001-2286—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय—			
मूल	154.20		
पुनर्वि.	(-)90.41	63.79	67.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.41 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों से दावे प्राप्त नहीं होने, वाहन की आवश्यकता नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			+4.20
(2) 2058-101-618—उप नियंत्रक कार्यालय को लेखन सामग्री—			
मूल	177.60		
पुनर्वि.	(-)59.29	118.31	117.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 59.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों से दावे प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)1.03
(3) 2058-102-2820—फार्म का मुद्रण, भण्डारण और वितरण—			
मूल	1,037.10		
पुनर्वि.	(-)586.15	450.95	426.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 586.15 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों से दावे प्राप्त नहीं होने, कार्यभारित स्थापना में पदों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, मशीन एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होने, 2019 के चुनाव हेतु आचार संहिता लागू होने के कारण मुद्रण कागज कय नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सुचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2019)। 2005-06 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			(-)24.38

अनुदान संख्या 09—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2058—102—5659—शासकीय प्रेस, रायपुर—			
मूल	516.60		
पुनर्वि.	(-)396.28	120.32	116.08
			(-)4.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 396.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों से दावे प्राप्त नहीं होने, मशीन एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होने, मुद्रण कागज क्रय नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2017—18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2058—104—301—अशासकीय मुद्रणालयों
में मुद्रण कार्य —

मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)96.12	53.88	47.40
			(-)6.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.12 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2017—18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4058—103—3427— मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मुद्रण मशीन की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10-वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी			
4406-वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	1,06,91,319		
पूरक	सांकेतिक	1,06,91,319	75,45,855
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)31,45,464 25,97,869
प्रभारित-			
मूल	2,82,104		
पूरक	2,811	2,84,915	2,12,972
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)71,943 24,079
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
मूल	1,73,151		
पूरक	1,20,000	2,93,151	76,255
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)2,16,896 1,99,305

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में 25 मार्च 2019 को स्वीकृत किये गये आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से किये गये ₹ 49,233 हजार का व्यय जो वर्षान्त तक अप्रतिपूरित रहा, सम्मिलित नहीं है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) ₹ 31,454.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 25,978.69 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2723-प्रशासन सुदृढीकरण	101.70	9.81	(-)91.89
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(2) 2406-01-003-4462-वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन-			
मूल	353.11		
पुनर्वि.	(-)48.23	304.88	244.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 48.23 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2406-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1859-राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना	405.60	274.99	(-)130.61
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2406-01-070-4349—सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरुस्ती— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)236.73	713.27	596.70	(-)116.57
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 101.95 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 134.78 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 236.73 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(5) 2406-01-070-6218—भवनों की मरम्मत— मूल 1,048.60 पुनर्वि. (-)138.21	910.39	809.51	(-)100.88
(6) 2406-01-101-2786—प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)— मूल 1,346.50 पुनर्वि. (-)68.93	1,277.57	1,232.39	(-)45.18
(7) 2406-01-101-3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस— मूल 2,854.69 पुनर्वि. (-)277.24	2,577.45	2,324.72	(-)252.73
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 138.21 लाख, ₹ 68.93 लाख एवं ₹ 277.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2009-10 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं 2010-11 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2406-01-101-3877—क्षेत्रीय वन मण्डल— मूल 38,860.71 पुनर्वि. (-)1,734.58	37,126.13	35,529.51	(-)1,596.62
समर्पण द्वारा ₹ 1,802.58 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 68.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,734.58 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2406-01-101-7888—कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु विशेषज्ञ अमला— मूल 156.00 पुनर्वि. (-)156.00	0.00	0.00	0.00
₹ 156.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(10) 2406-01-101-812—कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना— मूल 1,057.21 पुनर्वि. (-)112.00	945.21	805.47	(-)139.74

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2406-01-101-813—कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य— मूल 464.50 पुनर्वि. (-)97.86	366.64	318.32	(-)48.32
(12) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2536—पर्यावरण वानिकी— मूल 580.00 पुनर्वि. (-)130.59	449.41	341.39	(-)108.02
(13) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965—बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित— मूल 4,737.00 पुनर्वि. (-)1,131.57	3,605.43	2,522.77	(-)1,082.66
उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 112.00 लाख, ₹ 97.86 लाख, ₹ 130.59 लाख एवं ₹ 1,131.57 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(14) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6723—संयुक्त वन प्रबंध सुदृढीकरण एवं विकास— मूल 241.00 पुनर्वि. (-)43.61	197.39	133.35	(-)64.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 43.61 लाख की कमी अधीनस्थ वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2019)।			
(15) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6827—भूजल एवं जल संरक्षण कार्य— मूल 2,030.00 पुनर्वि. (-)94.62	1,935.38	1,352.60	(-)582.78
(16) 2406-01-102-3531—प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण— मूल 2,355.88 पुनर्वि. (-)180.38	2,175.50	1,732.99	(-)442.51
(17) 2406-01-102-4475—सामाजिक वानिकी— मूल 1,315.29 पुनर्वि. (-)136.13	1,179.16	1,082.46	(-)96.70

उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 94.62 लाख, ₹ 180.38 लाख एवं ₹ 136.13 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2406-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7732—छत्तीसगढ़ स्टेट एक्शन प्लान आन क्लाईमेट योजना— मूल 220.00 पुनर्वि. (-)220.00	0.00	0.00	0.00
₹ 220.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2406-01-102-0430—वन विकास निधि— 6699—वन विकास उपकर निधि से व्यय— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)636.64	1,363.36	1,068.90	(-)294.46
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 636.64 लाख की कमी शासन द्वारा कम निधि के जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1004—नदीतट वृक्षारोपण योजना— मूल 328.00 पुनर्वि. (-)106.51	221.49	173.46	(-)48.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.51 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(21) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1902—तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित— मूल 1,027.00 पुनर्वि. (-)235.59	791.41	656.73	(-)134.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 235.59 लाख की कमी अधीनस्थ वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2533—हरियाली प्रसार योजना मूल 720.00 पुनर्वि. (-)7.52	720.00	279.65	(-)440.35
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6724—बांस वनों का पुनरोद्धार— मूल 1,259.00 पुनर्वि. (-)7.52	1,251.48	1,060.78	(-)190.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6828—पथ वृक्षारोपण— मूल 470.00 पुनर्वि. (-)123.40	346.60	331.61	(-)14.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.40 लाख की कमी अधीनस्थ वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 2406-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7731-बाड़ी बांस योजना-			
मूल	534.00		
पुनर्वि.	(-)403.68	130.32	44.65
			(-)85.68
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 320.40 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 83.28 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 403.68 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2406-01-105-252-अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता-			
मूल	2,200.00		
पुनर्वि.	(-)2,200.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 2,200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2406-01-203-535-इमारती लकड़ी-			
मूल	10,336.06		
पुनर्वि.	(-)6,362.22	3,973.84	3,604.82
			(-)369.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,362.22 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2406-01-203-5641-वन प्रबंधन समितियां-			
मूल	3,531.00		
पुनर्वि.	(-)2,839.54	691.46	567.00
			(-)124.46
(29) 2406-01-204-2901-बांस-			
मूल	1,976.90		
पुनर्वि.	(-)1,102.38	874.52	811.49
			(-)63.03
उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,839.54 लाख एवं ₹ 1,102.38 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(30) 2406-02-110-2899-राष्ट्रीय उद्यान-			
मूल	1,183.69		
पुनर्वि.	(-)214.38	969.31	979.06
			+9.75
(31) 2406-02-110-3896-वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति-			
मूल	2,300.00		
पुनर्वि.	(-)672.49	1,627.51	1,638.58
			+11.07
(32) 2406-02-110-6885-प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना-			
मूल	659.33		
पुनर्वि.	(-)324.16	335.17	333.45
			(-)1.72

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(33) 2406-02-110-8912-वन्य प्राणी बचाव, पुनर्वास एवं हेल्थ केयर प्रबंधन— मूल 127.50 पुनर्वि. (-)108.21	19.29	19.29	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (30) से (33) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 214.38 लाख, ₹ 672.49 लाख, ₹ 324.16 लाख एवं ₹ 108.21 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (30) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007-08 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (31) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(34) 2406-02-110-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5502-प्रोजेक्ट एलीफेन्ट— मूल 215.10 पुनर्वि. (-)215.10	0.00	0.00	0.00
₹ 215.10 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वन विभाग से स्वीकृति वर्षान्त में प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 2406-02-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6539-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 610.91 पुनर्वि. (-)370.71	240.20	368.89	+128.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 370.71 लाख की कमी भारत सरकार से निधि के कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2019)।			
(36) 2406-02-110-0430-वन विकास निधि— 6699-वन विकास उपकर निधि से व्यय— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)167.00	333.00	336.61	+3.61
(37) 2406-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3943-वनजीवों को संरक्षण एवं विकास— मूल 880.00 पुनर्वि. (-)258.13	621.87	621.87	0.00
(38) 2406-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7887-हाथी प्रभावित क्षेत्रों में चलित हाथी सुरक्षा दस्ता का गठन— मूल 265.50 पुनर्वि. (-)257.96	7.54	5.70	(-)1.84
(39) 2406-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6540-चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन— मूल 1,697.28 पुनर्वि. (-)307.44	1,389.84	1,390.73	+0.89
(40) 2406-02-800-6218-भवनों की मरम्मत— मूल 136.50 पुनर्वि. (-)86.89	49.61	47.88	(-)1.73

अनुदान संख्या 10—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (36) से (40) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 167.00 लाख, ₹ 258.13 लाख, ₹ 307.44 लाख एवं ₹ 86.89 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (36) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(41) 2406-04-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,666.92	1,333.08	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,666.92 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(42) 2406-04-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7856-ग्रीन इंडिया मिशन-			
मूल	275.00		
पुनर्वि.	(-)275.00	0.00	0.00

₹ 275.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय-			
मूल	2,213.08		
पुनर्वि.	(-)202.34	2,010.74	+502.41

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 33.95 लाख की वृद्धि कर्मचारियों के लिए बस पास के भुगतान एवं समर्पण द्वारा ₹ 236.29 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 202.34 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2406-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 792-कर्मचारी कल्याण योजना-			
मूल	140.60		
पुनर्वि.	300.00	440.60	+160.55

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 300.00 लाख के आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(3) 2406-02-110-2900-अभ्यारण्य क्षेत्र	2,930.99	3,061.34	+130.35
--	----------	----------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(4) 2406-02-110-3531-प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण-			
मूल	90.00		
पुनर्वि.	(-)0.01	89.99	+359.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.01 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 10—जारी

प्रभारित—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 28.11 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 719.43 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 240.79 लाख राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन विनियोग पर कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अंतरण—			
मूल	2,740.00		
पुनर्वि.	(-)240.00	2,500.00	(-)477.21

समर्पण द्वारा विनियोग में ₹ 240.00 लाख की कमी शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 1,200.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(viii) ₹ 2,168.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,993.05 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1859-राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना	75.00	0.00	(-)75.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4342-सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य—			
मूल	297.00		
पुनर्वि.	(-)28.11	268.89	(-)28.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 28.11 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4406-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित आयोजना (सामान्य)— 5538-एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना—			
मूल	990.00		
पुनर्वि.	(-)640.73	349.27	(-)97.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 640.73 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 10—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4406-02-111-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6540—चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन— पूरक 1,200.00 पुनर्वि. (-)1,177.17	22.83	22.83	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,177.17 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत	27,78,891	18,41,488	(-)9,37,403
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			9,39,570
<i>प्रभारित</i>	<i>25</i>	<i>00</i>	<i>(-)25</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>25</i>
पूंजीगत:	6,91,633	1,95,456	(-)4,96,177
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			4,96,177
<i>प्रभारित</i>	<i>500</i>	<i>00</i>	<i>(-)500</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>500</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 9,374.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 9,395.70 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2230-01-102-8034-स्टीम बायलरों का निरीक्षण—			
मूल	164.00		
पुनर्वि.	(-)65.54	98.46	98.52
			+0.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 65.54 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों से मांग प्राप्त नहीं होने, दैनिक वेतन कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने, यात्रा, टेलीफोन, डाक, फर्नीचर, पुस्तकें, स्टेशनरी, गणवेश, भवन किराया, बिजली एवं मानदेय इत्यादि पर कम खर्च किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(2) 2851-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान—			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)535.89	2,464.11	2,464.26
			+0.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 535.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2851-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7825—स्टार्टअप छत्तीसगढ़— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)967.11	32.89	32.89	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 667.11 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 967.11 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2852-80-001-3370—संचालनालय उद्योग— मूल 1,731.67 पुनर्वि. (-)1,002.30	729.37	746.61	+17.24
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,002.30 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2852-80-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5385—नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना— मूल 3,800.00 पुनर्वि. (-)3,300.00	500.00	500.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,300.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2852-80-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7784—निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के लिए अधोसंरचना अनुदान— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(7) 2852-80-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7785—पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)167.33	1,832.67	1,832.67	0.00
(8) 2852-80-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8890—खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)150.00	1,250.00	1,250.00	0.00
(9) 2852-80-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8928—मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)74.52	75.48	74.98	(-)0.50

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9068-औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान-			
मूल	9,000.00		
पुनर्वि.	(-)265.01	8,734.99	8,734.99

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 167.33 लाख, ₹ 150.00 लाख, ₹ 74.52 लाख एवं ₹ 265.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(11) 2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8237-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिये अनुदान-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00

₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(12) 2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9283-प्रतियोगितायें, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रचार-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,969.21	30.79	30.79
(13) 3475-200-255-अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन-भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन-			
मूल	306.19		
पुनर्वि.	(-)149.26	156.93	156.86

उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 1,969.21 लाख एवं ₹ 149.26 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iii) ₹ 0.25 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत :

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6742-औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 11—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7480-जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना-			
मूल	99.23		
पुनर्वि.	(-)99.23	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 99.23 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7909-औद्योगिक केन्द्रों का जीर्णोद्धार-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)500.96	499.04	499.04
(4) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8983-औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य-			
मूल	4,400.00		
पुनर्वि.	(-)2,944.48	1,455.52	1,455.52
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 500.96 लाख एवं ₹ 2,944.48 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(5) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9219-भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान-			
मूल	910.00		
पुनर्वि.	(-)910.00	0.00	0.00

₹ 910.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

प्रभारित-

(v) ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2801-बिजली			
2810-नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4810-ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	2,04,77,916		
पूरक	3,29,000	2,08,06,916	1,00,29,659
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)1,07,77,257 1,07,76,856
<i>प्रभारित</i>	<i>22,90,000</i>	<i>22,30,031</i>	<i>(-)59,969</i>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<i>00</i>

पूंजीगत :

दत्तमत-			
मूल	42,00,660		
पूरक	सांकेतिक	42,00,660	38,95,950
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)3,04,710 3,04,010

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, सितम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 3,290.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,07,772.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,07,768.56 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2045-103-4281-संग्रह प्रभार-			
बिजली शुल्क-			
मूल	1,058.16		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-)194.56	873.60	869.59
			(-)4.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 194.56 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7305-पांच एच. पी. के कृषि पम्पों
को निःशुल्क विद्युत शुल्क में
राहत हेतु सब्सिडी-

मूल 1,77,365.00

पुनर्वि. (-)95,542.00

81,823.00

81,823.00

0.00

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7758-उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य- विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान-			
मूल	3.00		
पूरक	3,280.00		
पुनर्वि.	(-)3,283.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 95,542.00 लाख एवं ₹ 3,283.00 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(4) 2801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7898-नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 2801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता-			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)10,000.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,514.00 लाख की कमी उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत देने हेतु सब्सिडी प्रदान करने एवं समर्पण द्वारा ₹ 6,486.00 लाख की अन्य कमी निधि जारी नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 10,000.00 का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(6) 2810-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7694-सौर उर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान-			
मूल	1,055.00		
पुनर्वि.	(-)633.00	422.00	422.00
(7) 2810-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7695-विद्यमान संयंत्रों की क्षमता उन्नयन व संधारण-			
मूल	1,250.00		
पुनर्वि.	(-)570.00	680.00	680.00
(8) 2810-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7698-उर्जा शिक्षा अनुदान-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	80.00	80.00
(9) 2810-800-0410-उर्जा विकास निधि- 3188-उर्जा विकास संस्था को सहायक अनुदान-			
मूल	1,060.00		
पुनर्वि.	(-)636.00	424.00	424.00

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 633.00 लाख, ₹ 570.00 लाख, ₹ 120.00 लाख एवं ₹ 636.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 12—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7620-उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी-			
मूल	1.00		
पुनर्वि.	3,514.00	3,515.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,514.00 लाख का आवर्धन उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत देने हेतु सब्सिडी प्रदान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित-

(v) ₹ 599.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2045-103-797-3218-उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत उर्जा विकास उपकर निधि को अन्तरण	22,900.00	22,300.31	(-)599.69

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vii) ₹ 3,047.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 3,040.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4801-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण-			
मूल	1,535.00		
पुनर्वि.	(-)1,535.00	0.00	0.00
(2) 4801-06-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7655-एकीकृत विद्युत विकास योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
(3) 4801-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7899-पम्प फिडर सेप्रेशन स्कीम-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,535.00 लाख, ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधियों के जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4810-101-0410-उर्जा विकास निधि— 7693-सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान— पूरक 9,763.50 पुनर्वि. (-)5,000.00	4,763.50	4,763.50	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 5,000.00 लाख की कमी सोलर पम्पों का ऊर्जाकरण सी. एस. पी. डी. सी. एल. द्वारा किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4801-06-800-0410-उर्जा विकास निधि— 6758-कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण— मूल 1.00 पुनर्वि. 5,000.00	5,001.00	5,000.00	(-)1.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 5,000.00 लाख का आवर्धन सोलर पम्पों का ऊर्जाकरण सी. एस. पी. डी. सी. एल. द्वारा किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(x) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि :-

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर "राजस्व शीर्ष 0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क-800-अन्य प्राप्ति" में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के "मुख्य शीर्ष 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-797-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष ₹ 1,105.41 लाख जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 22,300.31 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2045-797 संचय तिथि से/में स्थानांतरण-3218 उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण" को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 20,507.00 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2019 को ₹ 2,898.72 लाख की शेष राशि निधि में जमा थी।

इस निधि के लेन-देन" मुख्य शीर्ष-8229-विकास एवं कल्याण निधि-110-ऊर्जा विकास निधि" में सम्मिलित है जिसका लेखा वित्त लेखे 2018-19 के "21-आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण" में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13—कृषि

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2402—मृदा तथा जल संरक्षण			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,35,87,502		
पूरक	3,27,01,403	5,62,88,905	5,07,57,556
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)55,31,349
			55,28,924
<i>प्रभारित</i>	<i>1,300</i>	<i>47</i>	<i>(-)1,253</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>1,271</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	80,800	15,922	(-)64,878
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			64,822

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 5,07,575.56 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2018 (₹ 6,000.00 लाख) एवं सितम्बर 2018 (₹ 1,20,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया (₹ 2,01,014.03 लाख) का अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 55,313.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 55,289.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-001-119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द—(जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	29,002.40		
पुनर्वि.	(-)1,698.51	27,303.89	27,286.30
			(-)17.59

समर्पण द्वारा ₹ 1,646.21 लाख की कमी व्यय में कमी किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 52.30 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,698.51 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2401-001-124-अधीक्षण (संभागीय स्तर का अमला)—

मूल	710.66		
पुनर्वि.	(-)119.98	590.68	588.83
			(-)1.85

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 119.98 लाख की कमी व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)2,348.95	3,651.05	3,651.05	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.99 लाख की कमी तथा समर्पण द्वारा ₹ 2,323.96 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,348.95 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीड्स एण्ड ऑईलपॉम— मूल 430.00 पुनर्वि. (-)291.15	138.85	138.85	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 291.15 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2401-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8972—धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— मूल 1,05,500.00 पूरक 3,06,400.00 पुनर्वि. (-)13,834.40	3,98,065.60	3,98,065.60	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,645.21 लाख की कमी तथा समर्पण द्वारा ₹ 10,189.19 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 13,834.40 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2401-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 4,650.00 पुनर्वि. (-)925.38	3,724.62	3,725.07	+0.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 925.38 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2401-105-7283—छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2401-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8900—जैविक खेती मिशन— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)465.28	1,034.72	1,034.72	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 465.28 लाख की कमी तृतीय पक्ष को जैविक प्रमाण पत्र के लिए निधि का आबंटन किया गया था जो कि अव्ययित रहा यह पी.जी.एस. प्रक्रिया के लिए निशुल्क था। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)3,486.72	2,513.28	2,513.28	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,486.72 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7266-एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम- मूल 1,230.00 पुनर्वि. (-)638.24	591.76	591.76	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 638.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7267-एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट योजना- मूल 852.00 पुनर्वि. (-)482.56	369.44	370.05	+0.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 482.56 लाख की कमी निधि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)683.57	816.43	816.43	0.00
(13) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7830-परम्परागत कृषि विकास योजना- मूल 1,000.00 पूरक 1,146.20 पुनर्वि. (-)2,021.31	124.89	124.89	0.00
(14) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7832-टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)- मूल 1,255.00 पुनर्वि. (-)5,773.19	677.81	677.81	0.00
(15) 2401-108-0701- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7833-रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर.पी.एस.)- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)441.77	58.23	58.23	0.00
(16) 2401-108-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8942-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)- मूल 8,750.00 पुनर्वि. (-)4,255.49	4,494.51	4,494.51	0.00

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,045.90	954.10	954.10	0.00
(18) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7829—नेशनल ई गर्वनेस प्लान एग्रीकल्चर— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)346.04	53.96	53.96	0.00
(19) 2401-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7677—फसल प्रदर्शन— मूल 1,110.00 पुनर्वि. (-)202.75	907.25	907.25	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 683.57 लाख, ₹ 2,021.31 लाख, ₹ 5,773.19 लाख, ₹ 441.77 लाख, ₹ 4,255.49 लाख, ₹ 1,045.90 लाख, ₹ 346.04 लाख एवं ₹ 202.75 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12), (13), (15) एवं (18) तथा 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(20) 2401-110-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— मूल 6,850.00 पूरक 12,330.34 पुनर्वि. (-)756.60	18,423.74	18,423.74	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 249.78 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 506.82 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 756.60 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2401-113-7017—कृषि यंत्रों कार्यालय— मूल 891.00 पुनर्वि. (-)175.95	715.05	715.11	+0.06
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 71.85 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 104.10 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 175.95 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2019)।			
(22) 2401-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 2,550.04 पूरक 1,137.49 पुनर्वि. (-)2,411.57	1,275.96	1,275.96	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.99 लाख की वृद्धि देश के कृषि यंत्र परीक्षण केन्द्रों की कार्यशाला हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने तथा समर्पण द्वारा ₹ 2,436.56 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,411.57 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8539-कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)158.50	841.50	0.00
(24) 2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8907-कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन हेतु अनुदान-			
मूल	275.00		
पुनर्वि.	(-)205.09	69.91	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 158.50 लाख एवं ₹ 205.09 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(25) 2401-119-2013-नए उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना-			
मूल	2,648.55		
पुनर्वि.	(-)670.14	1,978.41	(-)0.83
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.80 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 671.94 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों के अपनाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 670.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(26) 2401-119-9188-उद्यान विकास योजना-			
मूल	5,377.89		
पुनर्वि.	(-)266.03	5,111.86	(-)31.36
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.80 लाख की कमी तथा समर्पण द्वारा ₹ 264.23 लाख की अन्य कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 266.03 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना(सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
पूरक	3,920.00		
पुनर्वि.	(-)2,985.88	934.12	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,837.33 लाख की कमी व्यय में कमी होने तथा समर्पण द्वारा ₹ 1,148.55 लाख की अन्य कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,985.88 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना(सामान्य)- 7258-नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम-			
पूरक	726.74		
पुनर्वि.	(-)604.75	121.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 604.75 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(29) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 2,214.90 पुनर्वि. (-)2,214.90	0.00	0.00	0.00
₹ 2,214.90 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(30) 2401-119-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7705— एकीकृत बागबानी विकास मिशन— मूल 6,500.00 पुनर्वि. (-)1,101.87	5,398.13	5,415.89	+17.76
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,259.93 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने तथा समर्पण द्वारा ₹ 3,361.79 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,101.87 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7874—एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री— मूल 672.00 पुनर्वि. (-)583.14	88.86	88.86	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 422.60 लाख की कमी व्यय में कमी होने तथा समर्पण द्वारा ₹ 160.54 लाख की अन्य कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 583.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2401-119-0311—नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7854—नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना— मूल 1,150.00 पुनर्वि. (-)900.00	250.00	250.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 900.00 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 2401-119-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7676—संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 2401-119-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7837—उद्यानिकी फसलों का बेसलाईन सर्वे— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(35) 2401-119-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7838—रिवाल्विंग फण्ड योजना— मूल 117.00 पुनर्वि. (-)94.50	22.50	22.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.50 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2401-119-0101—राज्य योजना सामान्य— 8638—राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)700.00	0.00	0.00	0.00
₹ 700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान चेम्पस से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(37) 2401-119-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9172—प्रदर्शनी मेला तथा प्रचार (बागवानी)— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)144.23	105.77	105.77	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 144.23 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया।			
(38) 2401-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 7853—नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना— मूल 4,650.00 पुनर्वि. (-)4,650.00	0.00	0.00	0.00
₹ 4,650.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 2402-102-3143—भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधन की योजना— मूल 3,271.10 पुनर्वि. (-)159.64	3,111.46	3,114.02	+2.56
समर्पण द्वारा ₹ 39.47 लाख की कमी व्यय में कमी किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 120.17 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 159.64 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(40) 2402-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)3,492.34	6,507.66	6,507.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,492.34 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(41) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7713—जैव प्रौद्योगिकी प्रोन्नत सोसायटी की स्थापना— मूल 126.00 पुनर्वि. (-)116.00	10.00	10.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.00 लाख की कमी सरकार द्वारा जारी की गई निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7931—चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— पूरक 6,000.00 पुनर्वि. 1,455.44	7,455.44	7,455.44	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,763.81 लाख की वृद्धि मुगेली, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, एवं राजनांदगाव में चना उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 308.37 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि के कम जारी किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,455.44 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 2401—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7264—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. 519.00	919.00	919.00	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 900.00 लाख की वृद्धि बीज प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना एवं बीज भण्डारण हेतु गोदाम के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 381.00 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 519.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(3) 2401—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5549—गन्ना कृषकों को बोनस— मूल 2,800.00 पुनर्वि. (-)981.40	3,781.40	3,781.40	0.00
--	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 981.40 लाख का आवर्धन बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(v) ₹ 12.53 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 12.71 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 13—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2401-001-119-अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द- (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)- मूल 10.00 पुनर्वि. (-)9.71	0.29	0.47	+0.18

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 9.71 लाख कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 55,313.49 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 55,289.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4401-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2981-बीज संवर्धन तथा वितरण- मूल 442.00 पुनर्वि. (-)442.00	0.00	0.00	0.00
₹ 442.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

(2) 4401-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
8987-बीज गुणवत्ता प्रमाणीकरण
प्रयोगशाला-

मूल 70.00 पुनर्वि. (-)70.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	------	------	------

₹ 70.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना के लागू नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4401-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-
7661-एन. एम. ई. टी. सबमिशन
ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड
क्वारेन्टाईन योजना-

मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	------	------	------

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-
7267-एन. एम. एस. ए. मृदा
स्वास्थ्य प्रबंधन योजना-

मूल 200.00 पुनर्वि. (-)63.59	136.41	136.41	0.00
---------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.59 लाख कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2403—पशुपालन			
4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	41,66,847		
पूरक	8,50,200	50,17,047	34,34,471
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-) 15,82,576 15,82,129
<i>प्रभारित</i>	<i>20</i>	<i>569</i>	<i>+548</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>00</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	3,19,442	1,90,575	(-) 1,28,867
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,28,817

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 (₹ 842.00) एवं जनवरी 2019 (₹ 7,660.00) में प्राप्त किया गया ₹ 8,502.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 15,825.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 15,821.29 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2403-001-1468—जिला एवं संभागीय स्तर—			
मूल	2,530.53		
पूरक	1,127.00		
पुनर्वि.	(-)800.18	2,857.35	2,848.35
(2) 2403-001-4297—संचालनालय स्तर—			
मूल	451.50		
पूरक	80.00		
पुनर्वि.	(-)111.37	420.13	415.59
			(-)4.54

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 800.18 लाख एवं ₹ 111.37 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2009-10 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2403-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5620-पशुरोग नियंत्रण-			
मूल 1,313.00			
पुनर्वि. (-)775.54	537.46	537.46	0.00
(4) 2403-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7826-बकरी रोग नियंत्रण (पीपीआर सीपी)-			
मूल 165.74			
पुनर्वि. (-)103.04	62.70	61.00	(-)1.70
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 775.54 लाख एवं ₹ 103.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(5) 2403-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 7471-नाबार्ड योजनान्तर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान-			
मूल 1,250.00			
पुनर्वि. (-)1,250.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2549-पशु औषधालय एवं चिकित्सालय-			
मूल 15,601.54			
पूरक 4,200.00			
पुनर्वि. (-)3,080.02	16,721.52	16,690.66	(-)30.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,080.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(7) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7403-कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय -			
मूल 1,500.00			
पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
(8) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7911-पशु संवेदना एक्सप्रेस-			
मूल 500.00			
पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 1,500.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2403-102-1108-गहन पशु विकास परियोजना-			
मूल 3,332.78			
पूरक 2,040.00			
पुनर्वि. (-)1,132.84	4,239.94	4,224.89	(-)15.05

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2403-102-2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र— मूल 960.80 पुनर्वि. (-)361.39	599.41	599.98	+0.57
(11) 2403-102-5535-छत्तीसगढ़ गौसेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान— मूल 675.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	175.00	175.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,132.84 लाख, ₹ 361.39 लाख एवं ₹ 1,000.00 लाख की कमी के कारणों के साथ उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(12) 2403-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7257-राष्ट्रीय गौवंशीय, भैंस वंशीय परियोजना तथा पशुधन बीमा योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2403-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7621-नेशनल लाइवस्टॉक मिशन— मूल 1,250.00 पुनर्वि. (-)1,185.43	64.57	64.57	0.00
(14) 2403-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7614-राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड— मूल 60.00 पूरक 60.00 पुनर्वि. (-)72.00	48.00	48.00	0.00
(15) 2403-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3578-मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 1,517.18 पूरक 127.00 पुनर्वि. (-)389.28	1,254.90	1,259.57	+4.67
(16) 2403-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5027-बकरी पालन प्रक्षेत्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण— मूल 408.71 पुनर्वि. (-)286.06	122.65	122.71	+0.06

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2403-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6784—शूकर विकास प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण— मूल 418.44 पुनर्वि. (-)86.21	332.23	332.17	(-)0.06
उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,185.43 लाख, ₹ 72.00 लाख, ₹ 389.28 लाख, ₹ 286.06 लाख एवं ₹ 86.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(18) 2403-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— (सामान्य)— मूल 2,032.22 पुनर्वि. (-)951.89	1,080.33	1,080.33	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.99 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 925.90 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 951.89 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(19) 2403-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 3,265.00 पुनर्वि. (-)806.25	2,458.75	2,458.75	0.00
(20) 2403-113-3784—रोग अनुसंधान— मूल 855.32 पुनर्वि. (-)170.51	684.81	682.98	(-)1.83
(21) 2403-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना— मूल 974.62 पूरक 86.00 पुनर्वि. (-)454.70	605.92	604.43	(-)1.49

उपरोक्त क्रम संख्या (19) से (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 806.25 लाख, ₹ 170.51 लाख एवं ₹ 454.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2403-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3786—रोगाणुज्ञ	479.87	533.83	+53.96

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(v) विनियोग से हुए ₹ 5,48,650 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

अनुदान संख्या 14—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 1,288.67 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,288.17 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4403—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 530.95 पुनर्वि. (-)412.49	118.46	118.46	0.00
(2) 4403—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 1,292.47 पुनर्वि. (-)792.47	500.00	500.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 412.49 एवं ₹ 792.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2403—पशुपालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	60,70,380	21,18,824	(-)39,51,556
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			39,30,375
पूंजीगत	7,90,000	7,60,000	(-)30,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			30,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) ₹ 39,515.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 39,303.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2952—बालिकाओं को गणवेश— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00	0.00	0.00	0.00
₹ 350.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-01-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 327—अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम छात्रवृत्ति— मूल 405.00 पुनर्वि. (-)285.00	120.00	120.00	0.00
(3) 2202-01-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4691—कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)150.00	100.00	100.00	0.00

अनुदान संख्या 15—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 285.00 लाख एवं ₹ 150.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-01-789-197-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये— मूल 37,700.00 पुनर्वि. (-)26,801.86	10,898.14	10,883.26	(-)14.88

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 26,801.86 लाख की कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन किए जाने (₹ 26,727.77 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 74.08 लाख की अन्य कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-02-789-196-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये— मूल 9,570.00 पुनर्वि. (-)6,580.59	2,989.41	2,977.79	(-)11.62
--	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,580.59 लाख की कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन किए जाने (₹ 6,525.02 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 55.57 लाख की अन्य कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(6) 2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 2,715.00 पुनर्वि. (-)242.20	2,472.80	2,472.80	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 242.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(7) 2405-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)149.63	100.37	101.87	+1.50
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 149.63 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2405-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना—(अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7814-नीलकान्ति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)219.31	30.69	30.69	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 219.31 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 15—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2515-789-198-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)263.92	96.08	96.08	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 263.92 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 2853-02-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 5,115.00 पुनर्वि. (-)3,957.06	1,157.94	971.13	(-)186.81
--	----------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,957.06 लाख की कमी शासन द्वारा पंचायतों को स्थानांतरण की स्वीकृति प्रदाय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-789-198-1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8991—गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)700.00	0.00	0.00	0.00

₹ 700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-789-198-1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— 8986—मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना— मूल 7,200.00 पुनर्वि. 400.00	7,600.00	7,600.00	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 300.00 लाख की कमी वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 400.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2405—मछली पालन			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	6,23,698		
पूरक	2,427	6,26,125	4,99,772
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)1,26,353 1,25,618
प्रभारित	20	00	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			20
पूंजीगत :			
दत्तमत	64,500	5,000	(-)59,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			59,500
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 24.27 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,263.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,256.18 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2405-101-162-अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए जिला स्तर कर्मचारी—			
मूल	3,267.87		
पुनर्वि.	(-)302.21	2,965.66	2,960.92
(2) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)224.48	175.52	175.52
(3) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7814-“नील क्रान्ति” के अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम—			
मूल	1,070.00		
पुनर्वि.	(-)192.66	877.34	877.34

अनुदान संख्या 16—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2405-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7434-मत्स्यकी महाविद्यालय कवर्धा हेतु अनुदान-			
मूल	420.76		
पुनर्वि.	(-)315.76	105.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 302.21 लाख, ₹ 224.48 लाख, ₹ 192.66 लाख एवं ₹ 315.76 की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4405-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7434-मत्स्यकी महाविद्यालय कवर्धा हेतु अनुदान-			
मूल	595.00		
पुनर्वि.	(-)595.00	0.00	0.00

₹ 595.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2425—सहकारिता			
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425—सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	15,74,879		
पूरक	1,51,23,900	1,66,98,779	1,59,09,844
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)7,88,935 7,88,167
प्रभारित	15	00	(-)15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			15

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	2,55,002		
पूरक	10,30,000	12,85,002	11,70,200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)1,14,802 1,14,802

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,59,098.44 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2018 (₹ 1,039.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 1,50,200.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,51,239.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 7,889.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 7,881.67 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2425-001-123-अधीक्षण—			
मूल	4,440.17		
पुनर्वि.	(-)502.75	3,937.42	3,930.62
			(-)6.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 411.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 102.01 लाख की अन्य कमी तथा ₹ 10.62 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 502.75 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान-			
मूल	9,800.00		
पुनर्वि.	(-)6,982.00	2,818.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,982.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7889-प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(4) 2425-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7943-मूल्य समर्थन योजना में दलहन एवं तिलहन खरीदी-			
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार वर्ष 2019 के बाजार मूल्य के समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) ₹ 11,702.00 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2018 (₹ 500.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 9,800.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,300.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4425-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7678-सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूँजी-			
मूल	500.00		
पूरक.	500.00		
पुनर्वि.	(-)298.00	702.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 298.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	अनुदान संख्या 17—समाप्त		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(2) 6425-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7943-मूल्य समर्थन योजना में दलहन एवं तिलहन खरीदी-				
पूरक.	9,800.00			
पुनर्वि.	(-)9,800.00	0.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 9,000.00 लाख की कमी मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार वर्ष 2019-20 में चना खरीदी नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 800.00 लाख की अन्य कमी मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार वर्ष 2019 के बाजार मूल्य के समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(3) 6425-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8970-विपणन सहकारी समितियों का सुदृढीकरण-				
मूल	50.00			
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :-

6425-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5055-सहकारी शक्कर कारखाना-				
मूल	2,000.00			
पुनर्वि.	9,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,000.00 लाख का आवर्धन राज्य में गन्ने का उत्पादन अधिक होने एवं पूर्व भण्डारित शक्कर की बिक्री मासिक कोटा के अनुसार किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया।

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	17,35,837		
पूरक	2,08,540	19,44,337	11,72,720
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)7,71,657 4,89,015
प्रभारित	20	00	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			10
पूंजीगत:			
दत्तमत	10,000	00	(-)10,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			10,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 2,085.40 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, इसे यथा आवश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 7,716.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 4,890.15 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3676-राज्य बीमा अस्पताल	5,021.36	3,118.05	(-)1,903.31
(2) 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 791-कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय—			
मूल	3,256.35		
पूरक	सांकेतिक 3,256.35	2,444.58	(-)811.77
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2007-08 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2008-09 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2230-01-001-4268-श्रम आयुक्त—			
मूल	569.06		
पुनर्वि.	(-)145.27	423.79	423.71
			(-)0.08

अनुदान संख्या 18—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2230-01-101-4271—श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला— मूल 1,286.76 पुनर्वि. (-)295.21	991.55	990.16	(-)1.39
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 145.27 लाख तथा ₹ 295.21 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) तथा 2013-14 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(5) 2230-01-101-4272—श्रम न्यायालय—	466.25	393.49	(-)72.76
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2005-06 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2230-01-102-5810—औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा— मूल 432.20 पुनर्वि. (-)152.44	279.76	279.87	+0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 152.44 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2006-07 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2230-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5648—औद्योगिक हाईजिन प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 104.90 पुनर्वि. (-)54.90	50.00	51.44	+1.44
समर्पण द्वारा ₹ 57.40 लाख की कमी व्यय कम किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.50 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 54.90 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(8) 2230-01-103-4270—श्रम कल्याण निधि की स्थापना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)395.09	104.91	104.91	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 395.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2230-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7435—असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल— मूल 2,925.00 पूरक 1,393.20 पुनर्वि. (-)1,773.47	2,544.73	2,544.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,773.47 लाख की कमी व्यय में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2230-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8977-असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल-			
मूल	1,000.00		
पूरक	59.40		
पुनर्वि.	(-)721.94	337.46	337.46
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 721.94 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2230-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8989-ढेका मजदूर,, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मण्डल-			
मूल	1,000.00		
पूरक	632.80		
पुनर्वि.	(-)1,019.39	613.41	613.41
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,019.39 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2230-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 2837-बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना-			
मूल	360.00		
पुनर्वि.	(-)279.05	80.95	80.95
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 279.05 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 0.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। 2010-11 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4250-201-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8352-राज्य में बीड़ी मजदूरों के लिए आवास निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान आवासीय भवन निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,97,84,698		
पूरक	21,88,550	2,19,73,248	1,70,61,981
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)49,11,267 56,51,518
प्रभारित	1,550	433	(-)1,117
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,228
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	6,81,754		
पूरक	2,850	6,84,604	3,29,834
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)3,54,770 3,73,097
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया, ₹ 21,885.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 49,112.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 56,515.18 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2210-01-001-2283—निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन, मूलभूत सेवायें)—			
मूल	3,809.38		
पुनर्वि.	(-)1,528.42	2,280.96	2,381.78
(2) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7327—मानसिक चिकित्सालय—			
मूल	779.70		
पुनर्वि.	(-)174.59	605.11	617.27

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,528.42 लाख एवं ₹ 174.59 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7397—छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉंस सर्विसेस योजना— मूल 2,200.00 पुनर्वि. (-)1,320.00	880.00	880.00	0.00
(4) 2210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 20,696.10 पुनर्वि. (-)3,750.85	16,945.25	15,171.77	(-)1,773.48
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,320.00 लाख एवं ₹ 3,750.85 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(5) 2210-01-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6960—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 17,800.00 पुनर्वि. (-)11,076.98	6,723.02	6,723.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,076.98 लाख की कमी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8631—शव वाहिका योजना— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)371.95	828.05	828.05	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 371.95 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(7) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8645—मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 6,500.00 पुनर्वि. (-)3,900.00	2,600.00	2,600.00	0.00
(8) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8649—मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम— मूल 368.60 पुनर्वि. (-)352.95	15.65	14.45	(-)1.20
(9) 2210-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7330—मितानिन कल्याण निधि— मूल 10,157.00 पूरक 6,681.00 पुनर्वि. (-)5,895.00	10,943.00	10,943.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,900.00 लाख, ₹ 352.95 लाख एवं ₹ 5,895.00 लाख की कमी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(10) 2210-03-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 51,000.00 पुनर्वि. (-)7,289.79	43,710.21	43,710.21	0.00
(11) 2210-03-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 748—दवाखाना— मूल 399.10 पुनर्वि. (-)265.28	133.82	136.09	+2.27
(12) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)— मूल 27,195.80 पुनर्वि. (-)4,903.54	22,292.26	24,313.98	+2,021.72
उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 7,289.79 लाख, ₹ 265.28 लाख एवं ₹ 4,903.54 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7799—सी.पी.एस योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।			
(14) 2210-06-003-2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण— मूल 442.65 पुनर्वि. (-)198.07	244.58	233.30	(-)11.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 198.07 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2210-06-101-4244—शीत ज्वर— मूल 2,357.40 पुनर्वि. (-)460.17	1,897.23	1,941.86	+44.63
(16) 2210-06-101-858—कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 3,355.80 पुनर्वि. (-)533.01	2,822.79	2,925.43	+102.64

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 460.17 लाख एवं ₹ 533.01 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) तथा 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(17) 2210-06-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5026—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)920.00	2,080.00	2,080.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 920.00 लाख की कमी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5688—मुख्यमंत्री दवा पेटी— मूल 660.00 पुनर्वि. (-)157.38	502.62	548.37	+45.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 157.38 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(19) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7636—बाल श्रवण योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7671—मुख्यमंत्री बाल मधुमेह रोकथाम एवं सुरक्षा योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	5.21	+5.21
(21) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7679—टी.बी रोकथाम के लिए पोषित खाद्य— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(22) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8632—बाल हृदय सुरक्षा योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2210-06-102-1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम— (खाद्य प्रयोगशाला सहित)— मूल 1,581.35 पुनर्वि. (-)902.18	679.17	674.40	(-)4.77

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(24) 2210-06-104-750-औषध नियंत्रण— मूल 1,361.50 पुनर्वि. (-)707.21	654.29	649.74	(-)4.55
उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 902.18 लाख एवं ₹ 707.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(25) 2210-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7863-मुख्यमंत्री चिकित्सा फेलोशिप योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2211-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1508-जिला स्तर के कर्मचारी— मूल 501.00 पुनर्वि. (-)119.91	381.09	366.69	(-)14.40
(27) 2211-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3704-राज्य स्तरीय परिवार कल्याण— मूल 692.33 पुनर्वि. (-)112.30	580.03	577.42	(-)2.61
उपरोक्त क्रम संख्या (26) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 119.91 लाख एवं ₹ 112.30 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2211-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1007-क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 215.00 पुनर्वि. (-)123.62	91.38	89.01	(-)2.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.62 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(29) 2211-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2880-बहुउद्देशीयकार्य योजना— मूल 211.00 पुनर्वि. (-)118.64	92.36	97.75	+5.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.64 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(30) 2211-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 336-ऑक्जीलियरी नर्स, मिड वाईफ एवं हेल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण— मूल 293.55 पुनर्वि. (-)130.52	163.03	162.09	(-)0.94

अनुदान संख्या 19—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(31) 2211-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	13,800.20		
पुनर्वि.	(-)6,085.62	7,714.58	9,679.92
			+1,965.34
(32) 2211-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6791-शहरी स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	410.20		
पुनर्वि.	(-)121.76	288.44	293.93
			+5.49

उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 6,085.62 लाख एवं ₹ 121.76 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (32) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(33) 2211-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 6106-युनिवर्सल इम्युनाईजेशन-				
मूल	130.00			
पुनर्वि.	(-)130.00	0.00	0.00	0.00

₹ 130.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

(1) 2071-01-800-5499-सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा-				
मूल	220.00			
पुनर्वि.	(-)154.36	65.64	384.65	+319.01
(2) 2210-01-200-77-अंध रोग उपचार की रोकथाम की इकाइयां स्थापित करना-				
मूल	1,876.20			
पुनर्वि.	(-)188.45	1,687.75	2,033.83	+346.08
(3) 2210-03-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-				
मूल	12,143.70			
पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक (-)1,662.72	10,480.98	12,524.75	+2,043.77

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 154.36 लाख, ₹ 188.45 लाख एवं ₹ 1,662.72 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2009-10 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

प्रभारित :

(v) ₹ 11.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 12.28 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 19—जारी

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2210-01-001-2283-निर्देशन एवं प्रशासन (राजीव गांधी मिशन, मूलभूत सेवाएं)- मूल 11.00 पुनर्वि. (-)7.78	3.22	4.33	+1.11

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 7.78 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 28.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(viii) ₹ 3,547.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 3,730.97 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1473-जिला अस्पताल- मूल 2,576.81 पुनर्वि. (-)1,065.94	1,510.87	1,568.84	+57.97

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,065.94 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4210-01-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2283-निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन मूलभूत सेवाएं)- मूल 533.00 पुनर्वि. (-)533.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 533.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 256.59 पूरक 28.50 पुनर्वि. (-)182.47	102.62	102.62	0.00
---	--------	--------	------

(4) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- (मूलभूत सेवाएं)- मूल 753.84 पुनर्वि. (-)207.81	546.03	550.99	+4.96
--	--------	--------	-------

अनुदान संख्या 19—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(5) 4210—02—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,489.80 पुनर्वि. (-)1,631.73	858.07	969.34	+111.27

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹182.47 लाख, ₹207.81 लाख एवं ₹1,631.73 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2011—12 से 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जलपूर्ति तथा सफाई			
4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	39,43,258		
पूरक	सांकेतिक	39,43,258	25,92,689
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)13,50,569 13,87,142
प्रभारित—			
मूल	1,000		
पूरक	5,258	6,258	1,145
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)5,113 839

पूंजीगत:

दत्तमत	28,43,406	16,33,816	(-)12,09,590
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			12,04,106

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 13,505.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 13,871.42 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-01-001-2294—निर्देशन—			
मूल	2,056.13		
पुनर्वि.	(-)702.49	1,353.64	1,427.56
(2) 2215-01-001-2715—प्रशासन—			
मूल	13,020.40		
पुनर्वि.	(-)3,711.11	9,309.29	9,323.38

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 702.49 लाख एवं ₹ 3,711.11 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2008-09 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2215-01-005-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1196—ग्रामीण जल प्रदाय सर्वेक्षण

एवं जॉच पड़ताल—

मूल
 153.00 | | |

पुनर्वि.
 (-)108.44 | 44.56 | 44.56 |

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.44 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2215-01-101-5300—स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण— मूल 1,664.40 पुनर्वि. (-)887.32	777.08	1,030.31	+253.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 887.32 लाख की कमी निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2215-01-102-1202—ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण— मूल 718.20 पुनर्वि. (-)246.69	471.51	468.87	(-)2.64
(6) 2215-01-102-1854—ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन— मूल 1,892.48 पुनर्वि. (-)551.40	1,341.08	1,337.60	(-)3.48
(7) 2215-01-102-2219—नलकूपों का अनुरक्षण— मूल 8,154.50 पुनर्वि. (-)3,256.90	4897.60	4,889.17	(-)8.43
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 246.69 लाख, ₹ 551.40 लाख एवं ₹ 3,256.90 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009-10 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (5) एवं 2010-11 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5403—पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)677.52	322.48	325.45	(-)2.97
समर्पण द्वारा ₹ 587.52 लाख की कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 677.52 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2215-01-102-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 7858—सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(10) 2215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9938—भू-जल स्रोतों का रिचार्जिंग— मूल 110.00 पुनर्वि. (-)110.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 110.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2215-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6897-दल्लीराजहरा जल प्रदाय योजना-			
मूल	1,015.07		
पुनर्वि.	(-)356.07	659.00	659.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 356.07 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			0.00
(12) 2215-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7451-बेमेतरा जल प्रदाय योजना-			
मूल	365.40		
पुनर्वि.	(-)365.40	0.00	0.00
₹ 365.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(13) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7309-गौरैला जल प्रदाय योजना-			
मूल	281.72		
पुनर्वि.	(-)196.91	84.81	84.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.91 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			0.00
(14) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7371-बिलाईगढ़ जल प्रदाय योजना-			
मूल	800.67		
पुनर्वि.	(-)280.67	520.00	520.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 280.67 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			0.00
(15) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8613-उतई जल प्रदाय योजना-			
मूल	601.22		
पुनर्वि.	(-)146.57	454.65	454.65
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 92.20 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 54.37 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 146.57 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			0.00
(16) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8617-टुण्ड्रा जल प्रदाय योजना-			
मूल	268.80		
पुनर्वि.	(-)268.80	0.00	0.00
			0.00
(17) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8618-भटगौव जल प्रदाय योजना-			
मूल	341.41		
पुनर्वि.	(-)341.41	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 268.80 लाख एवं ₹ 341.41 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(18) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8908—नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)239.77	2,260.23	2,260.23	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 239.77 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(19) 2215—01—799—4058—विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— मूल 2,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,458.55	541.45	578.75	(-)37.30
---	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,458.55 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013—14 से 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3396—मेलों के लिए रक्षित जल प्रदाय/ शौचालय व्यवस्था— मूल 90.00 पुनर्वि. 81.12	171.12	171.09	(-)0.03

समर्पण द्वारा ₹ 8.88 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 81.12 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(2) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8565—भखरा भठेली जल प्रदाय योजना— मूल 0.10 पुनर्वि. 222.93	223.03	223.03	0.00
--	--------	--------	------

(3) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8609—अर्जुन्दा जल प्रदाय योजना— मूल 0.10 पुनर्वि. 66.18	66.28	66.28	0.00
--	-------	-------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 222.93 लाख एवं ₹ 66.18 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 51.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 8.39 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 20—जारी

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
2215—01—001—2294—निर्देशन—			
मूल	10.00		
पूरक	52.58		
पुनर्वि.	(-)8.39	54.19	11.45
			(-)42.74

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 8.39 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(vi) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के व्यय में "2215—जल प्रदाय और सफाई—01—जल प्रदाय—799—उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 578.75 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थायी प्रकृति के लेन—देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बंधित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है। "उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :—

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन—देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई है :—

(1) क्रय— राज्य में 1983—84 से नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन—देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बंधित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

2018—19 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत "उचंत" लेन—देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2018 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2019 को नामे + जमा (-)
2215—जल आपूर्ति तथा सफाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)1,600.70	0.00	0.00	(-)1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	0.00	0.00	+1,550.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+10,981.05	578.75	(-)209.13	+10,611.43
योग	+10,930.58	578.75	(-)209.13	+10,560.96

अनुदान संख्या 20—जारी

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) ₹ 12,095.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 12,041.06 लाख का अभ्यर्पण किया गया। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2294-निर्देशन-			
मूल	105.00		
पुनर्वि.	(-)99.00	6.00	6.00
(2) 4215-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2715-प्रशासन-			
मूल	445.00		
पुनर्वि.	(-)283.33	161.67	161.67
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 99.00 लाख एवं ₹ 283.33 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-			
मूल	8,800.00		
पुनर्वि.	(-)5,969.30	2,830.70	2,821.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,969.30 लाख की कमी केन्द्रांश के कम प्राप्त होने से राज्यांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4215-01-102-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	6,200.00		
पुनर्वि.	(-)2,708.46	3,491.54	3,453.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,708.48 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4215-01-102-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 7858-सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)422.53	77.47	77.47
(6) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	3,373.26		
पुनर्वि.	(-)838.94	2,534.32	2,527.07

अनुदान संख्या 20—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 422.53 लाख एवं ₹ 838.94 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(7) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6898-बटालिय हेतु ओव्हरहेड टैंक का निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
(8) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 693-औजार और संयंत्र-			
मूल	231.00		
पुनर्वि.	(-)231.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 231.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(9) 6215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं-			
मूल	5,000.00		
पूरक	(-)1,323.80	3,676.20	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,323.80 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज भुगतान			
2216—आवास			
2217—शहरी विकास			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास ऋण			
राजस्व	15,64,420	6,31,822	(-)9,32,598
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			9,32,749
पूंजीगत:			
मूल	69,50,363		
पूरक	5,000	69,55,363	19,72,671
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)49,82,692
टीका एवं टिप्पणियां			49,82,692

राजस्व:

(i) ₹ 9,325.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 9,327.49 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-60-701-7552-कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	3,200.00		
पुनर्वि.	(-)3,200.00	0.00	0.00
(2) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7444-विकास नगर योजना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 3,200.00 लाख एवं ₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7670-मुख्यमंत्री आवासीय योजना-

मूल 1,000.00
पुनर्वि. (-)900.00

1,000.00

1,000.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 900.00 लाख की कमी निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2217-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5371—नया रायपुर विकास प्राधिकरण— मूल 4,050.00 पुनर्वि. (-)2,347.00	1,703.00	1,703.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,347.00 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2217-01-051-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7334—जी. ई. एफ. सहायता प्राप्त एस यू टी पी योजना— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00	0.00	0.00	0.00
₹ 350.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011-12 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2217-01-053-8635—नया मंत्रालय का रखरखाव— मूल 2,600.00 पुनर्वि. (-)480.00	2,120.00	2,120.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 480.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-05-001-2020—नगर और ग्राम निवेश— मूल 1,347.20 पुनर्वि. (-)395.13	952.07	953.58	+1.51
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 395.13 लाख की कमी, नवीन अमला की नियुक्ति नहीं किए जाने एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2217-05-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2621—विकास योजनाओं का संशोधन एवं अवलोकन— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)298.86	101.14	101.14	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 298.86 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2217-05-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7411—विकास प्राधिकरणों को अनुदान— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 21—जारी

पूँजीगत:

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7552-कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(2) 4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	11,300.00		
पुनर्वि.	(-)7,300.00	4,000.00	0.00
(3) 4217-01-051-1201-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ. सहायता प्राप्त एस.यू.टी.पी. योजना-			
मूल	993.63		
पुनर्वि.	867.37	126.26	0.00
(4) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	43,150.00		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)32,229.55	10,970.45	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 7,300.00 लाख, ₹ 867.37 लाख एवं ₹ 32,229.55 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7416-13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7685-स्मार्ट सिटी-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,000.00	0.00	0.00

₹ 4,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्मार्ट सिटी मर्यादित के लिए निधि स्मार्ट शहरी विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	अनुदान संख्या 21—समाप्त कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 6217-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7669-रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट-			
मूल	7,700.00		
पुनर्वि.	(-),4,120.00	3,580.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,120.00 लाख की कमी निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व :			
दत्तमत	2,94,570	2,40,474	(-)54,096
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			54,764
<i>प्रभारित</i>	5	00	(-)5
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			5

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 540.96 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 547.64 लाख का अम्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217—80—001—6148—नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय—			
मूल	333.97		
पुनर्वि.	(-)109.91	224.06	223.96
			(-)0.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 109.91 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, कर्मचारियों के स्थानांतरण होने, निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं फर्नीचर तथा विद्युत व्यवस्था एन. आर. डी. ए. द्वारा किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2017—18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2217—80—001—7442—संभागीय कार्यालय
की स्थापना—

मूल	449.91		
पुनर्वि.	(-)163.33	286.58	293.18
			+6.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.33 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015—16 से 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217—80—001—7761—शिक्षकों को
वेतन—

मूल	2,100.00		
पुनर्वि.	(-)257.65	1,842.35	1,842.35
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.65 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति एवं निकायों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निधि के आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2017—18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2700—मुख्य सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

दत्तमत	58,88,786	48,38,017	(-)10,50,769
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			10,43,096
प्रभारित	110	00	(-)110
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			110

पूंजीगत:

दत्तमत—			
मूल	48,81,549		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	48,81,549	34,18,047	(-)14,63,502
14,66,050			
प्रभारित	2,600	1,011	(-)1,589
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			168
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 10,507.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध में, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 10,430.96 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700-01-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	3,909.09		
पुनर्वि.	(-)537.30	3,371.79	3,214.13
			(-)157.66

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 432.55 लाख की अन्य कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 537.30 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य ₹ 54.75 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2700-05-101-2894-बांध तथा नहरें—

मूल	752.88		
पुनर्वि.	(-)159.16	593.72	589.97
			(-)3.75

समर्पण द्वारा ₹ 62.16 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 97.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 159.16 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2700—06—101—2894—बांध तथा नहरें— मूल 686.43 पुनर्वि. (-)91.57	594.86	490.29	(-)104.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.57 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7 ^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(4) 2700—10—101—2894—बांध तथा नहरें— मूल 777.00 पुनर्वि. (-)167.68	609.32	694.65	+85.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 167.68 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7 ^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(5) 2701—25—101—2250—नहरें तथा तालाब— मूल 151.20 पुनर्वि. (-)112.32	38.88	35.82	(-)3.06
(6) 2701—80—001—275—आबियाना— मूल 2,726.30 पुनर्वि. (-)742.38	1,983.92	1,983.62	(-)0.30
(7) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3264—मंडल स्थापना— मूल 2,457.96 पुनर्वि. (-)554.49	1,903.47	1,899.90	(-)3.57
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 112.32 लाख, ₹ 742.38 लाख, ₹ 554.49 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7 ^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010—11 से 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट—I— मूल 3,572.20 पुनर्वि. (-)650.93	2,921.27	2,912.72	(-)8.55
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.00 लाख की कमी संस्था के 2018—19 का निर्वाचन नहीं कराए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 555.93 लाख की अन्य कमी नए मद हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जल उपभोक्ता संरक्षण समिति के निर्वाचन नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 650.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010—11 से 2017—18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 815—कार्यपालिक स्थापना— मूल 35,690.78 पुनर्वि. (-)6,704.13	28,986.65	28,967.22	(-)19.43
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि कार्य भारित स्थापना के कर्मचारियों को गणवेश हेतु भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 6,845.71 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7 ^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6,704.13 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य ₹ 95.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3.42 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014—15 से 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 23—जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित

हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700-02-101-2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	2,468.42		
पुनर्वि.	(-)14.23	2,454.19	2,583.64
			+129.45

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36.62 लाख की वृद्धि कार्य भारित स्थापना के कर्मचारियों को भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 50.85 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 14.23 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2700-07-101-2894—बांध तथा नहरें—

मूल	219.99			
पुनर्वि.	(-)19.28	200.71	304.80	+104.09

समर्पण द्वारा ₹ 19.28 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2701-24-101-2250—नहरें तथा तालाब—

मूल	283.55			
पुनर्वि.	83.16	366.71	362.92	(-)3.79

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.22 लाख की वृद्धि कार्य भारित स्थापना के कर्मचारियों को भुगतान किए जाने एवं श्याम घुनघुट्टा नहर के क्षतिग्रस्त की मरम्मत किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 10.06 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 83.16 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य ₹ 90.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(iv) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में “उचंत” शीर्ष के अधीन लेखांकित (-) ₹ 61.46 लाख सम्मिलित है। “उचंत” के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2018 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2019 को नामे + जमा (-)
2701—मध्यम सिंचाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)841.87	0.00	0.00	(-)841.87
(ii) भण्डार	+796.42	(-)61.46	8.32	+726.64
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+2,425.83	0.00	0.00	+2,425.83
(iv) कार्यशाला उचंत	+147.09	0.00	0.00	+147.09
कुल	+2,527.47	(-)61.46	8.32	+2,457.69

प्रभारित—

(v) ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 23—जारी

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 14,635.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध में, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 14,660.50 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-कार्यकारी स्थापना (यूनिट 1 एवं 2)- मूल 3,882.03 पुनर्वि. (-)494.79	3,387.24	3,380.76	(-)6.48

समर्पण द्वारा ₹ 494.79 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)- मूल 807.87 पुनर्वि. (-)132.05	675.82	673.89	(-)1.93
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा ₹ 132.05 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4700-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 5,190.00 पुनर्वि. (-)2,343.86	2,846.14	2,877.39	+31.25
--	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,343.86 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-कार्यपालन स्थापना (यूनिट-1 एवं 2)- मूल 9,567.54 पुनर्वि. (-)1,377.29	8,190.25	8,185.85	(-)4.40
--	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16.00 लाख की वृद्धि नियमित एवं कार्य भारित स्थापना के कर्मचारियों को गणवेश हेतु एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,393.29 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,377.29 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)- मूल 1,025.65 पुनर्वि. (-)197.44	828.21	830.79	+2.58
---	--------	--------	-------

अनुदान संख्या 23—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35.00 लाख की वृद्धि प्रकरणों के नई दिल्ली में चलने के कारण शासकीय अधिवक्ताओं एवं महानदी जल विवाद एजेन्सी न्यायालय के शुल्क का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 232.44 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 197.44 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	6,510.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)4,665.10	1,844.90	1,848.34
			+3.44

समर्पण द्वारा ₹ 2,965.10 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,665.10 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य ₹ 700.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण-				
मूल	1,000.00			
पुनर्वि.	(-)445.75	554.25	554.25	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35.00 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 410.75 लाख की अन्य कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 445.75 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य-				
मूल	2,000.00			
पुनर्वि.	(-)270.45	1,729.55	1,907.65	+178.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 270.45 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण-				
मूल	500.00			
पुनर्वि.	(-)458.16	41.84	41.84	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 408.16 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की अन्य कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 458.16 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 4700-08-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य-				
मूल	2,100.00			
पुनर्वि.	(-)213.37	1,886.63	1,720.92	(-)165.71

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 213.37 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 4700-10-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य-			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-)654.10	745.90	745.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 654.10 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00
(12) 4700-11-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)345.60	254.40	254.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 345.60 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(13) 4700-12-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य-			
मूल	3,520.24		
पुनर्वि.	(-)2,747.73	772.51	775.43
समर्पण द्वारा ₹ 2,202.73 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 545.00 लाख की अन्य कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,747.73 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+2.92
(14) 4700-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4416-सर्वेक्षण-			
मूल	375.00		
पुनर्वि.	(-)333.54	41.46	41.46
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 333.54 लाख की कमी, सर्वेक्षण प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(15) 4701-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)214.58	135.42	136.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 214.58 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+1.42
(16) 4701-13-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)180.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 128.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 52.00 लाख की अन्य कमी, नवीन योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 180.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			0.00

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 4701-14-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 200.10 पुनर्वि. (-)200.10	0.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी नवीन योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 150.10 लाख की अन्य कमी वन भूमि मुआवजा प्रकरण नहीं होने तथा नवीन योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 200.10 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(18) 4701-32-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(19) 4701-37-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 510.00 पुनर्वि. (-)80.06	429.94	418.04	(-)11.90
--	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 80.06 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं भू अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 4701-80-002-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4793—जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना— मूल 1,698.23 पुनर्वि. (-)249.00	1,449.23	1,449.61	+0.38
---	----------	----------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 249.00 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन मान में वेतन एवं भत्तों में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4701-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 325.00 पुनर्वि. 199.61	524.61	524.61	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 545.00 लाख की वृद्धि, अनुबंध एवं वर्तमान कार्य के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 345.39 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 199.61 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 23—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4701-09-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	744.34	1,444.34	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 750.00 लाख की वृद्धि, निर्माण कार्य के वर्तमान दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 5.66 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 744.34 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(3) 4701-36-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-				
मूल	20.00			
पुनर्वि.	95.92	115.92	129.85	+13.93

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि, अनुबंध एवं वर्तमान कार्य के लंबित देयकों का भुगतान किए जाने एवं पुनर्वास अनुदान के अन्तर्गत भू अर्जन मुआवजा दिए जाने, समर्पण द्वारा ₹ 4.05 लाख की कमी भू अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.03 लाख की अन्य कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 95.92 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण द्वारा ₹ 0.03 लाख की अन्य कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(4) 4711-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6757-बाढ नियंत्रण परियोजनाएं-				
मूल	2,000.00			
पुनर्वि.	691.40	2,691.40	2,691.40	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि, अनुबंध एवं वर्तमान कार्य के लंबित देयकों का भुगतान एवं समर्पण द्वारा ₹ 308.60 लाख की कमी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, योजना हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं कार्यों की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 691.40 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(ix) उचंत लेन देन-

“उचंत” के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (vi) पर की गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2018 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2019 को नामे + जमा (-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)830.51	0.00	0.00	(-)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	0.00	0.00	+346.16
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+1,594.53	3.15	1.17	+1,590.21
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)76.61	0.00	0.00	(-)76.61
कुल	+1,033.57	3.15	1.17	+1,029.25

प्रभारित-

(x) ₹ 15.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1.68 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3053—नागर विमानन्			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन् पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	1,59,77,667	79,48,037	(-)80,29,630
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			80,38,896
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	1,53,42,500		
पूरक	12,25,400	1,65,67,900	1,18,11,863
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)47,56,037 49,16,903
प्रभारित	1,83,130	1,82,475	(-)655
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			2,706

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 80,296.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 80,388.96 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3054-01-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत—			
मूल	3,190.00		
पुनर्वि.	(-)1,907.86	1,282.14	1,335.00
			+52.86

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,907.86 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया एवं अदायगी की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 3054-03-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत—

साधारण मरम्मत—

मूल

5,500.00

पुनर्वि. (-)1,213.25

4,286.75

4,204.41

(-)82.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,213.25 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 3054-03-337-2227—नवीनीकरण—			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)6.44	6,993.56	6,873.45
			(-)120.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.44 लाख की कमी निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(4) 3054-03-337-4090—विशेष मरम्मत—			
मूल	2,300.00		
पुनर्वि.	(-)1,453.34	846.66	794.04
			(-)52.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,453.34 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 3054-04-337-134—अनुरक्षण और मरम्मत—			
साधारण मरम्मत—			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,182.76	6,817.24	6,834.22
			+16.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,182.76 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 3054-04-337-2227—नवीनीकरण—			
मूल	45,000.00		
पुनर्वि.	(-)27,939.82	17,060.18	16,810.03
			(-)250.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27,939.82 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 3054-04-337-4090—विशेष मरम्मत—			
मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)361.34	938.66	938.67
			+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 361.34 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 3054-04-337-4557—सुदृढ़ीकरण—			
मूल	1,800.00		
पुनर्वि.	(-)956.78	843.22	846.50
			+3.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 956.78 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 3054-04-337-7510—ग्रामीण मार्गों का संधारण—			
मूल	43,600.00		
पुनर्वि.	(-)28,348.01	15,251.99	15,261.90
			+9.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 28,348.01 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 3054-80-001-2301—निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग सं. 67-2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)— मूल 13,256.10 पुनर्वि. (-)8,914.15	4,341.95	4,341.95	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,914.15 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 3054-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7609—ए.डी.बी.सहायित छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना का स्थापना व्यय— मूल 1,390.60 पुनर्वि. (-)694.51	696.09	937.10	+241.01
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 694.51 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 3054-80-052-692—औजार एवं संयंत्र प्रभार— (मांग सं. 67-2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)— मूल 5,335.47 पुनर्वि. (-)5,330.88	4.59	4.59	0.00
--	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,330.88 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3054-01-337-4090—विशेष मरम्मत— मूल 66.00 पुनर्वि. (-)66.00	0.00	273.84	+273.84

₹ 66.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(iv) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रीट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054—सड़कें तथा पुल—800—अन्य व्यय" जिसके लिए अनुदान संख्या 24—"लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल" में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता"को अन्तरित कर दी जाती है।

अनुदान संख्या 24—जारी

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया है।

31 मार्च 2019 को जमा लेखे में ₹ 0.14 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2018—19 के वित्त लेखे के क्रम संख्या 21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 12,254.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 47,560.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 49,169.03 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3775—रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण— मूल 12,000.00 पुनर्वि. (-)2,426.48	9,573.52	9,623.16	+49.64
समर्पण द्वारा ₹ 426.48 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,426.48 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 5054—03—337—0520—केन्द्रीय सड़क निधि— 8716—केन्द्रीय सड़क निधि— मूल 20,000.00 पूरक 12,254.00 पुनर्वि. (-)4,880.93	27,373.07	+28,044.58	+671.51
(3) 5054—03—337—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 1826—डामरीकरण— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)1,296.60	103.40	103.40	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 4,880.93 लाख एवं ₹ 1,296.60 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 5054—03—337—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 4336—राज्यों में सड़कों का निर्माण राज्य मार्ग— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)3,264.19	6,735.81	6,574.23	(-)161.58
समर्पण द्वारा ₹ 2,264.19 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,264.19 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015—16 से 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 5054-03-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8716—केन्द्रीय सड़क निधि— मूल 1,005.00 पुनर्वि. (-)817.10	187.90	37.72	(-)150.18

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 817.10 लाख की कमी भू-अर्जन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 5054-04-337-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 7813—ई. पी. सी. (नाबार्ड) के माध्यम से सड़क निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. 100.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1513—जिलों में मुख्य सड़कों का निर्माण— मूल 30,000.00 पुनर्वि. (-)4,529.97	25,470.03	25,872.11	+402.08
---	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा ₹ 2,529.97 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,529.97 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1826—डामरीकरण— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)1,105.27	294.73	294.74	+0.01
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा ₹ 1,105.27 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 5054-05-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7818—ई. पी. सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्सन)— मूल 35,000.00 पुनर्वि. (-)35,000.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 35,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत मुख्यतः आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई:-

(1) 5054-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4151—वृहद पुलों का निर्माण— मूल 12,000.00 पुनर्वि. 1,950.14	13,950.14	14,024.74	+74.60
--	-----------	-----------	--------

अनुदान संख्या 24—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 49.86 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,950.14 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-			
मूल	9,000.00		
पुनर्वि.	2,701.68	11,701.68	12,087.55
			+385.87

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख की वृद्धि दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 298.32 लाख की कमी प्रशासकीय निविदा की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,701.68 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(ix) ₹ 6.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 27.06 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(x) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा-			
मूल	1,830.00		
पुनर्वि.	(-)25.76	1,804.24	1,824.75
			+20.51

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 25.76 लाख की कमी भू-अर्जन प्रक्रिया के पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए उधार			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	29,30,984		
पूरक	4,94,600	34,25,584	15,40,995
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)18,84,589 18,81,645
प्रभारित	500	318	(-)182
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			124

पूंजीगत :

दत्तमत	41,56,895	8,65,720	(-)32,91,175
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			32,90,944

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 4,946.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 18,845.89 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 18,816.45 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2853-02-001-4639-मुख्यालय स्थापना—			
मूल	1,058.85		
पुनर्वि.	(-)177.50	881.35	872.31
			(-)9.04
(2) 2853-02-001-4640-जिला स्थापना—			
मूल	2,024.62		
पुनर्वि.	(-)263.07	1,761.55	1,751.65
			(-)9.90
(3) 2853-02-001-4643-क्षेत्रीय स्थापना—			
मूल	1,226.37		
पुनर्वि.	(-)229.88	996.49	985.98
			(-)10.51

अनुदान संख्या 25—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2853-02-797-5390—खनिज निधि में अंतरण—			
मूल	25,000.00		
पूरक	4,946.00		
पुनर्वि.	(-)18,146.00	11,800.00	11,800.00
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 177.50 लाख, ₹ 263.07 लाख, ₹ 229.88 लाख, एवं ₹ 18,146.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2008-09 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं 2011-12 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) ₹ 32,911.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 32,909.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4853-01-004-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7792—संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म सम्बन्धी कार्य/ क्रियाकलाप—			
मूल	1,915.75		
पुनर्वि.	(-)1,573.56	342.19	340.24
			(-)1.95

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,573.56 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4853-01-004-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि—
7794—परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)—

मूल	28,520.70		
पुनर्वि.	(-)28,520.70	0.00	0.00
			0.00

₹ 28,520.70 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(3) 6853-01-190-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि—
7796—छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम
सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप—

मूल	11,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,735.05	8,264.95	8,264.95
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,735.05 लाख की कमी छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	4,08,281		
पूरक	2,05,000	6,13,281	3,77,131
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)2,36,150 2,35,574
पूंजीगत	15,000	00	(-)15,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			15,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 2,050.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,361.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 2,355.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2205-102-5437-राज्य प्रदत्त पुरस्कार—			
मूल	15.00		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)65.00	0.00	0.00
₹ 65.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य अलंकरण सम्मान प्रदान नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(2) 2205-102-5753-समारोह हेतु अनुदान—			
पूरक	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)618.95	1,281.05	1,281.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 618.95 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 2205-102-7929-फिल्म विकास निगम—			
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)99.90	0.10	0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 26—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2205-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5753-समारोह हेतु अनुदान— मूल 1,520.00 पुनर्वि. (-)541.08	978.92	978.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 541.08 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2205-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 7904-एक भारत श्रेष्ठ भारत— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)106.70	193.30	193.30	0.00
(6) 2205-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 8975-छ.ग. लोक कला संगीत अकादमी एवं लोक गीतों व लोक नृत्यों का संरक्षण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)87.82	12.18	12.18	0.00
(7) 2205-103-2318-निर्देशन एवं प्रशासन— मूल 382.10 पुनर्वि. (-)96.24	285.86	284.68	(-)1.18
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 106.70 लाख, ₹ 87.82 लाख एवं ₹ 96.24 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(8) 2205-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2685-प्रकाशन खण्ड— मूल 127.88 पुनर्वि. (-)75.25	52.63	52.55	(-)0.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.25 लाख की कमी कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ नहीं लेने एवं राज्य सरकार द्वारा मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2205-103-598-उत्खनन तथा सर्वेक्षण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)179.52	20.48	20.48	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 179.52 लाख की कमी डमारू, सिरपुर तथा राजिम स्थलों का उत्खनन की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2205-104-3675-राज्य पुरालेख संचालनालय— मूल 134.37 पुनर्वि. (-)81.42	52.95	52.79	(-)0.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 81.42 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2205-107-4283-संग्रहालय— मूल 380.72 पुनर्वि. (-)77.65	303.07	300.74	(-)2.33

अनुदान संख्या 26—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.65 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने, अधिकारियों द्वारा दौरा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4202-04-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7760-सिरपुर का सांस्कृतिक विकास -			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-150.00	0.00	0.00

₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,02,17,036		
पूरक	89,03,092	3,91,20,128	3,24,83,742
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)66,36,386 66,39,287
<i>प्रभारित</i>	<i>300</i>	<i>298</i>	<i>(-)200</i>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			
पूंजीगत :			
दत्तमत—	15,83,340	8,27,941	(-)7,55,399
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			7,55,399
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 3,24,837.42 लाख के वास्तविक व्यय के विरुद्ध जुलाई 2018 (₹ 31,440.52 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था, जबकि जनवरी 2019 (₹ 57,590.40 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 66,363.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 66,392.87 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-1500—जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	14,552.70		
पुनर्वि.	(-)5,490.48	9,062.22	9,080.77
			+18.55

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,490.48 लाख की कमी महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किए जाने, देयक प्राप्त नहीं होने, जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, प्रशिक्षण कार्य आयोजित नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं विधान चुनाव के कारण राज्योत्सव में कम व्यय किए जाने के फलस्वरूप उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-001-3930-खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 4,428.30 पुनर्वि. (-)763.65	3,664.65	3,662.08	(-)2.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 763.65 लाख की कमी महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किए जाने, देयक प्राप्त नहीं होने, जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-101-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 48,673.80 पूरक 26,505.00 पुनर्वि. (-)2,355.71	72,823.09	72,845.99	+22.90
(4) 2202-01-101-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 36,237.70 पूरक 36,178.50 पुनर्वि. (-)1,459.49	70,956.71	71,026.68	+69.97
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,355.71 लाख एवं ₹ 1,459.49 लाख की कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन होने, महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, लंबित देयकों का भुगतान नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2007-08 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5571-विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना- मूल 368.00 पुनर्वि. (-)95.75	272.25	272.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 95.75 लाख की कमी जिलों में दुर्घटना बीमा के देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2202-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 110-अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 2,500.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)448.84	2,151.16	2,150.14	(-)1.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 448.84 लाख की कमी जिला कोषालय द्वारा देयकों के आहरण पर आपत्ति लगाये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8659-अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,800.32	1,199.68	1,199.68	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 448.84 लाख एवं ₹ 1,800.32 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2008-09 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8)2202-01-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 4,344.60 पुनर्वि. (-)1,372.63	2,971.97	2,970.90	(-)1.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,372.63 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2202-01-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7673-विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान- मूल 358.68 पुनर्वि. (-)344.55	14.13	14.१12	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 344.55 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2202-01-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8647-विज्ञान एवं गणित शिक्षा का विस्तार- मूल 275.00 पुनर्वि. (-)209.43	65.57	65.56	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 209.43 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2202-01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5904-पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय- मूल 1,450.00 पुनर्वि. (-)1,431.50	18.50	18.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,431.50 लाख की कमी पाठ्य पुस्तक निगम से देयक एवं प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2202-01-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1394-छात्राओं का गणवेश मूलभूत न्यूनतम- सेवाओं के लिए- मूल 1,067.00 पुनर्वि. (-)979.40	87.60	87.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 979.40 लाख की कमी हाथ करघा से देयक एवं प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2202-01-111-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 75,000.00 पुनर्वि. (-)8,662.07	66,337.93	66,338.03	+0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,662.07 लाख की कमी स्वीकृति वर्ष के अन्त में प्राप्त होने एवं वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(14) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 2,465.00 पुनर्वि. (-)1,220.46	1,244.54	1,244.41	(-)0.13
(15) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 2,090.00 पुनर्वि. (-)961.76	1,128.24	1,129.56	(-)1.32
उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,220.46 लाख एवं ₹ 961.76 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मानदेय दरों में वृद्धि नहीं किए जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने, भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने एवं रसोई उपकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2017-18 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(16) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना(सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 9,367.70 पुनर्वि. (-)3,061.91	6,305.79	6,303.78	(-)2.01
(17) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 7,221.00 पुनर्वि. (-)2,031.57	5,189.43	5,189.43	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,061.91 लाख एवं ₹ 2,031.57 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2202-02-105-4402—शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय— मूल 883.80 पुनर्वि. (-)223.60	660.20	659.22	(-)0.98
(19) 2202-02-105-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 3694—राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस. सी. ई. आर. टी.) का पुनर्गठन— मूल 691.50 पुनर्वि. (-)189.99	501.51	501.10	(-)0.41

अनुदान संख्या 27—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 223.60 लाख एवं ₹ 189.99 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2202-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5904-पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय-			
मूल	1,220.00		
पुनर्वि.	(-)1,220.00	0.00	0.00

₹ 1,220.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान पाठ्य पुस्तक निगम से देयक विलम्ब से प्राप्त होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(21) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-			
मूल	25,000.00		
पुनर्वि.	(-)24,687.88	312.12	312.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 24,687.88 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भारत सरकार से शेष राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(22) 2202-02-109-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 5551-हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय-			
मूल	2,100.00		
पुनर्वि.	(-)1,209.23	890.77	898.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,209.23 लाख की कमी लोक सभा निर्वाचन हेतु आचार संहिता लागू होने एवं निधि को वैयक्तिक जमा खाते में जमा करने की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	42,287.10		
पूरक	25,906.90		
पुनर्वि.	(-)1,170.30	67,023.70	66,981.57

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,170.30 लाख की कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन किए जाने, मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं किए जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(24) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7367-मॉडल स्कूल योजना-			
मूल	2,076.00		
पुनर्वि.	(-)548.24	1,527.76	1,527.76

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 548.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 2202-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 110—अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 3,150.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)179.78	3,070.22	3,070.22	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 179.78 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(26) 2202-02-800-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 5646—सैनिक स्कूलों की स्थापना— मूल 345.00 पुनर्वि. (-)257.00	88.00	88.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.00 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2202-04-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7362—साक्षर भारत योजना— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)668.00	832.00	832.00	0.00
(28) 2202-04-200-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 6943—राज्य साक्षरता कार्यक्रम— मूल 508.00 पुनर्वि. (-)170.50	337.50	337.50	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 668.00 लाख एवं ₹ 170.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(29) 2202-80-001-3858—लोक शिक्षण संचालनालय— मूल 1,387.50 पुनर्वि. (-)322.83	1,064.67	1,065.76	+1.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 322.83 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं किए जाने, राज्योत्सव में विभागीय स्टॉल नहीं लगाये जाने, डाक एवं फर्नीचर की आवश्यकता नहीं होने, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं एन. एस. डी. एल. से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(30) 2202-80-001-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5526—मदरसा बोर्ड का गठन— मूल 512.40 पुनर्वि. (-)512.40	0.00	0.00	0.00
₹ 512.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 2202-80-001-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 7840-विभागीय कार्यालय-			
मूल	159.80		
पूरक	60.00		
पुनर्वि.	(-)118.93	100.87	100.45
			(-)0.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.93 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं नये मंडल कार्यालय की स्थापना नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल-			
मूल	2,492.88		
पूरक	180.52		
पुनर्वि.	(-)1,203.43	1,469.97	1,428.13
			(-)41.84

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,203.43 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं छत्तीसगढ़ सरकार से फर्नीचर तथा उपकरण के क्रय के लिए स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 2204-104-1084-खेलकूद एवं गतिविधियों पर व्यय-			
मूल	1,036.00		
पुनर्वि.	(-)105.11	930.89	930.89
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.11 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(34) 2205-105-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 4395-सरकारी पुस्तकालय-			
मूल	345.10		
पुनर्वि.	(-)152.87	192.23	194.23
			+2.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 152.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, देयकों के लम्बित होने एवं जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(35) 2205-105-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 7841-सेन्ट्रल लायब्रेरी-			
मूल	348.50		
पुनर्वि.	(-)189.80	158.70	158.70
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 189.80 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं जाने एवं देयकों के लम्बित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-201-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)169.76	130.24	130.24
			0.00

अनुदान संख्या 27—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4202-01-201-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 480.40 पुनर्वि. (-)181.92	298.48	298.48	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 169.76 लाख एवं ₹ 181.92 लाख की कमी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 4202-01-201-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7657—विज्ञान केन्द्र का स्थापना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4202-01-202-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)5,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 5,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान पूर्व राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 4202-01-202-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 5646—सैनिक स्कूलों की स्थापना— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)1,900.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,900.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	6,16,020		
पूरक	3,000	6,19,020	3,90,482
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)2,28,538
			6,504
प्रभारित	8,200	2,991	(-)5,209
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यंत कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 30.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,285.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 65.04 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2011—02—101—4007—विधान सभा—			
मूल	3,761.00		
पूरक	30.00	3791.00	2,379.13
			(-)1,411.87
(2) 2011—02—103—4009—विधान सभा सचिवालय	2,176.30	1,465.08	(-)711.22
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2004—05 से 2017—18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2006—07 से 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2011—02—103—4312—संसदीय कार्य विभाग—			
मूल	127.90		
पुनर्वि.	(-)65.04	62.86	52.32
			(-)10.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 65.04 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने, सम्मेलन आयोजित नहीं होने, मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं किए जाने, वर्ष 2019 के निर्वाचन हेतु आचार संहिता के लागू होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुस्तकें क्रय नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2017—18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2011—02—103—6582—भारतीय संसदीय संघ को सहायक अनुदान	95.00	8.29	(-)86.71

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011—12 से 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 28—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

प्रभारित—

(iv) ₹ 52.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2011-02-101-125-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का भत्ता	82.00	29.91	(-)52.09

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2004-05 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2015—निर्वाचन			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	47,20,725		
पूरक	6,50,801	53,71,526	43,30,593
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)10,40,933 10,46,253
<i>प्रभारित—</i>	<i>6,81,920</i>	<i>5,42,024</i>	<i>(-)1,39,896</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>1,43,141</i>
पूंजीगत:			
मूल	1,40,800		
पूरक	700	1,41,500	1,08,476
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)33,024 33,024
<i>प्रभारित—</i>			
<i>मूल</i>	<i>7,400</i>		
<i>पूरक</i>	<i>14,000</i>	<i>21,400</i>	<i>17,295</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>(-)4,105</i> <i>4,105</i>
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में (₹ 3,130.00 लाख) एवं सितम्बर 2018 (₹ 3,378.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,508.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था। बावजूद इसके तृतीय अनुपूरक बजट प्रावधान में सांकेतिक प्रावधान किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 10,409.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 10,462.53 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-5421-छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी—			
मूल	570.75		
पुनर्वि.	(-)255.28	315.47	315.26
			(-)0.21

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 255.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं अकादमी में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों द्वारा मांग प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2014-105-2410—निर्वाह पत्र तामिल स्थापना—			
मूल	2,024.90		
पुनर्वि.	(-)621.93	1,402.97	1,407.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 621.93 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं नारायणपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			+4.94
(3) 2014-105-4497—सामान्य स्थापना—			
मूल	18,965.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)2,341.85	16,623.15	16,617.90
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 190.00 लाख की कमी न्यायायिक अधिकारियों वेतन एवं भत्तों पुनरीक्षित होने के कारण वेतन एवं भत्तों में कमी होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,151.85 लाख की अन्य कमी न्यायायिक अधिकारियों को गणवेश पात्रता नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,341.85 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2005-06 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			(-)5.25
(4) 2014-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7798—कॉमर्शियल कोर्ट—			
मूल	171.80		
पुनर्वि.	(-)85.48	86.32	87.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.48 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा वित्तीय वर्ष में पीठासीन अधिकारी के पात्र नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+1.41
(5) 2014-108-1912—अपराधिक न्यायालय—			
मूल	73.00		
पुनर्वि.	(-)73.00	0.00	0.53
₹ 73.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			+0.53
(6) 2014-114-3428—महाधिवक्ता—			
मूल	1,187.60		
पुनर्वि.	(-)259.90	927.70	897.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 259.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+6.11
(7) 2014-114-3572—मुफरिसल स्थापना—			
मूल	982.30		
पुनर्वि.	(-)353.56	628.74	646.74
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 353.56 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2005-06 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			+18.00

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2014-117-5416—परिवार न्यायालय की स्थापना—			
मूल	2,382.30		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)907.27	1,475.04	1,473.55
			(-)1.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 907.27 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं परिवार न्यायालय की स्थापना नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2014-118-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7256—न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण—			
मूल	824.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)130.01	693.99	694.49
			+0.50

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 190.00 लाख की वृद्धि कम्प्यूटरीकरण न्यायालय के अंतर्गत नव नियुक्त न्यायायिक अधिकारियों को लेपटॉप, लेजर प्रिंटर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रदान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 320.01 लाख की कमी व्यवस्था अधिकारी एवं सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 130.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2014-800-2918—बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)125.89	24.11	23.79
			(-)0.32

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.89 लाख की कमी निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2014-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5464—हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय—			
मूल	510.00		
पुनर्वि.	(-)110.00	400.00	400.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.00 लाख की कमी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2015-102-2409—निर्वाचन अधिकारी—			
मूल	2,066.80		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	(-)549.36	1,547.44	1,547.92
			+0.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 549.36 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से निधियों एवं मानदेय की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मुद्रण देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 2015-103-3307—मतदाता सूचियों की छपाई एवं तैयारी—			
मूल	2,906.00		
पूरक	1,155.00		
पुनर्वि.	(-)508.24	3,552.76	3,559.44
			+6.68

अनुदान संख्या 29—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 508.24 लाख की कमी जिलों से मानदेय की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मुद्रण देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2015-105-4311—संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार—			
मूल	226.10		
पुनर्वि.	(-)60.81	165.29	153.98
			(-)11.31

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.50 लाख की वृद्धि वास्तविक आवश्यक व्यय किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 91.31 लाख की कमी नियोक्ता से विधान सभा चुनाव 2018 एवं लोक सभा चुनाव 2019 से संबंधित देयक प्राप्त नहीं होने एवं वेंडर से मतदाता पहचान पत्र के देयक प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 60.81 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(15) 2015-106-4006—राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार—				
मूल	11,200.00			
पूरक	5,323.00			
पुनर्वि.	(-)3,097.68	13,425.33	13,437.20	+11.87

समर्पण द्वारा ₹ 3,067.18 लाख की कमी नियोक्ता से विधान सभा चुनाव 2018 एवं लोक सभा चुनाव 2019 से संबंधित देयक प्राप्त नहीं होने एवं वेंडर से मतदाता पहचान पत्र के देयक प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,097.68 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(16) 2015-108-9503—मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना—				
मूल	250.00			
पुनर्वि.	(-)121.89	128.11	128.11	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.89 लाख की कमी वेंडर से मतदाता पहचान पत्र के देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2052-090-9057—विधि एवं विधायी कार्य—				
मूल	942.70			
पुनर्वि.	(-)266.94	675.76	678.95	+3.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 266.94 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने एवं पुरस्कारों की घोषणा नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(18) 2235-60-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
3255—विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायता अनुदान—				
मूल	1,683.80			
पूरक	(-)516.98	1,166.82	1,184.91	+18.09

समर्पण द्वारा ₹ 486.98 लाख की कमी महंगाई भत्ते की दर में कमी एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 516.98 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 1,398.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 1,431.41 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2014-102-573-उच्च न्यायालय—			
मूल	6,605.70		
पुनर्वि.	(-)1,384.05	5,221.65	5,245.97
			+24.32

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 1,384.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, न्यायायिक अधिकारियों से मांग प्राप्त नहीं होने, उच्च न्यायालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं होने, एवं बिजली एवं पानी की कम खपत होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2005-06 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 7.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5464-हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.50 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 298.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4070-800-573-उच्च न्यायालय—			
मूल	67.00		
पूरक	140.00		
पुनर्वि.	(-)40.61	166.39	166.39
			0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 40.61 लाख की कमी अनुपयोगी वाहनों के प्रतिस्थापन प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2501—ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्राम रोजगार			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054—सड़कें तथा सेतु			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	3,22,72,449			
पूरक	63,45,850	3,86,18,299	2,26,88,774	(-)1,59,29,525
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,61,30,524

प्रभारित—

मूल	400			
पूरक	1,452	1,852	1,452	(-)400
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				300

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	67,58,880			
पूरक	2,50,000	70,08,880	59,94,202	(-)10,14,678
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				10,38,961

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 63,458.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,59,295.25 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 1,61,305.24 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-02-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान—			
मूल	40,000.00		
पुनर्वि.	(-)24,851.55	15,148.45	15,148.45
			0.00

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2216-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- मूल 1,17,706.26 पूरक 63,458.50 पुनर्वि. (-)73,218.56	1,07,946.20	1,07,946.20	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 24,851.55 लाख एवं ₹ 73,218.56 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8968-अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना- मूल 1,270.00 पुनर्वि. (-)612.91	657.09	657.09	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 612.91 लाख की कमी वार्षिक एल.आई.सी. बीमा नवीनीकरण के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2501-06-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)6,502.08	8,497.92	8,497.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,502.08 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2501-06-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8775-जिला स्तर की प्रशासनिक योजनाएं- मूल 751.61 पुनर्वि. (-)71.19	680.42	643.23	(-)37.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 71.19 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2505-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मूल 229.30 पुनर्वि. (-)63.28	166.02	152.87	(-)13.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2505-60-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मूल 72,356.00 पुनर्वि. (-)33,931.70	38,424.30	38,424.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 33,931.70 लाख की कमी केन्द्रांश कम प्राप्त होने एवं जिला पंचायतों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2515-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5063-ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान-			
मूल	757.76		
पुनर्वि.	(-)521.38	236.38	242.31
			+5.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 521.38 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2515-101-2467-पंचायत संचालनालय-			
मूल	153.20		
पुनर्वि.	(-)113.37	39.83	39.70
			(-)0.13
(10) 2515-101-2468-पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था-			
मूल	205.25		
पुनर्वि.	(-)52.14	153.11	152.97
			(-)0.14
(11) 2515-101-2474-पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार-			
मूल	12,677.35		
पुनर्वि.	(-)3,914.69	8,762.66	8,744.73
			(-)17.93
उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 113.37 लाख, ₹ 52.14 लाख एवं ₹ 3,914.69 लाख की कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7687-मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना-			
पूरक	1,210.70		
पुनर्वि.	(-)496.01	714.69	725.98
			+11.29
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 496.01 लाख की कमी छत्तीसगढ़ शासन से निधि के आहरण के लिए अनुमति नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7806-हमर छत्तीसगढ़-			
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)53.17	946.83	946.83
			0.00
(14) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	2,531.20		
पुनर्वि.	(-)1,528.69	1,002.51	1,128.60
			+126.09
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 53.17 लाख एवं ₹ 1,528.69 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7644-ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र-			
मूल	359.68		
पुनर्वि.	(-)88.77	270.91	150.47
			(-)120.44

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.77 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई-			
मूल	483.00		
पुनर्वि.	(-)287.70	195.30	106.81
			(-)88.49

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41.92 लाख की कमी मांग कम प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 245.78 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 287.70 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण द्वारा कमी के पर्याप्त कारणों साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 3054-04-105-4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	40,000.00		
पुनर्वि.	(-)14,000.00	26,000.00	26,035.85
			+35.85

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14,000.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1033-विकास खण्ड कार्यालय-			
मूल	5,565.96		
पुनर्वि.	(-)26.03	5,539.93	5,742.65
			+202.72
(2) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	4,792.18		
पुनर्वि.	(-)60.33	4,731.85	5,046.16
			+314.31

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 26.03 लाख एवं ₹ 60.33 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(3) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	3,839.23		
पुनर्वि.	(-)788.16	3,051.07	4,692.89
			+1,641.82

अनुदान संख्या 30—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41.92 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 830.08 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 788.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

प्रभारित—

(v) ₹ 4.00 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 3.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 2,500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 10,146.78 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 10,389.61 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7644-ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र-			
मूल	320.00		
पुनर्वि.	(-)260.00	60.00	0.00
(2) 4515-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,966.00	34.00	(-)22.83
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 260.00 लाख एवं ₹ 1,966.00 लाख की कमी कम कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4515-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन-			
मूल	2,200.00		
पूरक	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,108.33	2,591.67	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,108.33 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(4) 4515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7658-सांसद आदर्श ग्राम योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
(6) 4515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7659-विधायक आदर्श ग्राम योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 5054-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00
(8) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,000.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,000.00 लाख एवं ₹ 3,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान व्यय निविदा किशत से नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

(1) 5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	5,471.80		
पुनर्वि.	1,000.00	6,471.80	6,693.50
			+221.70

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख का आवर्धन मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य को पूर्ण किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(2) 5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	2,500.00	2,550.44	+50.44
---	----------	----------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 31—योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,82,980		
पूरक	10,000	3,92,980	2,71,422
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-),21,558
00			
प्रभारित	40	00	(-),40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,215.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3451-101-3686-राज्य योजना आयोग	488.50	265.32	(-),223.18
(2) 3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7639-राज्य योजना का सुदृढीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान	142.00	34.20	(-),107.80
(3) 3454-02-111-1430-जन्म मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन— मूल	327.70		
पूरक	100.00	427.70	343.32
(4) 3454-02-201-512-नमूना सर्वेक्षण	199.90	122.54	(-),77.36
(5) 3454-02-205-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	2,606.40	1,931.94	(-),674.46

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (3), (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009-10 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—		
2015—निर्वाचन		
2029—भू—राजस्व		
2039—राज्य उत्पाद शुल्क		
2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर		
2051—लोक सेवा आयोग		
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं		
2053—जिला प्रशासन		
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2055—पुलिस		
2056—जेल		
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण		
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
2075—विविध सामान्य सेवाएं		
2202—सामान्य शिक्षा		
2203—तकनीकी शिक्षा		
2204—खेल और युवा कल्याण		
2205—कला एवं संस्कृति		
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2215—जलपूर्ति तथा सफाई		
2217—शहरी विकास		
2220—सूचना तथा प्रचार		
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास		
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं		
2401—फसल कृषि—कर्म		
2403—पशुपालन		
2405—मछली पालन		
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी		
2425—सहकारिता		
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
2701—मध्यम सिंचाई		
2702—लघु सिंचाई		
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग		
2852—औद्योगिक		
2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग		
3054—सड़क तथा सेतु		
3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		
4220—सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय		

अनुदान संख्या 32—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल.	22,54,250		
पूरक	6,00,000	28,54,250	(-)5,69,347
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			5,68,972
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			10
पूँजीगत :			
दत्तमत	500	00	(-)500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			500

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 22,849.03 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 6,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 5,693.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 5,689.72 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2039—001—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)123.03	26.97	0.00
(2) 2220—01—001—2320—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	9,503.60		
पूरक	2,745.50		
पुनर्वि.	(-)2,235.93	10,013.17	10,013.50
(3) 2220—60—106—1479—जिला प्रचार एवं मोबाइल यूनिट की स्थापना—			
मूल	3,278.00		
पूरक	2,153.00		
पुनर्वि.	(-)2,109.28	3,321.72	3,319.75
(4) 2220—60—106—4065—विशेष अवसरों पर प्रचार—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)235.96	1,264.04	1,264.04

अनुदान संख्या 32—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2220—60—106—5376—इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रचार प्रसार—			
मूल.	6,000.00		
पूरक	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)862.51	6,237.49	6,237.43
			(-)0.06

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 123.03 लाख, ₹ 2,235.93 लाख, ₹ 2,109.28 लाख, ₹ 235.96 लाख एवं ₹ 862.51 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015—16 से 2017—18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2008—09 से 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2701—01—800—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल.	120.00		
पुनर्वि.	77.32	197.32	197.32
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 12.68 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 77.32 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण द्वारा कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2014—15 से 2017—18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत—

(vi) ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2017—18 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	2,07,40,200		
पुरक	1,06,02,100	3,13,42,300	2,95,48,861
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)17,93,439 17,99,914
<i>प्रभारित</i>		1,000	2,000
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			+1,000 00

पूंजीगत:

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	5,800	265	(-)5,535 4,235
---	-------	-----	-------------------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 2,95,488.61 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2018 (₹ 38,400.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था एवं जनवरी 2019 (₹ 67,621.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 17,934.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 17,999.14 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-2721—प्रशासन का सुदृढीकरण विकास खण्ड स्तर—			
मूल	4,829.70		
पुनर्वि.	(-)1,130.51	3,699.19	3,693.11
(2) 2202-01-101-2772—प्राथमिक शालाएं—			
मूल	56,738.70		
पूरक	51,556.00		
पुनर्वि.	(-)2,509.13	1,05,785.57	1,05,604.40
			(-)181.17

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-101-495—आश्रम और शालाएं—			
मूल	3,499.60		
पुनर्वि.	(-)1,572.45	1,927.15	2,044.19
			+117.04

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,130.51 लाख, ₹ 2,509.13 लाख एवं ₹ 1,572.45 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने, किराये पर भवन उपलब्ध नहीं होने एवं भुगतान हेतु देयक लम्बित होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत एवं आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) तथा 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(4) 2202-02-109-3492—माध्यमिक विद्यालय—				
मूल	88,881.80			
पूरक	29,200.00			
पुनर्वि.	(-)4,666.00	1,13,415.80	1,13,566.08	+150.28

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,666.00 लाख की कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन होने, मंहगाई भत्ते की किश्त प्राप्त नहीं होने, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निर्धारित तिथि में देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-02-109-363—आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—				
मूल	1,072.80			
पुनर्वि.	(-)87.27	985.53	969.40	(-)16.13

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 91.40 लाख की वृद्धि वेतन का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 178.67 लाख की कमी मंहगाई भत्ते की किश्त प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 87.27 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-02-109-583—उच्चतर माध्यमिक शालाएं—				
मूल	33,749.10			
पूरक	25,265.00			
पुनर्वि.	(-)3,224.47	55,789.63	55,718.72	(-)70.91

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 91.40 लाख की कमी वेतन मद में बचत होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,133.07 लाख की अन्य कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन होने, मंहगाई भत्ते की किश्त प्राप्त नहीं होने, जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निर्धारित तिथि में देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,224.47 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2202-02-109-979—क्रीड़ा परिसर—				
मूल	1,498.00			
पुनर्वि.	(-)504.11	993.89	1,011.08	+17.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 504.11 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2225-02-110-307—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान—				
मूल	3,850.00			
पुनर्वि.	(-)567.01	3,282.99	3,282.99	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 567.01 लाख की कमी सरकार से अंतिम किश्त प्राप्त होने में विलम्ब एवं वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 33—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2225-02-001-1483—जिला प्रशासन— मूल 6,106.60 पुनर्वि. (-)1,515.06	4,591.54	4,569.70	(-)21.84

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,515.06 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2225-02-001-3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास— मूल 1,064.30 पुनर्वि. (-)531.79	532.51	522.16	(-)10.35
---	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 531.79 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वाहनों को राजसात किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2225-02-001-6130—संचालनालय— मूल 1,849.10 पुनर्वि. (-)543.24	1,305.86	1,298.80	(-)7.06
--	----------	----------	---------

(12) 2515-101-5495—मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का वेतन— मूल 3,189.50 पुनर्वि. (-)1,087.75	2,101.75	2,084.23	(-)17.52
---	----------	----------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 543.24 लाख एवं ₹ 1,087.75 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-02-109-761—कन्या शिक्षा परिसर	562.90	656.71	+93.81

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

प्रभारित—

(v) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 10,00,000 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) विनियोग में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2225-02-001-6130—संचालनालय		10.00	20.00 +10.00

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

पूजीगत:

(vii) ₹ 55.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 42.35 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	10,40,251	6,39,287	(-)4,00,964
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			4,00,218
<i>प्रभारित</i>	<i>40</i>	<i>00</i>	<i>(-)40</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> (31 मार्च 2019)			<i>40</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,000	117	(-)883
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,000
टीका एवं टिप्पणी:			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 4,009.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 4,002.18 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-2322-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	2,339.10		
पुनर्वि.	(-)983.00	1,356.10	(-)9.40
(2) 2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2969-बिलासपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना—			
मूल	232.62		
पुनर्वि.	(-)110.16	122.46	+0.06
(3) 2235-02-101-79-दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शालाएं तथा संस्थाएं—			
मूल	1,631.37		
पुनर्वि.	(-)675.88	955.49	+0.57

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 983.00 लाख, ₹ 110.16 लाख एवं ₹ 675.88 लाख की कमी के कारणों के साथ क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2009-10 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 34—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-02-101-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— 7491—निःशक्त जनों को बाधा रहित सुविधाओं का विकास— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2235-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3921—निःशक्तजनों की सहायता के लिये योजना— मूल 545.00 पुनर्वि. (-)168.95	376.05	376.05	0.00
(6) 2235-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8664—फिजिकल रिफरल रिहबिलीटेशन सेंटर की माना में स्थापना— मूल 135.27 पुनर्वि. (-)111.19	24.08	24.08	0.00
(7) 2235-02-104-8980—घरौंदा योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)100.00	100.00	100.00	0.00
(8) 2235-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7014—वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना— मूल 310.00 पुनर्वि. (-)96.17	213.83	213.83	0.00
(9) 2235-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8662—छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना— मूल 1,700.00 पुनर्वि. (-)595.00	1,105.00	1,105.00	0.00
(10) 2235-02-106-2517—परीवीक्षा इकाई— मूल 280.04 पुनर्वि. (-)124.32	155.72	156.31	+0.59
(11) 2235-02-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5490—राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन— मूल 183.90 पुनर्वि. (-)77.59	106.31	106.31	0.00
(12) 2235-02-200-795—कला पथक— मूल 534.06 पुनर्वि. (-)275.04	259.02	256.51	(-)2.51

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 168.95 लाख, ₹ 111.19 लाख, ₹ 100.00 लाख, ₹ 96.17 लाख, ₹ 595.00 लाख, ₹ 124.32 लाख, ₹ 77.59 लाख एवं ₹ 275.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) एवं 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34—समाप्त

प्रभारित—

वर्ष के दौरान सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।

पूंजीगत:

(i) ₹ 8.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 10.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 35—पुर्नवास

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व	22,960	14,798	(-)8,162
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

(i) ₹ 81.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-01-200-4625—स्थायी दायित्व गृह माना, जिला रायपुर का संचालन	176.20	124.63	(-)51.57

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2003-04 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद			
2041—वाहन कर			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
5055—सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	7,64,386		
पूरक	सांकेतिक	7,64,386	3,84,958
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)3,79,428
			3,78,524
<i>प्रभारित</i>	<i>2,010</i>	<i>665</i>	<i>(-)1,345</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>1,345</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	3,22,100	30,932	(-)2,91,168
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			2,91,168
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) ₹ 3,794.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 3,785.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013-108-3283—मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय—			
मूल	296.40		
पुनर्वि.	(-)97.28	199.12	189.56
			(-)9.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.28 लाख की कमी विधान सभा एवं लोकसभा निर्वाचन हेतु आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2041-001-3565—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	1,272.25		
पुनर्वि.	(-)915.75	356.50	361.69
			+5.19
(3) 2041-001-8333—सड़क सुरक्षा कोष से व्यय—			
मूल	120.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)116.18	3.82	1.72
			(-)2.10

अनुदान संख्या 36—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 915.75 लाख एवं ₹ 116.18 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2041-001-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7749-अत्याधुनिक वाहनों के परीक्षण एवं प्रमाणपत्र वितरण केन्द्र स्थापना-			
मूल	315.00		
पुनर्वि.	(-)315.00	0.00	0.00

₹ 315.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2041-101-4280-संग्रह प्रभार-			
मूल	2,983.50		
पुनर्वि.	(-)1,534.71	1,448.79	(-)4.96
(6) 2041-102-679-एन्फोर्समेंट-			
मूल	1,178.65		
पुनर्वि.	(-)522.85	655.80	(-)5.12

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,534.71 लाख एवं ₹ 522.85 के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007-08 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2070-114-3598-मोटर गैरेज-			
मूल	1,110.18		
पुनर्वि.	213.03	897.15	(-)0.85

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 213.03 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित-

(iii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2070-114-3598-मोटर गैरेज-			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	(-)13.35	6.65	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 13.35 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 36-समाप्त

पूँजीगत-
दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5055-050-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7749-अत्याधुनिक वाहन-परीक्षण एवं प्रमाण पत्र वितरण केन्द्र की स्थापना-			
मूल	675.00		
पुनर्वि.	(-)675.00	0.00	0.00
(2) 5055-050-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7750-ड्रायविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान-			
मूल	1,440.00		
पुनर्वि.	(-)1,440.00	0.00	0.00
(3) 5055-800-679-एन्फोर्समेंट-			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	(-)60.00	0.00	0.00
(4) 5055-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7749-अत्याधुनिक वाहन-परीक्षण एवं प्रमाण पत्र वितरण केन्द्र की स्थापना-			
मूल	450.00		
पुनर्वि.	(-)450.00	0.00	0.00
(5) 5055-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7750-ड्रायविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान-			
मूल	260.00		
पुनर्वि.	(-)260.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 675.00 लाख, ₹ 1,440.00 लाख, ₹ 60.00 लाख, ₹ 450.00 लाख एवं ₹ 260.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

	(सभी दत्तमत) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
3452-पर्यटन			
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	2,73,000	57,000	(-)2,16,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			2,16,000
पूंजीगत	3,17,000	1,37,683	(-)1,79,317
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,79,317
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3239-छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को अनुदान-			
मूल	2,600.00		
पुनर्वि.	(-)2,050.00	550.00	550.00
(2) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7323-भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान-			
मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)110.00	20.00	20.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,050.00 लाख एवं ₹ 110.00 लाख की कमी मांग होने पर भी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5452-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7771-पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों हेतु अनुदान-			
मूल	3,070.00		
पुनर्वि.	(-)1,793.17	1,276.83	1,276.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,793.17 लाख की कमी मांग होने पर भी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
4408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,27,21,545		
पूरक	15,390	2,27,36,935	1,94,51,633
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)32,85,302 00
प्रभारित	50	32	(-)18 00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
पूंजीगत:			
दत्तमत	73,451	5,047	(-)68,404 0.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 153.90 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 32,853.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2408-01-001-1471—जिला कार्यालय	2,363.61	2,163.71	(-)199.90
(2) 2408-01-001-629—उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	1,377.20	990.14	(-)387.06
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2013-14 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 2408-01-001-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7944—एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली	153.90	0.00	(-)153.90
(4) 2408-01-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8919—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	591.50	0.00	(-)591.50

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 39—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2408-01-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7872—पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन	20,797.00	3,183.63	(-)17,613.37
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(6) 2408-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7801—मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना— मूल 1,250.00 पुनर्वि. (-)3.48	1,246.52	0.00	(-)1,246.52
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 3.48 लाख की कमी के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2408-01-102-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 5456—अंत्योदय अन्न योजना	911.11	343.24	(-)567.87
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8933—शक्कर वितरण योजना	10,000.00	0.00	(-)10,000.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9993—रियायती दर पर आयोजाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	5,000.00	3,250.00	(-)1,750.00
(10) 2408-01-106-6112—मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय	687.85	605.39	(-)82.46
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत बचत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.50 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 684.04 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6408-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6914—पहुँच विहीन क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में खाद्यान्न भंडारण हेतु सहायता	125.00	0.00	(-)125.00
(2) 6408-02-190-0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	525.00	0.00	(-)525.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 40—आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय

	(सभी दत्तमत) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2705—कमान क्षेत्र विकास			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	47,066	24,338	(-)22,728
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			22,542
पूंजीगत	26,10,000	1,13,762	(-)24,96,238
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			25,00,163
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 227.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 225.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3436—महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण— मूल 193.14 पुनर्वि. (-)49.46	143.68	141.96	(-)1.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 49.46 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मार्च 2019 में देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6305—सिंचाई सहभागिता प्रबन्ध समितियों को अनुदान— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)125.23	24.77	24.77	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.23 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5593—हसदेव विकास प्राधिकरण— मूल 115.52 पुनर्वि. (-)47.98	67.54	67.40	(-)0.14
---	-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 47.98 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मार्च 2019 में देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(iii) ₹ 24,962.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 25,001.63 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 40—समाप्त

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4705-209-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)501.61	498.39	537.64
			+39.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 501.61 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4705-210-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7907-कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति (आई.एस.बी.आई.जी.)-				
मूल	24,500.00			
पुनर्वि.	(-)24,500.00	0.00	0.00	0.00

₹ 24,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(v) उचत लेन देन:-

'उचत' लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के नीचे टिप्पणी (vi) में दी गई है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत 2018-19 तक इस अनुभाग में लेखांकित उचत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2018 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2019 को नामे+ जमा (-)
4701-मध्यम सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय-				
(₹ लाख में)				
(1) क्रय	(-)4.74	0.00	0.00	(-)4.74
(2) भण्डार	(-)0.03	0.00	0.00	(-)0.03
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+15.07	0.00	0.00	+15.07
योग	+10.30	0.00	0.00	+10.30

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेलकूद तथा यूवा सेवाएं
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जलपूर्ति तथा सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2220—सूचना तथा प्रचार
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्राम रोजगार
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 3275—अन्य संचार सेवाएं
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलपूर्ति और मल प्रत्याहरण पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4401—फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4405—मतस्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4408—खाद्य, भंडारण तथा भोजगार पर पूंजीगत परिव्यय
 4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4810—गैर—पारम्परिक उर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 41—जारी

4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 4853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 5275—संचार पर पूंजीगत परिव्यय
 6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6401—फसल पालन के लिए कर्ज
 6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज
 6425—सहकारिता के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	12,30,45,725		
पूरक	4,67,23,206	16,97,68,931	(-)3,90,79,434
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			3,66,00,007
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>10</i>

पूंजीगत:

दत्तमत—			
मूल	3,01,71,391		
पूरक	24,86,238	3,26,57,629	(-)1,26,76,358
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,23,50,270
<i>प्रभारित</i>	<i>1,510</i>	<i>1,000</i>	<i>(-)510</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>00</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 13,06,894.97 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2018 (₹ 95,288.72 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था जबकि सितम्बर 2018 (₹ 91,200.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2,80,743.33 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,67,232.06 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 3,90,794.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 3,66,000.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3491—माध्यमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	36,911.10		
पूरक	15,397.80		
पुनर्वि.	(-)1,721.80	50,587.10	(-)15.68

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,721.80 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते हेतु किश्त प्राप्त न होने, जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	27,296.70		
पूरक	33,717.70		
पुनर्वि.	(-)6,960.18	54,054.22	54,080.52
			+26.30

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.60 लाख की कमी वेतन शीर्ष में निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 6,954.58 लाख की अन्य कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने, जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने, देयकों के लम्बित होने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पंचायत संवर्ग शिक्षकों का नियमित शिक्षक में संविलियन होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 495-आश्रम और शालाएं-				
मूल	26,142.20			
पुनर्वि.	(-)6,557.03	19,585.17	19,913.90	+328.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,557.03 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5092-जवाहर उत्कर्ष योजना-				
मूल	1,000.00			
पुनर्वि.	(-)505.08	494.92	494.92	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 505.08 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2202-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8659-अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति-				
मूल	2,280.00			
पुनर्वि.	(-)1,367.91	912.09	912.09	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,367.91 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(6) 2202-01-796-108-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5904-निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय-				
मूल	2,100.00			
पुनर्वि.	(-)2,087.66	12.34	12.34	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,087.66 लाख की कमी पाठ्य पुस्तक निगम से देयकों के एवं प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-01-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8979—एकीकृत अम्ब्रेला योजना— मूल 13,800.00 पूरक 7,520.00 पुनर्वि. (-)12,894.14	8,425.86	11,024.50	+2,598.64
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,894.14 लाख की कमी निधि का आहरण पोर्टल पर पंजीयन में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2202-01-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1394—छात्राओं का गणवेश (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)300.00	900.00	900.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी हाथकरघा से देयक विलम्ब से प्राप्त होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2202-01-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3673—राज्य छात्रवृत्तियाँ— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)7,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 7,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(10) 2202-01-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7437—मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना— मूल 2,865.80 पुनर्वि. (-)873.95	1,991.85	1,977.67	(-)14.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 873.95 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2202-01-796-111-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 57,000.00 पुनर्वि. (-)14,860.58	42,139.42	42,139.42	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14,860.58 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 5,436.00 पुनर्वि. (-)1,549.36	3,886.64	3,886.64	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 4,393.00 पुनर्वि. (-)1,431.53	2,961.46	2,969.94	+8.48
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,549.36 लाख एवं ₹ 1,431.53 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(14) 2202-02-796-106-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 1,780.00 पुनर्वि. (-)1,780.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,780.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान पाठ्य पुस्तक निगम से देयकों के एवं प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(15) 2202-02-796-109-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5480—आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, अनुच्छेद—{275(i)}— मूल 4,289.00 पुनर्वि. (-)2,469.93	1,819.07	2,778.62	+959.55
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,469.93 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-02-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)19,787.18	212.82	212.82	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 19,787.18 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने एवं राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1395—छात्रावास— मूल 23,991.50 पुनर्वि. (-)4,077.01	19,914.49	19,903.01	(-)11.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,077.01 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5216-हाई स्कूल-			
मूल	10,088.80		
पूरक	9,197.00		
पुनर्वि.	(-)1,004.14	18,281.66	18,272.04
			(-)9.62
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.69 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,000.45 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,004.14 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(19) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5551-हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय-			
मूल	2,550.00		
पुनर्वि.	(-)1,676.98	873.02	873.02
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,676.98 लाख की कमी आचार संहिता के लागू होने से सायकल वितरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(20) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	30,525.60		
पूरक	18,200.00		
पुनर्वि.	(-)806.53	47,919.17	47,895.29
			(-)23.88
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 806.53 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6140-छात्र भोजन सहायता योजना-			
मूल	925.00		
पुनर्वि.	(-)114.20	810.80	810.80
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.20 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7363-युवा कैरियर निर्माण योजना-			
मूल	730.40		
पुनर्वि.	(-)321.57	408.83	397.14
			(-)11.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 321.57 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7367-मॉडल स्कूल योजना-			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)200.88	899.12	899.12
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.88 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न-			
मूल	1,800.00		
पुनर्वि.	(-)393.04	1,406.96	1,406.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 393.04 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00
(25) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 761-कन्या शिक्षा परिसर-			
मूल	650.50		
पूरक	296.50		
पुनर्वि.	(-)288.22	658.78	705.10
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.68 लाख की वृद्धि मजदूरी का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 291.90 लाख की कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 288.22 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			+46.32
(26) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7806-हमर छत्तीसगढ़-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00
₹ 250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			0.00
(27) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8549-विज्ञान वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना-			
मूल	274.50		
पुनर्वि.	(-)121.35	153.15	153.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.35 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			+0.02
(28) 2202-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 307-अशासकीय संस्थाओं को अंशदान-			
मूल	5,737.00		
पुनर्वि.	(-)1,623.51	4,113.49	4,113.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,623.51 लाख की कमी शासन से कम मांग प्राप्त होने एवं वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(29) 2202-03-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-			
मूल	3,996.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)3,636.00	360.00	360.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,636.00 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7289-सरगुजा विश्वविद्यालय-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	80.00	80.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00
(31) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7290-बस्तर विश्वविद्यालय-			
मूल	425.00		
पुनर्वि.	(-)255.00	170.00	170.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 255.00 लाख की कमी शासन से स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(32) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7445-सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	100.00	100.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00
(33) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7751-स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना-			
मूल	182.00		
पुनर्वि.	(-)134.11	47.89	47.89
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.11 लाख की कमी सरकार से स्वीकृति जारी नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(34) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय-			
मूल	10,594.10		
पुनर्वि.	(-)3,993.59	6,600.51	6,598.44
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,993.59 लाख की कमी नवीन योजना के क्रियान्वयन नहीं होने, आभासी कक्ष के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)2.07
(35) 2202-04-796-200-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7362-साक्षर भारत योजना-			
मूल	1,600.00		
पुनर्वि.	(-)1,600.00	0.00	0.00
₹ 1,600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि के प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(36) 2203-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	3,312.25		
पुनर्वि.	(-)603.34	2,708.91	2,984.12
			+275.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 603.34 लाख की कमी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू नहीं किए जाने, तकनीकी संस्थानों में कार्यरत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को ए.आई.सी.टी.ई. के अन्तर्गत छठवें वेतन मान के अनुसार वेतन एवं भत्तों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण-			
मूल	112.10		
पुनर्वि.	(-)112.10	0.00	0.00
			0.00
₹ 112.10 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से जिमनेजियम के लिए उपकरण क्रय किए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निधि की मांग वर्षान्त में प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(38) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1190-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता-			
मूल	190.00		
पुनर्वि.	(-)150.10	39.90	39.90
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.10 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(39) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन-			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)121.70	58.30	58.30
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.70 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(40) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7819-युवा शक्ति योजना-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)380.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(41) 2205-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5377-मुक्ताकाश संग्रहालय-			
मूल	610.00		
पुनर्वि.	(-)140.76	469.24	469.24
			0.00
(42) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7397-छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पोंस सर्विसेस योजना-			
मूल	1,520.00		
पुनर्वि.	(-)912.00	608.00	608.00
			0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(43) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8940-चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा- मूल 2,365.50 पुनर्वि. (-)821.17	1,544.33	1,544.08	(-)0.25
(44) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8950-चिकित्सा महाविद्यालय और सम्बद्ध चिकित्सालय, जगदलपुर- मूल 3,429.40 पुनर्वि. (-)561.06	2,868.34	2,849.82	(-)18.52
(45) 2210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला चिकित्सालय- मूल 9,581.20 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)3,514.74	6,066.46	5,801.67	(-)264.79
उपरोक्त क्रम संख्या (41) से (45) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 140.76 लाख, ₹ 912.00 लाख, ₹ 821.17 लाख, ₹ 561.06 लाख एवं ₹ 3,514.74 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ उपरोक्त क्रम संख्या (44) एवं (45) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (43) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (45) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(46) 2210-01-796-200-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6960-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना- मूल 9,500.00 पुनर्वि. (-)6,832.70	2,667.30	2,667.30	0.00
(47) 2210-01-796-200-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8645-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना- मूल 5,016.00 पुनर्वि. (-)3,009.60	2,006.40	2,006.40	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (46) एवं (47) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 6,832.70 लाख एवं ₹ 3,009.60 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(48) 2210-01-796-200-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8649-मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(49) 2210-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7730-राष्ट्रीय आयुष मिशन	720.00	503.78	(-)216.22

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(50) 2210-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	542.00	420.26	(-)121.74
उपरोक्त क्रम संख्या (49) एवं (50) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(51) 2210-03-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9360-जीवन ज्योति चलित औषधालय की स्थापना-			
मूल	200.50		
पुनर्वि.	(-)136.91	63.59	99.69
			+36.10
(52) 2210-03-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6884-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-			
मूल	37,860.00		
पुनर्वि.	(-)9,563.74	28,296.26	28,296.26
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (51) एवं (52) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 136.91 लाख एवं ₹ 9,563.74 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (51) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(53) 2210-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	3,042.40	2,572.46	(-)469.94
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(54) 2210-05-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5689-चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर-			
मूल	3,970.80		
पुनर्वि.	(-)1,078.15	2,892.65	2,892.44
			(-)0.21
(55) 2210-05-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8941-चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा-			
मूल	2,229.00		
पूरक	175.00		
पुनर्वि.	(-)969.67	1,434.33	1,433.68
			(-)0.65
उपरोक्त क्रम संख्या (54) एवं (55) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,078.15 लाख एवं ₹ 969.67 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (55) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(56) 2210-06-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण-			
मूल	436.20		
पुनर्वि.	(-)257.48	178.72	178.01
			(-)0.71

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(57) 2210-06-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण-			
मूल	699.95		
पूरक	10.66		
पुनर्वि.	(-)283.05	427.56	427.58
			+0.02
उपरोक्त क्रम संख्या (56) एवं (57) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 257.48 लाख एवं ₹ 283.05 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(58) 2210-06-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5026-छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)520.00	1,480.00	1,480.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 520.00 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(59) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4244-शीत ज्वर-			
मूल	1,695.39		
पुनर्वि.	(-)533.56	1,161.83	1,169.08
			+7.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 533.56 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(60) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7679-टी.बी. रोकथाम के लिए पोषक खाद्य प्रदाय-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(61) 2211-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 336-ऑक्जीलियरी नर्स, मिड वाइफ एवं हेल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण-			
मूल	274.00		
पुनर्वि.	(-)113.68	160.32	158.89
			(-)1.43

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(62) 2211-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 11,669.75 पुनर्वि. (-)2,660.28	9,009.47	10,134.60	+1,125.13
उपरोक्त क्रम संख्या (61) एवं (62) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 113.68 लाख एवं ₹ 2,660.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (62) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (61) एवं 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (62) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(63) 2215-01-796-005-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1196—ग्रामीण जल प्रदाय सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल— मूल 141.00 पुनर्वि. (-)108.01	32.99	32.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.01 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(64) 2215-01-796-193-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6879—वाइफ नगर जल प्रदाय योजना— मूल 678.97 पुनर्वि. (-)407.97	271.00	271.00	0.00
(65) 2215-01-796-193-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7370—कोटवा जल प्रदाय योजना— मूल 560.96 पुनर्वि. (-)196.96	364.00	364.00	0.00
(66) 2215-01-796-193-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8908—नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)400.00	1,100.00	1,100.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (64) से (66) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 407.97 लाख, ₹ 196.96 लाख एवं ₹ 400.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(67) 2215-02-796-107-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 30,400.00 पुनर्वि. (-)11,059.97	19,340.03	19,340.03	0.00
(68) 2216-03-796-105-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7807—प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 89,456.76 पूरक 48,228.46 पुनर्वि. (-)52,256.45	85,428.77	85,428.77	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (67) एवं (68) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 11,059.97 लाख एवं ₹ 52,256.45 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश की राशि आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (67) एवं 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (68) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(69) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 1,707.47 पूरक 381.36 पुनर्वि. (-)381.36	1,707.47	1,707.47	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 381.36 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(70) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 330.00 पुनर्वि. (-)133.35	196.65	196.65	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.35 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(71) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 916.97 पूरक 204.81 पुनर्वि. (-)204.85	916.93	916.93	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 204.85 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(72) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 220.00 पुनर्वि. (-)185.22	34.78	34.78	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 185.22 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(73) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 537.53 पूरक 120.06 पुनर्वि. (-)120.06	537.53	537.53	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.06 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(74) 2220-60-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9797-आदिवासी क्षेत्रों में सूचना केम्प का आयोजन-			
मूल	3,500.00		
पुनर्वि.	(-)438.43	3,061.57	3,061.57
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 438.43 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(75) 2225-02-796-001-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास-			
मूल	166.30		
पूरक	42.10		
पुनर्वि.	(-)192.32	16.08	16.08
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 192.32 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(76) 2225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5024-आदिवासी विशेष पिछड़े समूह-			
मूल	1,750.00		
पुनर्वि.	(-)1,150.10	599.90	599.90
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,150.10 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2019)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(77) 2225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7672-वनबन्धु कल्याण योजना-			
मूल	562.50		
पुनर्वि.	(-)562.50	0.00	0.00
			0.00
₹ 562.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(78) 2225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय थ्वकास कार्यक्रम-			
मूल	8,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,925.77	5,074.23	140.66
			(-)4,933.57
(79) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5601-बस्तर विकास प्राधिकरण-			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)226.10	123.90	123.90
			0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(80) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5602-सरगुजा / जशपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)179.87	170.13	0.00
(81) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6870-अनु. जनजाति के हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध बाबत-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	80.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (78) से (81) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,925.77 लाख, ₹ 226.10 लाख, ₹ 179.87 लाख एवं ₹ 120.00 लाख की कमी के कारणों के साथ क्रम संख्या (78) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (78) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (79) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(82) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9853-आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास-			
मूल	809.00		
पुनर्वि.	(-)310.23	498.77	+15.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 310.23 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(83) 2225-02-796-277-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना-			
मूल	245.00		
पुनर्वि.	(-)245.00	0.00	0.00
₹ 245.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि के प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(84) 2225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएँ-			
मूल	678.00		
पुनर्वि.	(-)541.86	136.14	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 541.86 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(85) 2230-03-796-003-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7867-प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना-			
मूल	997.74		
पुनर्वि.	(-)997.74	0.00	0.00
₹ 997.74 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(86) 2230-03-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	184.22		
पुनर्वि.	(-)113.28	70.94	(-)0.08
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 25.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 88.28 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 113.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(87) 2230-03-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	2,746.54		
पुनर्वि.	(-)914.98	1,831.56	(-)5.97
(88) 2230-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना-			
मूल	3,990.00		
पुनर्वि.	(-)1,570.00	2,420.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (87) एवं (88) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 914.98 लाख एवं ₹ 1,570.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (87) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (87) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (88) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(89) 2235-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3923-विकलांगों अपंगों की सहायता के लिए योजना-			
मूल	142.00		
पुनर्वि.	(-)115.86	26.14	0.00
(90) 2235-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 79-दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शालाएं तथा संस्थाएं-			
मूल	410.02		
पुनर्वि.	(-)62.24	347.78	(-)71.48
उपरोक्त क्रम संख्या (89) एवं (90) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 115.86 लाख एवं ₹ 62.24 लाख की कमी के कारणों के साथ क्रम संख्या (90) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(91) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5354-एकीकृत सेवा योजना- (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)-			
मूल	1,666.00		
पुनर्वि.	(-)813.64	852.36	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 813.64 लाख की कमी विश्व बैंक द्वारा सहायित स्निप योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(92) 2235-02-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 5,000.00 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)3,429.44	1,570.57	1,570.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,429.44 लाख की कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(93) 2235-02-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 19,436.32 पुनर्वि. (-)2,609.74	16,826.58	16,825.11	(-)1.47
समर्पण द्वारा ₹ 2,697.74 लाख की कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 88.00 लाख की वृद्धि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,609.74 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(94) 2235-02-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का परिवीक्षण— मूल 613.45 पुनर्वि. (-)285.62	327.83	327.34	(-)0.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.62 लाख की कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(95) 2235-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय— मूल 3,420.00 पूरक 4,387.38 पुनर्वि. (-)1,893.24	5,914.14	5,914.05	(-)0.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,893.24 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(96) 2235-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई. घटक— मूल 1,102.00 पुनर्वि. (-)873.63	228.37	218.37	(-)10.00
(97) 2235-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8958—आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युत व्यय— मूल 154.00 पुनर्वि. (-)119.33	34.67	34.76	+0.09

उपरोक्त क्रम संख्या (96) एवं (97) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 873.63 लाख एवं ₹ 119.33 लाख की कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (96) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (96) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (97) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(98) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)248.72	151.28	151.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 248.72 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(99) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7875-सुचिता योजना-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)380.00	0.00	0.00
₹ 380.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(100) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8957-नोनी सुरक्षा योजना-			
मूल	1,140.00		
पुनर्वि.	(-)1,003.78	136.22	136.22
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 88.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 915.78 लाख की अन्य कमी पात्रता के अनुसार हितग्राहियों के नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,003.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(101) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9369-महिला जागृति शिविर-			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)110.99	69.01	69.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.99 लाख की कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(102) 2235-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8662-छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना-			
मूल	2,100.00		
पुनर्वि.	(-)735.00	1,365.00	1,365.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 735.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(103) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7361-सबला योजना-			
मूल	1,180.00		
पुनर्वि.	(-)791.98	388.02	387.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 791.98 लाख की कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(104) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	25,930.00		
पुनर्वि.	(-)10,724.38	15,205.62	15,219.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,724.38 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(105) 2236-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 7747—महतारी जतन योजना— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)125.26	824.74	825.38	+0.64
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की वृद्धि महतारी जतन योजना के लिए रसोई हेतु बरतनों का क्रय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 275.26 लाख की कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 125.26 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(106) 2236-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना— मूल 1,654.00 पुनर्वि. (-)854.15	799.85	799.85	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी निधि का आबंटन अन्य योजना "महतारी जतन योजना" में रसोई हेतु बरतनों का क्रय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 804.15 लाख की अन्य कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 854.15 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(107) 2236-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 2,543.72 पुनर्वि. (-)2,411.62	132.10	132.60	+0.50
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी निधि का आबंटन अन्य योजना "महतारी जतन योजना" में रसोई हेतु बरतनों का क्रय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,311.62 लाख की अन्य कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,411.62 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(108) 2401-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 4,560.00 पुनर्वि. (-)2,508.70	2,051.30	2,051.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,508.70 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(109) 2401-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)— 7258—ऑइल सीडस एवं ऑइलपॉम पर राष्ट्रीय अभियान— मूल 325.00 पुनर्वि. (-)230.35	94.65	94.65	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 230.35 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(110) 2401-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7931—चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— पूरक 4,560.00 पुनर्वि. (-)1,895.10	2,664.90	2,664.90	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,895.10 लाख की कमी अनुसूचित जनजाति योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राही उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(111) 2401-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8972—धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— मूल 79,990.00 पूरक 1,89,200.00 पुनर्वि. (-)6,285.80	2,62,904.20	2,62,904.20	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 855.60 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,430.20 लाख की अन्य कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6,285.80 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(112) 2401-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 3,534.00 पुनर्वि. (-)1,445.11	2,088.89	2,088.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,445.11 लाख की कमी बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यय कम किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(113) 2401-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8900—जैविक खेती मिशन— मूल 1,140.00 पुनर्वि. (-)373.55	766.45	766.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 373.55 लाख की कमी पी. जी. एस. प्रक्रिया से निशुल्क जैविक प्रमाणीकरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इस प्रकार जैविक प्रमाणीकरण के लिए जारी तृतीय पक्ष को किया गया आबंटन व्यय नहीं किया गया।			
(114) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 4,560.00 पुनर्वि. (-)2,892.07	1,667.93	1,667.93	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,892.07 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुरूप व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(115) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7266—एन.एम.एस.ए.रेन फेड डेवलपमेंट योजना— मूल 704.10 पुनर्वि. (-)468.06	235.94	235.94	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 468.06 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(116) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7267—एन.एम.एस.ए.स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना— मूल 645.00 पुनर्वि. (-)177.29	467.71	463.18	(-)4.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 177.29 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुरूप व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(117) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,140.00 पुनर्वि. (-)1,042.34	97.66	97.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,042.34 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(118) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 760.00 पूरक 1,005.90 पुनर्वि. (-)1,593.36	172.54	1,72.54	0.00
(119) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)425.60	524.40	524.40	0.00
(120) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7833—रिकलेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर.पी.एस.)— मूल 380.00 पुनर्वि. (-)343.67	36.33	36.33	0.00
(121) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 6,650.00 पुनर्वि. (-)3,153.05	3,496.95	3,497.95	+1.00

उपरोक्त क्रम संख्या (118) से (121) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,593.36 लाख, ₹ 425.60 लाख, ₹ 343.67 लाख एवं ₹ 3,153.05 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुरूप व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (118) से (120) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (121) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(122) 2401-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी.सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 1,330.00 पुनर्वि. (-)888.76	441.24	441.24	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 888.76 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(123) 2401-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7797—प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना— मूल 5,118.00 पूरक 8,500.00 पुनर्वि. (-)1,189.17	12,428.83	12,428.83	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,189.17 लाख की कमी बीमा कम्पनी से बीमा दावों के देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(124) 2401-796-113-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 1,938.03 पुनर्वि. (-)1,200.37	737.66	737.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,200.37 लाख की कमी किसानों द्वारा कृषि उपकरणों की खरीद हेतु ऑन लाईन पंजीयन कम किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इस प्रकार रियायत/अनुदान का पूर्ण उपयोग एवं समर्पण नहीं किया गया। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(125) 2401-796-113-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8539—कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना— मूल 760.00 पुनर्वि. (-)241.50	518.50	518.50	0.00
(126) 2401-796-113-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8907—कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन हेतु अनुदान— मूल 210.00 पुनर्वि. (-)152.45	57.55	57.55	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (125) एवं (126) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 241.50 लाख एवं ₹ 152.45 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(127) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 2,240.00 पुनर्वि. (-)1,961.57	278.43	278.43	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(128) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम— मूल 418.18 पुनर्वि. (-)329.25	88.93	88.93	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (127) एवं (128) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,961.57 लाख एवं ₹ 329.25 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(129) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,683.32 पुनर्वि. (-)1,683.32	0.00	0.00	0.00
₹ 1,683.32 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(130) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— पूरक 4,940.00 पुनर्वि. (-)1,557.53	3,382.47	3,382.47	0.00
(131) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7874—एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री— पूरक 384.00 पुनर्वि. (-)335.79	48.21	48.21	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (130) एवं (131) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,557.53 लाख एवं ₹ 335.79 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (130) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (131) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(132) 2401-796-119-0312—नाबाई प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7854—नाबाई पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना— मूल 900.00 पुनर्वि. (-)718.40	181.60	181.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 718.40 लाख की कमी सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(133) 2401-796-800-0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7853—नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना— मूल 3,534.00 पुनर्वि. (-)3,534.00	0.00	0.00	0.00
₹ 3,534.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(134) 2402-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7350—एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 7,600.00 पुनर्वि. (-)6,725.00	875.00	875.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,725.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(135) 2403-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5620—पशुरोग नियंत्रण— पूरक 280.00 पुनर्वि. (-)206.46	73.54	73.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.46 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(136) 2403-796-101-0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7471—नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)950.00	0.00	0.00	0.00
₹ 950.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(137) 2403-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय— मूल 532.49 पूरक 60.00 पुनर्वि. (-)285.57	306.92	300.68	(-)6.24
(138) 2403-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 1,615.00 पुनर्वि. (-)1,135.85	479.15	479.15	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(139) 2405-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)616.29	183.71	201.21	+17.50
(140) 2405-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7814—नीलक्रान्ति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)714.57	235.43	235.43	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (137) से (140) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 285.57 लाख, ₹ 1,135.85 लाख, ₹ 616.29 लाख एवं ₹ 714.57 लाख की कमी के कारणों के साथ क्रम संख्या (139) के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (139) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (140) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(141) 2406-01-796-070-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6886—वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण— मूल 1,538.00 पुनर्वि. (-)31.98	1,506.02	1,274.28	(-)231.74
(142) 2406-01-796-070-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 792—कर्मचारी कल्याण योजना— मूल 140.00 पूरक (-)117.22	22.78	29.07	+6.29
उपरोक्त क्रम संख्या (141) एवं (142) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 31.98 लाख एवं ₹ 117.22 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(143) 2406-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2536—पर्यावरण वानिकी— मूल 742.00 पुनर्वि. (-)187.27	554.73	421.83	(-)132.90
(144) 2406-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2962—अवनत वनों का विकास— मूल 8,800.00 पुनर्वि. (-)1,311.88	7,488.12	7,033.56	(-)454.56

उपरोक्त क्रम संख्या (143) एवं (144) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 187.27 लाख एवं ₹ 1,311.88 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (144) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(145) 2406-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6516—ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज/ औषधि रोपण— मूल 897.00 पूरक (-)38.00	859.00	748.29	(-)110.71
(146) 2406-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6723—संयुक्त वन प्रबंध सुदृढीकरण एवं विकास— मूल 291.55 पूरक (-)3.36	288.19	149.08	(-)139.11
उपरोक्त क्रम संख्या (145) एवं (146) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 38.00 लाख एवं ₹ 3.36 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(147) 2406-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1902—तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित— मूल 434.00 पूरक (-)129.52	304.48	286.72	(-)17.76
(148) 2406-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2533—हरियाली प्रसार योजना— मूल 3,300.00 पूरक (-)518.56	2,781.44	2,560.06	(-)221.38
उपरोक्त क्रम संख्या (147) एवं (148) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 129.52 लाख एवं ₹ 518.56 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (148) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(149) 2406-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4475—सामाजिक वानिकी— मूल 358.00 पूरक (-)1.80	356.20	195.24	(-)160.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.80 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(150) 2406-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6724—बांस वनों का पुनरोद्धार— मूल 2,200.00 पुनर्वि. (-)545.99	1,654.01	1,427.59	(-)226.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 545.99 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(151) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7731-बांडी बांस योजना- मूल 413.00 पुनर्वि. (-)300.48	112.52	22.54	(-)89.98
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 247.80 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 52.68 लाख की अन्य कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 300.48 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(152) 2406-01-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	119.21	0.00	(-)119.21
₹ 119.21 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(153) 2406-01-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान- मूल 1,600.00 पुनर्वि. (-)960.00	640.00	0.00	(-)640.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 960.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(154) 2406-02-796-110-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6771-अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व का विकास	332.87	0.00	(-)332.87
₹ 332.87 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(155) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3730-प्रोजेक्ट टाईगर	2,584.00	703.81	(-)1,880.19
(156) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6539-राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विकास	481.76	22.98	(-)458.78
(157) 2406-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5090-जैव विविधता संरक्षण	950.00	788.96	(-)161.04
(158) 2406-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6991-हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	1,250.01	837.45	(-)412.56

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(159) 2406-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7459-वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवास का समन्वित विकास	500.00	367.32	(-)132.68
उपरोक्त क्रम संख्या (155) से (159) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (156) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009-10 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (155) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(160) 2406-04-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7261-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम-			
मूल	2,719.70		
पुनर्वि.	(-)2,719.70	0.00	0.00
(161) 2406-04-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7856-ग्रीन इंडिया मिशन-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (160) एवं (161) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,719.70 लाख एवं ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (160) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(162) 2408-01-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	449.54	0.00	(-)449.54
(163) 2408-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7801-मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	950.00	0.00	(-)950.00
उपरोक्त क्रम संख्या (162) एवं (163) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (163) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(164) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5456-अन्त्योदय अन्न योजना	692.44	260.86	(-)431.58
(165) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7436-अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चना वितरण योजना	45,000.00	29,416.42	(-)15,583.58
उपरोक्त क्रम संख्या (164) एवं (165) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(166) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8933-शक्कर वितरण योजना	7,600.00	0.00	(-)7,600.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(167) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9993-रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	3,800.00	2,470.00	(-)1,330.00
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(168) 2425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान-	मूल 7,032.00 पुनर्वि. (-)4,890.00	2,142.00	2,142.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,890.00 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(169) 2425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7889-प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण-	मूल 152.00 पुनर्वि. (-)152.00	0.00	0.00
₹ 152.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(170) 2501-06-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-	मूल 11,400.00 पुनर्वि. (-)8,785.69	2,614.31	2,614.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,785.69 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(171) 2505-60-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-	मूल 54,990.00 पुनर्वि. (-)25,788.41	29,201.59	29,201.59
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 25,788.41 लाख की कमी भारत सरकार से निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(172) 2702-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5707-शाकम्बरी परियोजना-	मूल 1,520.00 पुनर्वि. (-)1,228.25	291.75	291.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,228.25 लाख की कमी "चेम्पस" से प्राप्त आवेदन के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(173) 2702-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5709-किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान-			
मूल	610.00		
पुनर्वि.	(-)195.07	414.93	414.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 195.07 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			0.00
(174) 2801-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7305-5 एच.पी. कृषि पम्पों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान-			
मूल	71,792.00		
पुनर्वि.	(-)18,130.00	53,662.00	53,662.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18,130.00 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(175) 2801-80-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता-			
मूल	7,600.00		
पुनर्वि.	(-)7,600.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,671.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,929.00 लाख की अन्य कमी सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 7,600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			0.00
(176) 2810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7694-सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान-			
मूल	802.00		
पुनर्वि.	(-)481.20	320.80	320.80
			0.00
(177) 2810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7695-विद्यमान संयंत्रों की क्षमता उन्नयन एवं संधारण-			
मूल	950.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	700.00	700.00
			0.00
(178) 2810-796-800-0410-ऊर्जा विकास निधि- 3188-ऊर्जा विकास संस्था को सहायक अनुदान-			
मूल	806.00		
पुनर्वि.	(-)483.60	322.40	322.40
उपरोक्त क्रम संख्या (176) से (178) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 481.20 लाख, ₹ 250.00 लाख एवं ₹ 483.60 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (178) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			0.00
(179) 2851-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7910-हाथकरघा वस्त्र बुनाई रोजगार सृजन-			
मूल	348.00		
पुनर्वि.	(-)348.00	0.00	0.00
₹ 348.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(180) 2851-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4748-हस्तशिल्प निगमों को विकास योजना के तहत अनुदान- मूल 231.70 पुनर्वि. (-)113.77	117.93	117.93	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.77 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(181) 2851-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 164-नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन विकास योजना- मूल 796.50 पुनर्वि. (-)318.46	478.04	478.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 318.46 लाख की कमी कम प्रदर्शन किए जाने एवं रेशम कीट का कम संग्रहण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(182) 2851-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5662-पालित प्रजाति के कृमि पालकों को टसर स्वास्थ्य डिम्ब समूह- मूल 1,261.75 पुनर्वि. (-)384.50	877.25	877.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 384.50 लाख की कमी कृषकों द्वारा रेशम कीट के लिए कम वृक्षारोपण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(183) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5385-नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना- मूल 1,700.00 पुनर्वि. (-)1,020.00	68.00	68.00	0.00
(184) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9068-औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान- मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)236.98	963.02	963.02	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (183) एवं (184) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,020.00 लाख एवं ₹ 236.98 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (183) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(185) 3275-796-800-0102-जनजाति उपयोजना- 7776-कौशल विकास योजना के लिए अनुदान- मूल 196.54 पुनर्वि. (-)196.54	0.00	0.00	0.00
₹ 196.54 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना का तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग में स्थानानंतरण होने कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2203-796-112-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 502-इंजीनियरिंग महाविद्यालय- मूल 761.85 पुनर्वि. (-)45.13	716.72	897.06	+180.34
(2) 2210-03-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 6,455.29 पुनर्वि. (-)977.22	5,478.07	8,693.93	+3,215.86
(3) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 8,954.05 पुनर्वि. (-)773.33	8,180.72	9,828.74	+1,648.02
(4) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 3,455.34 पुनर्वि. (-)111.43	3,343.91	6,089.43	+2,745.52

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 45.13 लाख, ₹ 977.22 लाख, ₹ 773.33 लाख एवं ₹ 111.43 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्याधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था। 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(5) 2401-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7264-एन.एम.ए.ई.टी.सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल योजना- मूल 265.00 पुनर्वि. 460.02	725.02	725.02	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 540.00 लाख की वृद्धि बीज संधारण ईकाई एवं बीज संग्रहण गोदाम की स्थापना एवं समर्पण द्वारा ₹ 79.98 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 460.02 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(6) 2401-796-108-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5549-गन्ना कृषकों को बोनस- मूल 900.00 पुनर्वि. 315.60	1,215.60	1,215.60	1.00
--	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 315.60 लाख का आवर्धन गन्ना पिराई हेतु बोनस का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2406-01-796-105-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5231—लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	759.21	+759.21

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(8) 2406-01-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6792—लघु वनोपज संग्राहक सामुहिक बीमा योजना— मूल 330.00 पुनर्वि. 750.00	1,080.00	1,080.00	0.00
--	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 750.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(9) 2801-80-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7620—उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी— मूल 1.00 पुनर्वि. 2,671.00	2,672.00	2,672.00	0.00
--	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,671.00 लाख का आवर्धन उपभोक्ताओं को रियायती दर में बिजली प्रदान किए जाने हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. को सब्सिडी दिए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 (₹ 21,538.01 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 3,324.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 24,862.38 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 1,26,763.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,23,502.70 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-796-202-1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 1400—विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना— मूल 11,603.00 पुनर्वि. (-)11,603.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4202-01-796-202-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 11,603.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2010-11 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 4202-01-796-202-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना- मूल 9,700.00 पुनर्वि. (-)359.62	9,340.38	9,338.41	(-)1.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 359.62 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9840-शिक्षा संस्थानों एवं भवनों का निर्माण कार्य- मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)3,288.18	711.82	711.82	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,288.18 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(6) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7289-सरगुजा विश्वविद्यालय- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
(7) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7290-बस्तर विश्वविद्यालय- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
(8) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7445- सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख, ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4202-02-796-103-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8935-लाइवलीहुड कालेज- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(10) 4202-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं- मूल 306.77 पुनर्वि. (-)306.77	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 306.77 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(11) 4202-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7438-स्टेट स्कूल डेहलपमेंट मिशन- मूल 946.00 पुनर्वि. (-)597.22	348.78	348.78	0.00
(12) 4202-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं- मूल 700.00 पुनर्वि. (-)668.64	31.36	31.36	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 597.22 लाख एवं ₹ 668.64 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 4202-02-796-104-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2668-पॉलिटैक्निक संस्थाएं- मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)1,442.81	1,757.19	957.19	(-)800.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,442.81 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4202-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2668-पॉलिटैक्निक संस्थाएं- मूल 282.00 पुनर्वि. (-)263.42	18.58	18.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 263.42 लाख की कमी संस्थाओं से निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 4210-01-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7851-टर्सरी कैंसर संस्थान- पूरक 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4210-01-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8940-चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)130.54	119.46	119.46	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8940-चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा- मूल 800.00 पुनर्वि. (-)800.00	0.00	4.99	+4.99
₹ 800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(18) 4210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला चिकित्सालय- मूल 4,126.00 पुनर्वि. (-)2,830.70	1,295.30	1,332.17	+36.87
(19) 4210-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 285.10 पुनर्वि. (-)245.19	39.91	39.91	0.00
(20) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 577.70 पुनर्वि. (-)126.92	450.78	451.96	+1.18
(21) 4210-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 2,087.54 पुनर्वि. (-)443.73	1,643.81	1,645.10	+1.29

उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,830.70 लाख, ₹ 245.19 लाख, ₹ 126.92 लाख एवं ₹ 443.73 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ उपरोक्त क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (19) एवं (20) एवं 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (18) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 4210-03-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8941-चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा-			
मूल	7,353.33		
पुनर्वि.	(-)7,336.85	16.48	0.00
(23) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5689-चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, जगदलपुर-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)280.67	419.33	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 7,336.85 लाख एवं ₹ 280.67 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8941-चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा-			
मूल	705.00		
पुनर्वि.	(-)705.00	0.00	0.00
₹ 705.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(25) 4215-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8908-नवीन शहरी जल आवर्धन योजना-			
मूल	300.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)298.25	1.75	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 298.25 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(26) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-			
मूल	6,800.00		
पुनर्वि.	(-)3,208.45	3,591.55	+133.64
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,208.45 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने से राज्यांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 4215-01-796-102-0312-नाबार्ड प्रवर्तित योजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5403-पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	4,712.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,573.77	3,138.23	(-)981.28

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(28) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2715-प्रशासन-			
मूल	598.00		
पुनर्वि.	(-)520.20	77.80	0.00
(29) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4378-ग्रामों में पेयजल प्रदाय-			
मूल	2,576.30		
पुनर्वि.	(-)17.06	2,559.24	(-)108.76
(30) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5403-पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	2,512.00		
पुनर्वि.	(-)1,878.09	633.91	+7.15
उपरोक्त क्रम संख्या (27) से (30) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,573.77 लाख, ₹ 520.20 लाख, ₹ 17.06 लाख एवं ₹ 1,878.09 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग नहीं प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारणों के साथ क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (27) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(31) 4225-02-796-102-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार {अनुच्छेद 275(1)}-			
मूल	12,000.00		
पूरक	959.55		
पुनर्वि.	(-)2,497.87	10,461.68	0.00
(32) 4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5024-आदिवासी विशेष पिछड़े समूह-			
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)640.20	359.80	+2.40
उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,497.87 लाख एवं ₹ 640.20 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7672-वनबन्धु कल्याण योजना-			
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(34) 4225-02-796-102-0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 15,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,359.82	12,640.18	12,665.19	+25.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,359.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 4225-02-796-800-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास— पूरक 464.82 पुनर्वि. (-)464.82	0.00	0.00	0.00
₹ 464.82 लाख का सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(36) 4225-02-796-800-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7844—शहीद वीरनारायण स्मारक एवं संग्रहालय— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
₹ 600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 4235-02-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 337—आंगनवाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 1,520.00 पुनर्वि. (-)1,520.00	0.00	0.00	0.00
(38) 4235-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5564—परियोजना कार्यालय सह संसाधन केन्द्र हेतु भवन निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (37) एवं (38) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,520.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (37) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(39) 4402-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3478-माइक्रो माईनर सिंचाई योजनाएं-			
मूल	1,170.00		
पुनर्वि.	(-)202.13	967.87	967.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 202.13 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			+0.03
(40) 4406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4342-भवन और सड़कों का निर्माण-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)267.97	932.03	878.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 267.97 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			(-)54.00
(41) 4406-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5538-एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना-			
मूल	748.60		
पुनर्वि.	(-)643.62	104.98	46.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 643.62 लाख की कमी भारत सरकार से निधि के कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)58.19
(42) 4415-01-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9182-इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)125.00	375.00	375.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.00 लाख की कमी सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(43) 4425-796-108-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7678-सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूजी-			
मूल	118.00		
पुनर्वि.	(-)118.00	0.00	0.00
₹ 118.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			0.00
(44) 4425-796-200-0312-नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(45) 4515-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन-			
मूल	1,900.00		
पूरक	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)939.00	2,861.00	2,861.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 939.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			0.00
(46) 4700-03-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य-			
मूल	5,900.00		
पुनर्वि.	(-)5,766.57	133.43	133.43
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,766.57 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं वृक्षारोपण हेतु राज्य सरकार से क्षतिपूर्ति स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(47) 4700-03-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5685-बांध सुरक्षा और सुदृढीकरण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)99.04	0.96	0.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.04 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(48) 4701-08-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	520.00		
पुनर्वि.	(-)417.74	102.26	202.26
समर्पण द्वारा ₹ 317.74 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 417.74 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			+100.00
(49) 4701-17-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	1,331.00		
पुनर्वि.	(-)1,331.00	0.00	0.00
(50) 4701-22-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
(51) 4701-24-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	221.00		
पुनर्वि.	(-)221.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(52) 4701-25-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (49) से (52) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,331.00 लाख, ₹ 200.00 लाख, ₹ 221.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (50) एवं 2013-14 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (52) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(53) 4701-31-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	100.00	0.00	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(54) 4701-33-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-)153.37	1,246.63	+0.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 153.37 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(55) 4701-80-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का सर्वेक्षण-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)128.35	71.65	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 128.35 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(56) 4702-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं एंजेसियों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(57) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3828-लघु सिंचाई योजनाएं-			
मूल	33,000.00		
पुनर्वि.	(-)986.63	32,013.37	(-)60.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 986.63 लाख की कमी वन विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(58) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वेक्षण-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)19.43	980.57	920.55
			(-)60.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 19.43 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(59) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5059-एनीकट / स्टॉपडेम का निर्माण-			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,031.42	5,968.58	6,037.95
			+69.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,031.42 लाख की कमी नवीन योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं ऐजेन्सियों का निर्धारण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(60) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण-			
मूल	13,250.00		
पुनर्वि.	(-)10,293.42	2,956.58	2,880.38
			(-)76.20
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,293.42 लाख की कमी वृक्षारोपण हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान का निराकरण नहीं होने एवं निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(61) 4801-02-796-190-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7498-पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण कम्पनी-			
मूल	1,166.60		
पुनर्वि.	(-)1,166.60	0.00	0.00
			0.00
₹ 1,166.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(62) 4801-80-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8548-मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना-			
मूल	1,800.00		
पुनर्वि.	(-)800.00	1,000.00	1,000.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 800.00 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(63) 4810-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7693-सोलर पंपों को अनुदान-			
पूरक	7,420.26		
पुनर्वि.	(-)3,800.00	3,620.26	3,620.26
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 3,800.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(64) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(65) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना- मूल 6,080.00 पुनर्वि. (-)2,013.93	4,066.07	2,757.71	(-)1,308.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,013.93 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(66) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(67) 5275-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7861-संचार क्रांति योजना- मूल 19,760.00 पूरक 21,538.00 पुनर्वि. (-)33,394.00	7,904.00	7,904.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 33,394.00 लाख की कमी परियोजना पर शासकीय स्तर पर नीतिगत निर्णय लेने में विलम्ब होने कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(68) 6215-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2182-नवीन शहरी जल प्रदाय योजनाएं- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,320.11	679.89	679.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,320.11 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(69) 6408-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6914-पहुँच विहीन क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में खाद्यान्न भंडारण हेतु सहायता	95.00	0.00	(-)95.00
(70) 6408-02-796-190-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	399.00	0.00	(-)399.00
उपरोक्त क्रम संख्या (69) एवं (70) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (70) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(71) 6425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5055-सहकारी शक्कर कारखाना-			
मूल	3,500.00		
पुनर्वि.	(-),1,500.00	2,000.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,500.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-796-102-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7858-सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना-			
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-),164.24	335.76	+489.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 164.24 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(2) 4701-34-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य-			
मूल	290.00		
पुनर्वि.	92.44	382.44	+0.10

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने हेतु तथा समर्पण द्वारा ₹ 7.56 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण में धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 92.44 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 4801-06-796-800-0410-ऊर्जा विकास निधि- 6758-कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण-			
पूरक	1.00		
पुनर्वि.	3,800.00	3,801.00	(-),1.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,800.00 लाख का आवर्धन सी.एस.पी.डी.सी.एल. के लिए पम्पों का ऊर्जाकरण किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया।

प्रभारित-

(x) ₹ 5.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,08,21,900		
पूरक	सांकेतिक	1,08,21,900	81,66,302
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)26,55,598 27,20,695
<i>प्रभारित</i>	<i>84,200</i>	<i>78,933</i>	<i>(-)5,267</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>4,886</i>
टीका एवं टिप्पणियां			

पूंजीगत:
दत्तमत—

(i) ₹ 26,555.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 27,206.95 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4727—हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार—			
मूल	1,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)783.26	216.74	216.74
(2) 5054—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4149—वृहद् पुलों का निर्माण—			
मूल	11,000.00		
पुनर्वि.	(-)450.80	10,549.20	10,727.83
			+178.63

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 783.26 लाख एवं ₹ 450.80 लाख की कमी प्रशासनिक निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015—16 से 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2003—04 से 2017—18 के दौरान क्रम (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 5054—03—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3710—राज्यों के राजमार्ग—			
मूल	8,154.00		
पुनर्वि.	(-)2,285.45	5,868.55	5,916.61
			+48.06

अनुदान संख्या 42—जारी

समर्पण द्वारा ₹ 2,035.45 लाख की कमी प्रशासनिक निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,285.45 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 5054-04-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7842-आर. आर. पी. फेस-II-			
मूल	2,040.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,421.92	618.08	618.08
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,421.92 लाख की कमी प्रशासनिक निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7813-ई.पी.सी. (नाबार्ड) के माध्यम से सड़क निर्माण-				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	100.00	0.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-				
मूल	10,000.00			
पुनर्वि.	(-)2,336.86	7,663.14	7,799.43	+136.29

समर्पण द्वारा ₹ 2,221.86 लाख की कमी प्रशासनिक निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 115.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,336.86 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3539-मुख्य जिला सड़कें-				
मूल	20,000.00			
पुनर्वि.	(-)5,434.59	14,565.41	14,826.49	+261.08

(8) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वेक्षण-				
मूल	205.00			
पुनर्वि.	(-)78.68	126.32	127.28	+0.95

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 5,434.96 लाख एवं ₹ 78.68 लाख की कमी प्रशासनिक निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (7) एवं 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 42—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 5054-05-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7818-ई.पी.सी.(इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)- मूल 41,600.00 पुनर्वि. (-)14,560.00	27,040.00	27,040.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14,560.00 लाख की कमी शासन से निधि के आहरण के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5418-चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कॉरीडोर का निर्माण- मूल 10.00 पुनर्वि. 81.69	91.69	91.69	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 115.00 लाख की वृद्धि देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 33.31 की लाख की कमी प्रशासनिक निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 81.69 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण- मूल 10.00 पुनर्वि. 232.45	242.45	242.45	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख की वृद्धि देयकों का भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 17.55 की लाख की कमी प्रशासनिक निविदा एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 232.45 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित-

(iv) ₹ 52.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 48.86 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा- मूल 842.00 पुनर्वि. (-)48.86	793.14	789.33	(-)3.81

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 48.86 लाख की कमी भू-अर्जन प्रक्रिया कार्य का पूर्ण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	6,78,447	1,27,250	(-)5,51,197
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			5,51,165
<i>प्रभारित</i>	<i>30</i>	<i>00</i>	<i>(-)30</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>30</i>
पूँजीगत:			
दत्तमत	17,500	13,907	(-)3,593
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			3,593
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 5,511.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 5,511.65 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2204-103-2323-निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	974.67		
पुनर्वि.	(-)478.38	496.33	496.15
			(-)0.18

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 478.34 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं राजसात किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—
5430-युवा आयोग
को अनुदान—

मूल	150.00			
पुनर्वि.	(-)90.00	60.00	60.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी आयोग के सक्रिय नहीं रहने से शेष निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—
7819-युवा शक्ति योजना—

मूल	500.00			
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान परियोजना के संधारित नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1190-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता-			
मुल	250.00		
पुनर्वि.	(-)163.99	86.01	86.51
			+0.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.99 लाख की कमी देयकों की जांच वर्षान्त तक नहीं किए जाने से निधि का वितरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3706-राज्य स्तरीय संघों एवं अन्य संस्था को अनुदान-			
मुल	110.00		
पुनर्वि.	(-)69.64	40.36	40.36
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.64 लाख की कमी लोक सभा निर्वाचन 2019 हेतु आचार संहिता लागू होने से अनुदान जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन-			
मुल	238.00		
पुनर्वि.	(-)122.02	115.98	115.98
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 122.02 लाख की कमी निधि आवश्यकतानुसार एवं पात्रता अनुसार जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7296-खेल अकादमी-			
मूल	513.81		
पुनर्वि.	(-)409.09	104.72	104.56
			(-)0.16
समर्पण द्वारा ₹ 379.09 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, दावों के प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों के अपनाने, पात्रतानुसार छात्रवृत्ति वितरण किए जाने, आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय किए जाने एवं छात्रावासों के संचालन नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 409.09 लाख की कमी उल्लिखित की गई। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7473-37 ^{वें} राष्ट्रीय खेल-			
मूल	3,330.00		
पुनर्वि.	(-)3,330.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 3,330.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7777-खेल प्रशिक्षण अकादमी-			
मूल	174.39		
पुनर्वि.	(-)169.04	5.35	5.35
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की कमी अकादमी के संचालित नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 99.04 लाख की अन्य कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 169.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
2202—सामान्य शिक्षा			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	66,41,660		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	66,41,660	56,02,796	(-)10,38,864 10,51,463
प्रभारित	70	00	(-)70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			70
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,23,400	572	(-)1,22,828
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,22,828
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:
दत्तमत—

(i) ₹ 10,388.64 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 10,514.63 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-03-001-7835—छ.ग. राज्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का गठन—			
मूल	194.00		
पुनर्वि.	(-)194.00	0.00	0.00

₹ 194.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान छ.ग. राज्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का गठन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202-03-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8971—राष्ट्रीय उच्चतर
शिक्षा अभियान—

मूल	5,915.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)954.95	4,960.05	4,960.05
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 954.95 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5205—रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर— मूल 2,900.00 पुनर्वि. (-)1,130.00	1,770.00	1,770.00	0.00
(4) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5531—पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)60.00	40.00	40.00	0.00
(5) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5639—स्व. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)95.00	305.00	305.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,130.00 लाख, ₹ 60.00 लाख एवं ₹ 95.00 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(6) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7238—इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)525.00	975.00	975.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 525.00 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7484—बिलासपुर विश्वविद्यालय— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)120.00	80.00	80.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7656—दुर्ग विश्वविद्यालय— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)400.00	100.00	100.00	0.00
(9) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9948—विश्वविद्यालय पेंशन भुगतान योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)360.00	240.00	240.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 400.00 लाख एवं ₹ 360.00 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7751—स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना—			
मूल	495.00		
पुनर्वि.	(-)304.43	190.57	185.07
			(-)5.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 304.43 लाख की कमी राज्य शासन से निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय—				
मूल	46,789.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)4,740.88	42,048.12	42,145.98	+97.86

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,740.88 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक कक्षा के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाने एवं नवीन योजना लागू नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2202-03-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान—				
मूल	4,300.00			
पुनर्वि.	(-)917.73	3,382.27	3,419.43	+37.16

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 917.73 लाख की कमी शासन से निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2202-03-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5672—बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना—				
मूल	600.00			
पुनर्वि.	(-)600.00	0.00	0.00	0.00

₹ 600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.70 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-203-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5205—रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00

अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4202-01-203-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 5531-पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	0.00	0.00
(3) 4202-01-203-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 7238-इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
(4) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7484-बिलासपुर विश्वविद्यालय-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
(5) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7656-दुर्ग विश्वविद्यालय-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 200.00 लाख, ₹ 600.00 लाख, ₹ 300.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (4) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2702—लघु सिंचाई			
4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	9,87,243	6,88,011	(-)2,99,232
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			3,03,457
पूंजीगत	39,57,976	26,87,587	(-)12,70,389
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			12,70,959
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 2,992.32 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 3,034.57 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2702-03-101-207—अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	4,601.14		
पुनर्वि.	(-)778.45	3,822.69	3,922.44
			+99.75

समर्पण द्वारा ₹ 754.42 लाख की कमी सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत अनुमानित व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.03 लाख की अतिरिक्त कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 778.45 लाख की कमी उल्लिखित की गई। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2702-03-102-207—अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	277.84		
पुनर्वि.	(-)26.81	251.03	231.22
			(-)19.81

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.03 लाख की वृद्धि कार्य भारित स्थापना के कर्मचारियों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 50.84 लाख की कमी सहायता अनुदान के अंतर्गत निधि का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 26.81 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2702-03-103-207—अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	1,559.45		
पुनर्वि.	(-)321.93	1,237.52	1,213.65
			(-)23.87

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 321.93 लाख की कमी सहायता अनुदान के अंतर्गत निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2702-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5707—शाकम्बरी योजना— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,573.69	426.31	426.31	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,573.69 लाख की कमी चेम्स योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के अनुसार सिंचाई पम्पों की आपूर्ति की जाने वाली संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2702-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5709—किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान— मूल 795.00 पुनर्वि. (-)312.83	482.17	482.17	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 312.83 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iii) ₹ 12,703.89 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 12,709.59 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4402-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3478—माईको माईनर सिंचाई योजनाएं— मूल 850.00 पुनर्वि. (-)316.78	533.22	533.22	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 316.78 लाख की कमी वित्त विभाग से 33 लघु सिंचाई तालाबों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4702-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4702-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3803—लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं— मूल 14,500.00 पुनर्वि. (-)1,332.87	13,167.13	13,196.01	+28.88
---	-----------	-----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,332.87 लाख की कमी वन विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4416-सर्वेक्षण-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)125.98	474.02	475.14
			+1.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.98 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5059-एनीकट / स्टॉपडेम का निर्माण-			
मूल	13,200.00		
पुनर्वि.	(-)7,768.23	5,431.77	5,420.11
			(-)11.66

समर्पण द्वारा ₹ 7,768.23 लाख की कमी नवीन कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं ऐजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण-			
मूल	6,329.76		
पुनर्वि.	(-)435.40	5,894.36	5,881.74
			(-)12.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 435.40 लाख की कमी भू अर्जन मुआवजे का निराकरण नहीं किए जाने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 5054-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7820-सड़क और पुलों का निर्माण-			
मूल	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)530.33	1,369.67	1,369.67
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 530.33 लाख की कमी कार्य प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 5054-05-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7820-सड़क और पुलों का निर्माण-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00
			0.00

ऐजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण ₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहना उल्लिखित किया गया।

(v) उचंत लेन देन:-

उचंत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (vi) में दर्शाई गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

अनुदान संख्या 45—समाप्त

विवरण	प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2018 को नामें + जमा(-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष नामें + जमा(-)
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)47.83	0.00	0.00	(-)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	0.00	0.00	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	0.00	0.00	+42.24
(iv) कार्य शाला उचन्त	+0.04	0.00	0.00	+0.04
योग	+180.85	0.00	0.00	+180.85

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
5425—अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व			
मूल	1,69,500		
पूरक	9,000	1,78,500	(-)1,22,200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,13,200
पूंजीगत	40,000	21,254	(-)18,746
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			27,746
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 90.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,222.00 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,132.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3425-60-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5632—साईन्स सिटी की स्थापना—	90.00	0.00	(-)90.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(2) 3425-60-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान—	मूल पुनर्वि.	1,020.00 (-)637.00	383.00	383.00	0.00
---	-----------------	-----------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 637.00 लाख की कमी निधि के आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3425-60-200-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 5632—साईन्स सिटी की स्थापना—	मूल पुनर्वि.	600.00 (-)450.00	150.00	150.00	0.00
--	-----------------	---------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 450.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 46—समाप्त

पूँजीगत:

(iv) ₹ 187.46 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 277.46 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5425-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6736-केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)187.46	12.54	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 187.46 लाख की कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2230—श्रम तथा रोजगार			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	35,99,461		
पूरक	1,20,004	37,19,465	22,67,855
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)14,51,610 13,53,462
प्रभारित	10	00	(-)10 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			
पूंजीगत	3,10,226	43,462	(-)2,66,764
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			2,66,727
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 1,200.04 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 14,516.10 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 13,534.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2203-001-1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—			
मूल	457.40		
पुनर्वि.	(-)112.34	345.06	350.43
			+5.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 112.34 लाख की कमी अधिवक्ताओं द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2203-001-0101—राज्य योजना (सामान्य)—

7745—छत्तीसगढ़ युवा सूचना

क्रांति योजना—

मूल
 6,000.00 | | |

पुनर्वि.
 (-)2,086.35 | 3,913.65 | 2,913.65 |

 (-)1,000.00 |

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,086.35 लाख की कमी लेपटॉप के स्थान पर डी.बी.टी. प्रदाय किए जाने के प्रस्ताव की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2203-105-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 122.30 पुनर्वि. (-)90.24	32.06	32.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.24 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2203-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 5,808.05 पुनर्वि. (-)1,032.63	4,775.42	4,790.37	+14.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,032.63 लाख की कमी संस्थाओं से मांग प्राप्त नहीं होने, विधान सभा निर्वाचन 2018 के लिए आचार संहिता लागू होने से रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल 2,693.30 पुनर्वि. (-)779.01	1,914.29	1,912.97	(-)1.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 779.01 लाख की कमी निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7341—आई. आई. आई. टी. की स्थापना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)875.00	1,625.00	1,625.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 875.00 लाख की कमी अनुवृत्ति का भुगतान किए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2203-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8643—मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अनुवृत्ति का भुगतान किए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2230-02-001-3795—रोजगार संचालनालय— मूल 255.05 पुनर्वि. (-)81.25	143.80	143.76	(-)0.04
(9) 2230-02-001-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 9147—रोजगार कार्यालय— मूल 54.01 पूरक 416.00 पुनर्वि. (-)404.64	65.37	65.44	+0.07

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2230-02-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9147—रोजगार कार्यालय— मूल 1,353.45 पुनर्वि. (-)348.65	1,004.80	1,005.79	+0.99
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 81.25 लाख, ₹ 404.64 लाख एवं ₹ 348.65 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(11) 2230-03-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 62.50 पुनर्वि. (-)62.50	0.00	0.00	0.00
(12) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7867—प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना— मूल 213.80 पूरक 784.04 पुनर्वि. (-)997.84	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 62.50 लाख एवं ₹ 997.84 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(13) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 737.15 पुनर्वि. (-)201.05	536.10	534.81	(-)1.29
(14) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 8,710.80 पुनर्वि. (-)1,814.57	6,896.23	6,896.51	+0.27
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 201.05 लाख एवं ₹ 1,814.57 लाख के कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (13) शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(15) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7438—स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन— मूल 490.00 पुनर्वि. (-)240.00	250.00	250.00	0.00
(16) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 5,250.00 पुनर्वि. (-)3,850.00	1,400.00	1,400.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 240.00 लाख एवं ₹ 3,850.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2230—03—101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7914—कौशल स्व-रोजगार योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

प्रभारित:

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 0.10 लाख सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 2,667.64 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 2,667.27 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202—03—103—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8935—लाईवलीहुड कॉलेज— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00	0.00	0.00	0.00
(2) 4202—02—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 187.50 पुनर्वि. (-)187.50	0.00	0.00	0.00
(3) 4202—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 290.26 पुनर्वि. (-)290.26	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 350.00 लाख, ₹ 187.50 लाख एवं ₹ 290.26 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2006—07 से 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 4202—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

717—औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थाएं—

मूल 450.00

पुनर्वि. (-)412.05

37.95

37.58

(-)0.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 412.05 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011—12 से 2017—18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 47—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4202-02-104-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2668—पॉलिटैक्निक संस्थाएं— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)819.87	280.13	280.13	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 819.87 लाख की कमी शासन से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4202-02-104-0101—राज्य योजना (सामान्य)— 2668—पॉलिटैक्निक संस्थाएं— मूल 368.00 पुनर्वि. (-)251.09	116.91	116.91	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 251.09 लाख की कमी विधान सभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 502—अभियांत्रिकी महाविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(8) 4202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7700—सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एवं टेक्नॉलॉजी (सिपेट)— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भवन निर्माण कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व	68,710	39,039	(-)29,671
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			29,723
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 296.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 297.23 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-101-495-आश्रम और शालाएं—			
मूल	245.80		
पुनर्वि.	(-)166.29	79.51	79.95
			+0.44

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 166.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202-02-110-307-अशासकीय संस्थाओं
को अंशदान—

मूल	231.00		
पुनर्वि.	(-)55.38	175.62	175.62
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 55.38 लाख की कमी शासन से स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, देयक जमा करने हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 2225-01-102-6800-अनुसूचित जाति
आयोग का गठन—

मूल	210.30		
पुनर्वि.	(-)75.56	134.74	134.82
			+0.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.56 लाख की कमी कोषालय से देयकों के वापस आ जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2053-जिला प्रशासन			
राजस्व:			
मूल	16,210		
पूरक	450	16,660	27,079
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			+10,419 00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 1,04,18,996 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2053-093-2987-20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन-			
मूल	162.10		
पूरक	4.50	166.60	270.79
			+104.19

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2075—विविध सामान्य सेवायें			
2250—अन्य सामाजिक सेवायें			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	1,12,450	45,628	(-)66,822
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			60,667
पूंजीगत	32,000	16,568	(-)15,432
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			152
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			

(i) ₹ 668.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 606.67 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2250-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5455-राजिम, गिरौदपुरी एवं लालपुर मेले आदि में जन सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)355.00	345.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 355.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2250-800-2003-सिंधु दर्शन/कैलाश मानसरोवर यात्रा-			
मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)130.00	0.00	0.00
₹ 130.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2250-800-259-अन्य संस्थाओं को अनुदान-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)30.58	69.42	(-)21.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30.58 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(4) 2250-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6292-शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख को सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 51—समाप्त

पूँजीगत :

(iii) ₹ 154.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1.52 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4250-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5805-मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण-			
मूल	320.00		
पुनर्वि.	(-1.52)	318.48	(-165.68)
			165.68
			(-152.80)

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.52 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2217-शहरी विकास			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2853-लौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	2,04,500	1,54,236	(-)50,264
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			50,264
पूंजीगत	3,37,050	3,37,050	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-789-192-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)29.40	20.60	0.00
(2) 2235-60-789-192-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	270.00		
पुनर्वि.	(-)61.28	208.72	0.00
(3) 2235-60-789-193-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	162.00		
पुनर्वि.	(-)27.52	134.48	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 29.40 लाख, ₹ 61.28 लाख एवं ₹ 27.52 लाख के कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2853-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7611-गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा नगरीय निकायों को निधि के स्थानांतरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	13,10,000		
पूरक	सांकेतिक	13,10,000	9,52,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)3,57,500 3,57,500
पूंजीगत	3,16,600	1,06,400	(-)2,10,200 2,10,200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2415-01-120-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8902—मेनपाट में आलू अनुसंधान केन्द्र— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)12.50	37.50	37.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12.50 लाख की कमी राज्य सरकार से निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2415-01-120-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9182—इंदिरा गांधी कृषि
विश्वविद्यालय—

मूल	13,050.00
पूरक	सांकेतिक
पुनर्वि.	(-)3,562.50

9,487.50

9,487.50

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,562.50 लाख की कमी राज्य सरकार से निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूंजीगत :

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4415-01-004-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7912—छुईखदान में पान अनुसंधान केन्द्र— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 54—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4415-01-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9182-इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान-			
मूल	3,066.00		
पुनर्वि.	(-2,002.00	1,064.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,002.00 लाख की कमी राज्य सरकार से निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2236—पोषण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	99,05,131		
पूरक	4,44,451	1,03,49,582	53,54,497
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)49,95,085 50,02,425
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत	2,90,700	76,354	(-)2,14,346
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			2,14,346

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 4,444.51 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 49,950.85 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 50,024.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय—			
मूल	1,440.16		
पुनर्वि.	(-)689.16	751.00	747.59
			(-)3.41

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 689.16 लाख की कमी लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन हेतु आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5354-एकीकृत सेवा योजना
(विदेशी सहायता
अन्तर्गत योजना)—

मूल 2,023.35
पुनर्वि. (-)1,215.92

807.43

807.43

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,215.92 लाख की कमी विश्व बैंक सहायित पोषण अभियान के लागू करने में विलम्ब होने कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7361—सबला योजना— मूल 334.40 पुनर्वि. (-)325.55	8.85	8.85	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 325.55 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7507—राज्य महिला सशक्तीकरण प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य महिला आयोग की स्थापना— मूल 270.10 पूरक 934.50 पुनर्वि. (-)1,134.94	69.66	69.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,134.94 लाख की कमी लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन हेतु आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 3,000.00 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)2,280.64	719.37	719.37	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,280.64 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(6) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9042—एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत बाल गृह— मूल 1,887.06 पुनर्वि. (-)1,204.43	682.63	683.90	+1.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,204.43 लाख की कमी लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन हेतु आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 26,737.14 पुनर्वि. (-)14,211.03	12,526.11	12,539.34	+13.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14,211.03 लाख की कमी लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन हेतु आचार संहिता लागू होने एवं निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2007-08 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण— मूल 828.52 पुनर्वि. (-)371.19	457.33	454.38	(-)2.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 371.19 लाख की कमी लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन हेतु आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2003-04 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9131—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)1,159.67	40.33	40.33	(-)0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,159.67 लाख की कमी अशासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र के लिए केन्द्रांश की राशि वर्षान्त में प्राप्त होने एवं वित्त विभाग से देयक प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 6,167.00 पुनर्वि. (-)1,831.81	4,335.19	4,335.19	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,831.81 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय— मूल 4,501.00 पूरक 3,510.00 पुनर्वि. (-)1,560.66	6,450.34	6,515.80	+65.46
(12) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7303—राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)120.00	80.00	80.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,560.66 लाख एवं ₹ 120.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2008-09 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई. घटक का विकास— मूल 1,650.00 पुनर्वि. (-)1,459.15	190.85	190.85	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,459.15 लाख की कमी लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन हेतु आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7915—आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं को हितलाभ— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8958-आंगनबाड़ी केन्द्रों का बिजली खर्च-			
मूल	210.00		
पुनर्वि.	(-)130.17	79.83	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.17 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना-			
मूल	175.00		
पुनर्वि.	(-)175.00	0.00	0.00
(17) 2235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7301-किशोरी शक्ति योजना-			
मूल	72.60		
पुनर्वि.	(-)72.60	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 175.00 लाख एवं ₹ 72.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(18) 2235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7754-स्वाधार योजना-			
मूल	106.10		
पुनर्वि.	(-)106.10	0.00	0.00
(19) 2235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7824-राजीव गांधी राष्ट्रीय झूलाघर-			
मूल	775.00		
पुनर्वि.	(-)775.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 106.10 लाख एवं ₹ 775.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(20) 2235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7879-महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना-			
मूल	723.92		
पुनर्वि.	(-)689.43	34.49	0.00
(21) 2235-02-103-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 5373-महिला कोष का गठन-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)340.00	160.00	0.00

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2235-02-103-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)275.51	224.49	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (20) से (22) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 689.43 लाख ₹ 340.00 लाख एवं ₹ 275.51 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(23) 2235-02-103-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 7875-सूचिता योजना-			
मूल	500.00		
पूरक	(-)500.00	0.00	0.00
(24) 2235-02-103-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 8626-अनैतिक देह व्यापार एवं यौन शोषण की रोकथाम हेतु कार्यक्रम-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(25) 2235-02-103-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 8665-मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र (पारिजात)-			
मूल	131.10		
पुनर्वि.	(-)131.10	0.00	0.00
₹ 131.10 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(26) 2235-02-103-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 8681-राज्य महिला आयोग-			
मूल	307.16		
पुनर्वि.	(-)147.35	159.81	(-)1.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 147.35 लाख की कमी अध्यक्ष पद के रिक्त रहने, सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने एवं लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन के लिए आचार संहिता के लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2235-02-103-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 8809-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (नवा-विहान)-			
मूल	344.51		
पुनर्वि.	(-)127.18	217.33	0.00
(28) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8976-कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यक्रम-			
मूल	105.07		
पुनर्वि.	(-)103.28	1.79	0.00

अनुदान संख्या 55—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 127.18 लाख एवं ₹ 103.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(29) 2235-02-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7815-उज्जवला परियोजना-			
मूल	102.00		
पुनर्वि.	(-)88.98	13.02	0.00
(30) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7361-सबला योजना-			
मूल	1,636.00		
पुनर्वि.	(-)1,016.15	619.85	(-)0.04
(31) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	33,617.50		
पुनर्वि.	(-)13,067.27	20,550.23	(-)14.13

उपरोक्त क्रम संख्या (29) से (31) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 88.98 लाख, ₹ 1,016.15 लाख एवं ₹ 13,067.27 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (31) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2007-08 से 2017-18 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(32) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6904-पोषक तत्वों की निगरानी योजना-			
मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)114.68	15.32	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.68 लाख की कमी शासन से 10 महत्वाकांक्षी जिलों की 76 परियोजनाओं के लिए कम्प्यूटर-सह उपकरण क्रय किए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग से एम आई एस सेल हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7747-महतारी जतन योजना-			
मूल	1,250.00		
पुनर्वि.	(-)135.33	1,114.67	+3.45

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 305.25 लाख की वृद्धि महतारी जतन योजना के अन्तर्गत बर्तन खरीदने एवं समर्पण द्वारा ₹ 440.58 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 135.33 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(34) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना-			
मूल	2,133.00		
पुनर्वि.	(-)1,139.14	993.86	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,139.14 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(35) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 2,697.00 पुनर्वि. (-)2,539.13	157.87	149.02	(-)8.85

समर्पण द्वारा ₹ 2,233.88 लाख की कमी लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन हेतु आचार संहिता लागू होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 305.25 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,539.13 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2007—08 से 2017—18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 337—आंगनबाडियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,337.76	662.24	662.24	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,337.76 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015—16 से 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4235—02—102—0101—राज्य योजना (सामान्य)—

5564—परियोजना कार्यालय

सह संसाधन केन्द्र हेतु

भवन निर्माण—

मूल 100.00

पुनर्वि. (-)100.00

0.00

0.00

0.00

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7764—किशोर न्याय अधिनियम

अंतर्गत भवन निर्माण—

मूल 425.00

पुनर्वि. (-)323.69

101.31

101.31

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 323.69 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
(5) 4235-02-103-0801-केन्द्र क्षेत्र योजना (सामान्य)- 7703-वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना व संचालन-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
(6) 4235-02-800-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय-			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)180.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 180.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	10,57,902	8,10,490	(-)2,47,412 1,37,311
<i>प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10 10</i>

पूंजीगत:

दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	13,000	2,934	(-)10,066 10,066
---	--------	-------	---------------------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 2,474.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,373.11 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-103-931-केन्द्रीय कार्यालय	675.70	456.55	(-)219.15
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2851-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7625-हथकरघा सी एफ सी स्थापना	300.00	0.00	(-)300.00
(3) 2851-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7910-हथकरघा वस्त्र बुनाई रोजगार सृजन	497.00	0.00	(-)497.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(4) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

4748-हस्तशिल्प निगम को
विकास योजनाओं
हेतु अनुदान—

मूल 242.30

पुनर्वि. (-)140.56

101.74

101.74

0.00

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5020-विकास केन्द्रों के संचालन हेतु हस्तशिल्प विकास निगम/बोर्ड को अनुदान-			
मूल	239.30		
पुनर्वि.	(-)83.58	155.72	155.72
			0.00
(6) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5458-हस्तशिल्प विकास बोर्ड-			
मूल	250.70		
पुनर्वि.	(-)87.42	163.28	163.28
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.56 लाख, ₹ 83.58 लाख एवं ₹ 87.42 लाख की कमी वित्त विभाग से राशि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6913-कुम्भकार टेराकोटा शिल्प योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8655-माटीकला बोर्ड की स्थापना-			
मूल	275.00		
पुनर्वि.	(-)141.25	133.75	133.75
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 141.25 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2851-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1068-खादी बोर्ड की स्थापना व्यय हेतु अनुदान-			
मूल	660.00		
पुनर्वि.	(-)231.00	429.00	429.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 231.00 लाख की कमी वित्त विभाग से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2851-107-3778-रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन-			
मूल	4,282.85		
पुनर्वि.	(-)191.01	4,091.84	4,090.56
			(-)1.28

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 191.01 लाख की कमी यात्रा देयकों एवं कार्यालय व्यय की स्वीकृति नहीं होने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान नहीं किए जाने एवं नये वाहन क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 56—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2851-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5146-टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम-			
मूल	2,003.50		
पुनर्वि.	(-)202.53	1,800.97	1,800.97
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 202.53 लाख की कमी मजदूरी दर में कमी होने, कुकून बीज की मांग कम होने एवं कोषालय में देयक वर्षान्त में प्रस्तुत किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

प्रभारित-

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4851-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1068-खादी बोर्ड की स्थापना व्यय हेतु अनुदान-			
मूल	90.00		
पुनर्वि.	(-)90.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 90.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	60,86,400		
पूरक	01	60,86,401	(-)15,28,991
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			16,69,988
पूँजीगत	2,000	00	(-)2,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			2,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) ₹ 15,289.91 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 16,699.88 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-101-2018-नगद दान-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)548.48	251.52	(-)0.43
(2) 2245-01-101-7710-फसल क्षति हेतु सहायता-			
मूल	2,600.00		
पुनर्वि.	(-)2,058.29	541.71	(-)11.46

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 548.48 लाख एवं ₹ 2,058.29 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2245-01-102-2661-पेयजल आपूर्ति-

मूल	446.00			
पुनर्वि.	446.00	0.00	0.00	0.00

₹ 446.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(4) 2245-01-800-1467-जिला एवं

अन्य सडकें-

मूल	500.00			
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 94.30 लाख की कमी, जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 405.70 लाख की अन्य कमी कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2245-01-800-2389—निर्माण कार्य—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.00 लाख की कमी, जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 217.20 लाख की अन्य कमी कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 275.80 लाख की अन्य कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2245-01-800-3819—लघु सिंचाई (कृषि)—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.00 लाख की वृद्धि, जिलों से निधि की मांग प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 507.00 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2245-02-101-2018—नगद दान—			
मूल	2,200.00		
पुनर्वि.	(-)1,583.02	616.98	(-)80.46
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,583.02 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2245-02-102-2661—पेयजल आपूर्ति—			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)180.00	0.00	0.00
₹ 180.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(9) 2245-02-106-1467—जिला एवं अन्य सड़कें—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,450.00	50.00	(-)50.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,450.00 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2245-02-110-2018—नगद दान—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)289.85	110.15	(-)1.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 289.85 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2245-02-111-7352—शोकाकुल परिवारों को सहायक अनुदान—			
मूल	2,400.00		
पुनर्वि.	(-)807.30	1,592.70	(-)233.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 807.30 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2245-02-112-5607-बाढ़ नियंत्रण-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)762.62	37.38	25.20
			(-)12.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 762.62 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने एवं कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2245-02-112-7357-बाढ़ आदि में सहायता-			
मूल	110.00		
पुनर्वि.	(-)102.83	7.17	5.59
			(-)1.58
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.83 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2245-02-113-7357-बाढ़ आदि में सहायता-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)386.55	613.45	595.79
			(-)17.66
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 170.80 लाख की वृद्धि, कलेक्टरों से निधि की मांग प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 557.35 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किये जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 386.55 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2245-02-114-7357-बाढ़ आदि में सहायता-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)504.01	495.99	448.59
			(-)47.40
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि, कलेक्टरों से निधि की मांग प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 594.01 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 504.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण द्वारा ₹ 60.00 लाख की अन्य कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2245-02-117-7357-बाढ़ आदि में सहायता-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)596.09	603.91	526.75
			(-)77.16
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 618.09 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 596.09 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई बाढ़, नियंत्रण निर्माण कार्य के मरम्मत और उसकी पुनःस्थापना-			
मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)1,266.92	33.08	33.08
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,266.92 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2245-05-101-7427-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि—			
मूल	27,800.00		
पुनर्वि.	(-)650.00	27,150.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 650.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(19) 2245-80-001-2304-निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	152.00		
पुनर्वि.	(-)88.56	63.44	(-)0.39
(20) 2245-80-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7770-आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने—			
पूरक	112.00		
पुनर्वि.	(-)105.73	6.27	+0.38
उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 88.56 लाख एवं ₹ 105.73 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(21) 2245-80-101-7354-प्रशिक्षण—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)184.46	15.54	(-)1.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.46 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(22) 2245-80-103-4849-राष्ट्रीय आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण—			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)69.00	4,931.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(23) 2245-80-800-7408-राज्य आपदा प्रबंधन अंतर्गत दक्षता निर्माण—			
मूल	2,772.10		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)2,507.46	264.64	(-)7.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,507.46 लाख की कमी नगर सेना द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(24) 2245-80-800-747-ओला पीडितों को राहत—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)428.72	571.28	(-)40.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 428.72 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 58—जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-80-800-7729—डुबने से, धसकने से, रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत—	2,360.00	4,346.49	+1,986.49

अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2245-80-800-96—आग के फैलने से राहत—

मूल	1,350.00			
पुनर्वि.	366.32	1,716.32	1,737.33	+21.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 530.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 163.68 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 366.32 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(iv) अकाल राहत निधि—

यह निधि बाढ़ अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2018 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 786.16 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान ₹ 90.20 लाख जमा की गई एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान ₹ 14.54 लाख की राशि निवेश की गयी। 31 मार्च 2019 को निधि का अंत शेष ₹ 861.82 लाख (जमा) था।

निधि लेखा का 31 मार्च 2019 को अंतिम शेष निम्नानुसार है :-

विवरण		01 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2019 को अंतशेष
		₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
8223					
अकाल	101 निधि लेखा	377.39 (जमा)	0.00	23.70	401.09 (जमा)
राहत	102 निवेश लेखा	408.77 (जमा)	14.54	66.50	460.73 (जमा)
निधि	योग	786.16 (जमा)	14.54	90.20	861.82 (जमा)

निधि के लेन देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2018-19 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

(v) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) :-

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन करने की स्वीकृति देती है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक-2005 के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग) के पत्र क्रम संख्या 33-5/2015-एन.डी.एम-1 दिनांक 30 जुलाई 2015 के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया है चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग किया जावेगा।

राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 2015-16 से 2019-20 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की राशि को 14 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसानुसार निर्धारित किया जावेगा। राज्य आपदा मोचन निधि की कुल राशि में 82.68 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा जबकि 17.32 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

वर्ष 2018-19 के लिए कुल प्रावधानित राशि ₹ 27,800.00 लाख में से केन्द्रांश ₹ 27,150.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें केन्द्रांश ₹ 22,447.50 लाख एवं राज्यांश ₹ 4,702.50 लाख था।

अनुदान संख्या 58—समाप्त

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष "1601—भारत सरकार से सहायक अनुदान—01—आयोजनेतर अनुदान—109—राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान " के अंतर्गत जमा होता है। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष "8121—"सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि" में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष "2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि—101—आरक्षित निधि में अंतरण" में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर "2245—दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत 05—राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुर्नप्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

1 अप्रैल 2018 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 20,282.77 लाख (जमा) था। वित्तीय वर्ष 2018—19 के दौरान लेखा शीर्ष "8121—"सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि" में ₹ 54,068.49 लाख जमा किया गया। लेखा शीर्ष "2245—05—101—7427 को नामें किया गया है। ₹ 34,281.48 लाख का व्यय राष्ट्रीय आपदा निधि में किया गया जिसे इस निधि में नामें किया गया। 31 मार्च 2019 को निधि का अंत शेष ₹ 40,069.78 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान निधि में कोई भी निवेश एवं ब्याज जमा नहीं किया गया।

निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियां नीलाम किए गए खजाना बिल एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा प्रमाण पत्र में निवेश करना चाहिए। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो, इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनिमय योजना के अन्तर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049—ब्याज आदयी"—05— आरक्षित निधियों पर ब्याज—105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज को नामें किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अन्तरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस.डी.आर.एफ. निधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रकृति आपदा को गम्भीर प्रकृति के रूप में माना है एवं राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं राज्य आपदा मोचन निधि में उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की जरूरत है, तो एन.डी.आर.एफ. से तत्काल राहत सहायता हेतु पात्र होगा।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2018—19 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या—21 में दर्शाया गया है।

पूंजीगत :

(vi) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2017—18 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

**अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	7,500	2,731	(-)4,769
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			4,769
पूंजीगत	5,20,000	5,09,679	(-)10,321
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3451—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7282—जिला योजनाओं का सुदृढीकरण— मूल 75.00 पुनर्वि. (-)47.69	27.31	27.31	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 47.69 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2008—09 से 2017—18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूंजीगत :

(ii) ₹ 103.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7493—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	5,200.00	5,096.79	(-)103.21
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष-
 2014-न्याय प्रशासन
 2055-पुलिस
 2202-सामान्य शिक्षा
 2203-तकनीकी शिक्षा
 2204-खेलकूद एवं युवा सेवाएं
 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211-परिवार कल्याण
 2215-जलपूर्ति और सफाई
 2216-आवास
 2217-शहरी विकास
 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230-श्रम तथा रोजगार
 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
 2236-पोषण
 2401-फसल कृषि-कर्म
 2402-मृदा तथा जल संरक्षण
 2403-पशु-पालन
 2405-मछली-पालन
 2406-वानिकी और वन्य प्राणी
 2408-खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार
 2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा
 2425-सहकारिता
 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505-ग्रामीण रोजगार
 2702-लघु सिंचाई
 2801-बिजली
 2810-नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852-उद्योग
 3275-अन्य दूरसंचार सेवायें
 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4216-आवास पर पूंजी परिव्यय
 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
 अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4408-खाद्य भण्डारण और भंडागारण पर पूंजीगत परिव्यय
 4415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801-उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4810-नवीन तथा अक्षय उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 64—जारी

4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
 6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6401—कृषि कार्य के लिए कर्ज
 6408—खाद्य भण्डारण तथा भंडागार के लिए कर्ज
 6425—सहकारिता के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,16,70,251		
पूरक	1,34,72,099	5,51,42,350	4,24,24,791
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)1,27,17,559 1,21,91,977
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>10</i>

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	1,45,59,484		
पूरक	11,08,500	1,56,67,984	88,25,378
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)68,42,606 66,73,620

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय ₹ 4,24,247.91 लाख के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2018 (₹ 32,825.03 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्य पूर्ण था, जबकि सितम्बर 2018 (₹ 28,800.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 73,095.96 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,27,175.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,21,919.77 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना—			
मूल	627.90		
पुनर्वि.	(-)229.10	398.80	400.93
			+2.13

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 229.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं होने, अधिकारी एवं कर्मचारियों के दौरों की संख्या में कमी होने, दौरे एवं यात्रा रियायत दावे प्राप्त नहीं होने एवं मशीन तथा उपकरणों के संधारण कार्य की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 11,440.40 पूरक 2,880.00 पुनर्वि. (-)4,586.89	9,733.51	9,714.93	(-)18.58
समर्पण द्वारा ₹ 4,504.03 लाख की कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन होने, यात्रा भत्ता किश्त प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 82.86 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,586.89 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 8,583.60 पूरक 3,312.20 पुनर्वि. (-)208.19	11,687.61	11,687.42	(-)0.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 208.19 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 495-आश्रम एवं शालाएं— मूल 1,796.00 पुनर्वि. (-)341.83	1,454.17	1,426.09	(-)28.08
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 82.86 लाख की वृद्धि वेतन का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 424.69 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने, देयक स्वीकृत नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 341.83 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5092-जवाहर उत्कर्ष योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)137.06	262.94	262.94	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.06 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2202-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8659-अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति— मूल 720.00 पुनर्वि. (-)388.93	331.07	331.06	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.06 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-01-789-108-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 3,100.00 पुनर्वि. (-)3,081.92	18.08	18.08	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,081.92 लाख की कमी "पाठ्य पुस्तक निगम" से देयक एवं प्रशासकीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202-01-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1394—छात्राओं का गणवेश (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 933.00 पुनर्वि. (-)933.00	0.00	1.31	+1.31
₹ 933.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान हाथकरघा द्वारा देयक विलम्ब से प्राप्त होने एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2202-01-789-111-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5396—सर्वशिक्षा अभियान— मूल 18,000.00 पुनर्वि. (-)396.55	17,603.45	17,603.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 396.55 लाख की कमी सरकार से स्वीकृति वर्षान्त में प्राप्त होने एवं वित्त विभाग से देयकों के जमा करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 3,708.00 पुनर्वि. (-)1,681.71	2,026.29	2,028.35	+2.06
(11) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 2,928.00 पुनर्वि. (-)1,271.48	1,656.52	1,656.52	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,681.71 लाख एवं ₹ 1,271.48 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2202-02-789-106-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान "पाठ्य पुस्तक निगम" से देयक एवं प्रशासकीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(13) 2202-02-789-107-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8050-स्कॉलरशिप- मूल 1,202.75 पुनर्वि. (-)1,202.75	0.00	0.00	0.00
₹ 1,202.75 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(14) 2202-02-789-109-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8050-स्कॉलरशिप- मूल 3,683.60 पूरक 1,301.02 पुनर्वि. (-)3,682.60	1,302.02	1,302.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,682.60 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान- मूल 17,400.00 पुनर्वि. (-)17,300.47	99.53	99.53	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17,300.47 लाख की कमी शासन से स्वीकृति का अनुमोदन नहीं होने एवं भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(16) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 1395-छात्रावास- मूल 7,897.00 पुनर्वि. (-)1,647.16	6,249.84	6,231.83	(-)18.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,647.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 3673-राज्य छात्रवृत्तियाँ- मूल 8,790.00 पुनर्वि. (-)2,020.41	6,769.59	6,769.69	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,020.41 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5551—हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय— मूल 1,250.00 पुनर्वि. (-)888.82	361.18	361.18	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 888.82 लाख की कमी लोकसभा निर्वाचन में आचार संहिता लागू होने से सायकलों का वितरण नहीं होने एवं निधियों के वैयक्तिक जमा खाते में जमा करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(19) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 9,449.90 पूरक 8,986.30 पुनर्वि. (-)233.21	18,202.99	18,322.44	+119.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 233.21 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(20) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7806—हमर छत्तीसगढ़— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(21) 2202-02-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 307—अशासकीय संस्थाओं का अंशदान— मूल 451.00 पुनर्वि. (-)108.45	343.05	343.05	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.45 लाख की कमी शासन से स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने एवं वित्त विभाग से देयक जमा करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(22) 2202-03-789-001-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8971—राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान— मूल 1,332.00 पुनर्वि. (-)565.50	766.50	766.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 565.50 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 2202-03-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 3,902.80 पुनर्वि. (-)802.24	3,100.56	3,097.35	(-)3.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 802.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने, वास्तविक कक्षाओं को लागू किए जाने के प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं नवीन योजनाएं लागू नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(24) 2202-04-789-200-0703—केन्द्र प्रवर्तितयोजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7362—साक्षर भारत योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)192.00	208.00	208.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 192.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2204-789-104-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7819—युवा शक्ति योजना— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2210-01-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 3,630.50 पुनर्वि. (-)816.96	2,813.54	2,814.35	+0.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 816.96 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2210-01-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7397—छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पोंस सर्विसेस योजना— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)288.00	192.00	192.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 288.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(28) 2210-01-789-200-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6960—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 4,270.00 पुनर्वि. (-)3,071.74	1,198.26	1,198.26	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(29) 2210-01-789-200-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8645—मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 1,584.00 पुनर्वि. (-)950.40	633.60	633.60	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,071.74 लाख एवं ₹ 950.40 लाख की कमी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(30) 2210-02-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन	290.00	0.00	(-)290.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 2210-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8951—आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर	444.90	253.94	(-)190.96
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2210-03-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1228—ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय— मूल 643.50 पुनर्वि. (-)381.16	262.34	290.00	+27.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 381.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(33) 2210-03-789-110-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 12,240.00 पुनर्वि. (-)2,291.31	9,948.69	9,948.69	0.00
(34) 2210-03-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,147.10 पुनर्वि. (-)440.04	1,707.06	1,850.91	+143.85
(35) 2210-03-789-198-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)— मूल 4,595.20 पुनर्वि. (-)2,311.14	2,284.06	2,648.39	+364.33

अनुदान संख्या 64—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (33) से (35) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,291.31 लाख, ₹ 440.04 लाख एवं ₹ 2,311.14 लाख की कमी के कारणों के साथ उपरोक्त क्रम संख्या (34) एवं (35) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (34) एवं (35) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(36) 2210-05-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8952-आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर	627.70	450.02	(-)177.68
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 2210-05-789-105-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6968-चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर-			
मूल 5,274.00			
पुनर्वि. (-)1,655.94	3,618.06	3,617.55	(-)0.51
(38) 2210-06-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण-			
मूल 365.70			
पुनर्वि. (-)150.90	214.80	214.80	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (37) एवं (38) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,655.94 लाख तथा ₹ 150.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (37) एवं 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (38) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(39) 2210-06-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5026-छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान-			
मूल 600.00			
पुनर्वि. (-)144.00	456.00	456.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 144.00 लाख की कमी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(40) 2210-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7679-टी बी के रोकथाम हेतु पोषण आहार-			
मूल 200.00			
पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(41) 2211-789-001-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 1508—जिला स्तरीय अमला— मूल 217.00 पुनर्वि. (-)132.97	84.03	83.93	(-)0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 132.97 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(42) 2211-789-101-0703— केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,582.16 पुनर्वि. (-)1,066.05	1,516.11	1,602.38	+86.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,066.05 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(43) 2215-01-789-193-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6862—लवन जल प्रदाय योजना— मूल 175.12 पुनर्वि. (-)175.12	0.00	0.00	0.00
₹ 175.12 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(44) 2215-01-789-193-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6863—पलारी जल प्रदाय योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)175.00	325.00	325.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(45) 2215-01-789-193-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8908—नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)123.00	227.00	140.00	(-)87.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(46) 2215-02-789-107-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 9,600.00 पुनर्वि. (-)898.00	8,702.00	8,702.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 898.00 लाख की कमी राज्यांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(47) 2216-03-789-105-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7807—प्रधानमंत्री आवास योजना— मूल 28,249.50 पूरक 15,230.04 पुनर्वि. (-)2,287.38	41,192.16	41,192.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,287.38 लाख की कमी राज्यांश के अनुरूप केन्द्रांश कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(48) 2217-80-789-191-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 1,024.49 पूरक 240.86 पुनर्वि. (-)240.86	1,024.49	1,024.49	0.00
(49) 2217-80-789-192-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 550.18 पूरक 129.35 पुनर्वि. (-)129.35	550.18	550.18	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (48) एवं (49) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 240.86 लाख एवं ₹ 129.35 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (48) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (49) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(50) 2225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 2,500.00 पूरक 2,200.00 पुनर्वि. (-)1,312.28	3,387.72	2,737.72	(-)649.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,312.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(51) 2225-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)153.27	196.73	196.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 153.27 लाख की कमी निधियों की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(52) 2225-01-789-190-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3185-अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम की स्थापना— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)420.00	280.00	280.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 420.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(53) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना— मूल 437.40 पुनर्वि. (-)425.95	11.45	111.46	+100.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 425.95 लाख की कमी निधियों की मांग कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(54) 2230-03-789-003-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7867-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 108.22 पूरक 105.58 पुनर्वि. (-)213.80	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 213.80 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(55) 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7683-मुख्यमंत्री शहरी कौशल विकास योजना— मूल 1,260.00 पुनर्वि. (-)960.00	300.00	300.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 960.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(56) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 569.90 पुनर्वि. (-)291.02	278.88	278.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 291.02 लाख की कमी अभियान को लागू करने हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(57) 2235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 2,000.00 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)1,827.77	172.24	172.24	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.827.77 लाख की कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू किए जाने के कारण उल्लिखित कि गई है।			
(58) 2235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 6,419.17 पुनर्वि. (-)1,815.03	4,604.14	4,600.61	(-)3.53
(59) 2235-02-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय— मूल 1,081.00 पूरक 877.38 पुनर्वि. (-)261.70	1,696.68	1,696.68	0.00
(60) 2235-02-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई. घटक— मूल 372.00 पुनर्वि. (-)290.52	81.48	81.48	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (58) से (60) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,815.03 लाख, ₹ 261.70 लाख एवं ₹ 290.52 लाख की कमी निर्वाचन हेतु दो बार आचार संहिता लागू किए जाने के कारण उल्लिखित कि गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (58) एवं (60) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(61) 2235-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5645—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)275.20	124.80	124.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 275.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(62) 2235-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7875—सुचिता योजना— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(63) 2235-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8957—नोनी सुरक्षा योजना— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)359.50	0.50	0.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 359.50 लाख की कमी दोनों निर्वाचन में आचार संहिता लागू किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(64) 2235-02-789-104-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8662—छत्तीसगढ़ मुख्य मंत्री तीर्थ योजना— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)280.00	520.00	520.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 280.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(65) 2236-02-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7361—सबला योजना— मूल 384.00 पुनर्वि. (-)284.91	99.09	99.09	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 284.91 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(66) 2236-02-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 8,186.82 पुनर्वि. (-)3,437.50	4,749.32	4,749.32	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,362.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,437.50 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(67) 2236-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना— मूल 508.00 पुनर्वि. (-)294.03	213.97	213.97	0.00
(68) 2236-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 569.28 पुनर्वि. (-)535.21	34.07	34.07	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (67) एवं (68) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 294.03 लाख एवं ₹ 535.21 लाख की कमी दोनों निर्वाचन में आचार संहिता लागू किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (67) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (68) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(69) 2401-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)751.75	748.25	748.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 751.75 लाख की कमी शासन से निधियां कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(70) 2401-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8972—धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— मूल 25,260.00 पूरक 52,800.00 पुनर्वि. (-)2,074.43	75,985.57	76,033.57	+48.00
समर्पण द्वारा ₹ 1,729.81 लाख की कमी शासन से जारी की गई निधि के अनुसार व्यय किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 344.62 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,074.43 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(71) 2401-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 1,118.00 पुनर्वि. (-)373.94	744.06	744.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 373.94 लाख की कमी बीज उत्पादन कार्यक्रम के लक्ष्य की उपलब्धि कम रही, इस कारण व्यय में कमी उल्लिखित की गई है।			
(72) 2401-789-105-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8900—बायो कृषि मिशन— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)196.33	163.67	163.67	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.33 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा संचालित पी जी एस पोर्टल के माध्यम से जिलों द्वारा जैविक सत्यापन का कार्य किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(73) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 1,440.00 पुनर्वि. (-)620.01	819.99	819.99	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(74) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7266-एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम— मूल 264.00 पुनर्वि. (-)208.54	55.46	55.46	0.00
(75) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)303.94	56.06	56.06	0.00
(76) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7830-परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 240.00 पूरक 347.50 पुनर्वि. (-)521.74	65.76	65.76	0.00
(77) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7832-टारगेटेड राईस फेलो एरिया— मूल 295.00 पुनर्वि. (-)125.65	169.35	169.35	0.00
(78) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7833-रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर पी एस)— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)119.50	0.50	0.50	0.00
(79) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8942-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—(हरित क्रांति)— मूल 2,100.00 पुनर्वि. (-)1,312.65	787.35	787.35	0.00
(80) 2401-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7269-एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 420.00 पुनर्वि. (-)240.84	179.16	179.16	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (73) से (80) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 620.01 लाख, ₹ 208.54 लाख, ₹ 303.94 लाख, ₹ 521.74 लाख, ₹ 125.65 लाख, ₹ 119.50 लाख, ₹ 1,312.65 लाख एवं ₹ 240.84 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (73) एवं (74), 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (75) से (78) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (79) एवं (80) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(81) 2401-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-			
मूल	1,632.00		
पूरक	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)175.31	3,956.69	3,956.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.31 लाख की कमी बीमा कम्पनी द्वारा फसल बीमा देयक प्राप्त नहीं होने एवं शासन से जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(82) 2401-789-113-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान-			
मूल	612.03		
पूरक	541.17		
पुनर्वि.	(-)691.24	461.96	461.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 691.24 लाख की कमी किसानों द्वारा खेती के उपकरणों की खरीदी के लिए ऑनलाइन पंजीयन कम किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है, इस प्रकार सब्सिडी/अनुदान का पूर्ण उपयोग एवं समर्पण नहीं किया गया। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(83) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
मूल	840.00		
पुनर्वि.	(-)671.66	168.34	168.34
समर्पण द्वारा ₹ 386.66 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 285.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 671.66 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(84) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7258-नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एन्ड आईलपॉम-			
मूल	155.08		
पुनर्वि.	(-)130.96	24.12	24.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.96 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(85) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-			
मूल	531.58		
पुनर्वि.	(-)531.58	0.00	0.00
₹ 531.58 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं चेम्पस् से देयक प्राप्त नहीं होने कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(86) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 1,560.00 पुनर्वि. (-)427.36	1,132.64	1,132.64	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 712.36 लाख की कमी वित्त विभाग से देयकों के आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों से निधि का आहरण नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 285.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 427.36 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(87) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7874—एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री— मूल 144.00 पुनर्वि. (-)125.12	18.88	18.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.12 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(88) 2401-789-119-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7854—नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना— मूल 276.00 पुनर्वि. (-)216.00	60.00	60.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 216.00 लाख की कमी नाबार्ड एवं शासन से कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(89) 2401-789-800-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7853—नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना— मूल 1,116.00 पुनर्वि. (-)1,116.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,116.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(90) 2402-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)1,163.34	1,236.66	1,236.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,163.34 लाख की कमी भारत सरकार से निधि के कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(91) 2403-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5620—पशुरोग नियंत्रण— मूल 293.60 पुनर्वि. (-)151.40	142.20	142.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(92) 2403-789-101-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 7471—नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(93) 2403-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7621—नेशनल लाइवस्टॉक मिशन— मूल 250.00 पूरक 299.00 पुनर्वि. (-)138.86	410.14	410.14	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 138.86 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(94) 2403-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1108—गहन पशु विकास परियोजना— मूल 260.80 पूरक 80.00 पुनर्वि. (-)158.59	182.21	182.18	(-)0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 158.59 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(95) 2403-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)168.29	431.71	431.71	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.77 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 162.52 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 168.29 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(96) 2406-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2962—बिगड़े वनों का सुधार— मूल 3,300.00 पुनर्वि. (-)214.82	3,085.18	2,103.92	(-)981.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 214.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(97) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2533-हरियाली प्रसार योजना-			
मूल	2,280.00		
पुनर्वि.	(-)665.33	1,614.67	1,300.53
			(-)314.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 665.33 लाख की कमी अधीनस्थ वृत्तों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(98) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6724-बांस वनों का पुनरोद्धार-			
मूल	1,110.00		
पुनर्वि.	(-)5.82	1,104.18	838.83
			(-)265.35
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(99) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7731-बाड़ी बाँस योजना-			
मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)78.00	52.00	0.00
			(-)52.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 78.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(100) 2406-02-789-110-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6539-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों का विकास-			
	120.00	0.00	(-)120.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(101) 2406-04-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7261-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम-			
मूल	2,070.00		
पुनर्वि.	(-)2,070.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 2,070.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(102) 2408-01-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण			
	141.96	0.00	(-)141.96

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(103) 2408-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7801-मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	300.00	0.00	(-)300.00
उपरोक्त क्रम संख्या (102) एवं (103) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (103) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(104) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5456-अंतयोदय अन्न योजना	218.67	82.38	(-)136.29
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(105)) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8933-शक्कर वितरण योजना	2,400.00	0.00	(-)2,400.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(106) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 9993-रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	1,200.00	780.00	(-)420.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(107) 2425-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान- मूल 1,594.00 पुनर्वि. (-)918.00	676.00	676.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 918.00 लाख की कमी वित्त विभाग छत्तीसगढ शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(108) 2505-60-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- पूरक 14,400.00 पुनर्वि. (-)5,178.30	9,221.70	8,788.14	(-)433.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,178.30 लाख का कमी भारत सरकार से निधि के कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(109) 2702-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5707-शाकम्बरी परियोजना— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)431.61	48.39	48.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 431.61 लाख की कमी चेम्पस प्रणाली के अन्तर्गत किसानों द्वारा खेती के उपकरणों की खरीदी के लिए ऑनलाइन पंजीयन कम किए जाने के कारण बजट का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, तदनुसार इसके लिए सब्सिडी/अनुदान प्रदान किया गया था। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(110) 2801-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7305-5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान— मूल 48,411.00 पुनर्वि. (-)19,365.00	29,046.00	29,046.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 19,365.00 लाख की कमी निधि के कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(111) 2801-80-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)2,400.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 1,556.00 लाख की कमी निधियों के जारी नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 844.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 2,400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन की कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(112) 2810-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7694-सौर उर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान— मूल 253.00 पुनर्वि. (-)151.80	101.20	101.20	0.00
(113) 2810-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7695-विद्यमान संयंत्रों की क्षमता उन्नयन व संधारण— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)180.00	120.00	120.00	0.00
(114) 2810-789-800-0410-उर्जा विकास निधि— 3188-उर्जा विकास संस्थाओं को सहायक अनुदान— मूल 254.00 पुनर्वि. (-)152.40	101.60	101.60	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (112) से (114) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 151.80 लाख, ₹ 180.00 लाख एवं ₹ 152.40 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि के कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(115) 2851-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7910-हथकरघा वस्त्र बुनाई रोजगार सृजन—			
मूल	149.00		
पुनर्वि.	(-)149.00	0.00	0.00

₹ 149.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(116) 2851-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5146-टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम—			
मूल	447.00		
पुनर्वि.	(-)132.74	314.26	314.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 132.74 लाख का कमी मजदूरी का कम भुगतान, कोकन बीज की मांग में कमी एवं टसर पौधारोपण में कमी के कारण उल्लिखित की गई है।

(117) 2852-80-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5451-अंशपूजी सहायता योजना—			
मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)99.18	30.82	30.82

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.18 लाख का कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल	570.60		
पुनर्वि.	(-)32.87	537.73	1,108.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 32.87 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2225-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7629-अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं—			
मूल	979.80		
पुनर्वि.	(-)39.52	940.28	1,411.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 39.52 लाख का कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2401-789-108-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5549-गन्ना कृषकों को बोनस—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	105.60	405.60	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 105.60 लाख का आवर्धन गन्ने की खरीदी एवं पिराई पर बोनस का भुगतान के कारण उल्लिखित किया गया।

(4) 2801-80-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7620-उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी—			
मूल	1.00		
पुनर्वि.	844.00	845.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 844.00 लाख का आवर्धन उपभोक्ताओं को विद्युत प्रभार में रियायत प्रदान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2018 (₹ 10,485.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 600.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,085.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 68,426.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 66,736.20 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-789-202-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना—			
मूल	1,238.00		
पुनर्वि.	(-)1,238.00	0.00	0.00

₹ 1,238.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202-01-789-202-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना—			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)332.96	267.04	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 165.00 पुनर्वि. (-)159.16	5.84	5.84	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 332.96 लाख एवं ₹ 159.16 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 4202-02-789-104-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 4210-01-789-110-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6967-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 525.00 पुनर्वि. (-)525.00	0.00	210.21	+210.21
₹ 525.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019), जबकि व्यय होना पाया गया है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4210-01-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6967-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)149.79	450.21	240.00	(-)210.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 149.79 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(7) 4210-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवायें)— मूल 402.62 पुनर्वि. (-)274.03	128.59	128.59	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान ₹ 274.03 लाख के कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 4210-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8951-आयुर्वेदिक महाविद्यालय, चिकित्सालय बिलासपुर	500.00	200.00	(-)300.00
(9) 4210-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 8952-आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर	520.00	208.00	(-)312.00

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(10) 4210-03-789-105-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6968-चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर—			
मूल	550.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)150.00	399.50	399.50
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख के कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(11) 4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम—			
मूल	2,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,658.89	1,141.11	1,147.18
			+6.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,658.89 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के फलस्वरूप राज्यांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 4215-01-789-102-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना—			
मूल	1,488.00		
पुनर्वि.	(-)1,341.46	146.54	146.54
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,341.46 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 4215-01-789-102-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7858-सौर उर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 4215-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 725.50 पुनर्वि. (-)356.26	369.24	372.03	+2.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 356.26 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 4225-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7699-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)4,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 4,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(16) 4225-01-789-102-0603-अ.जा. के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित 7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 1,500.00 पूरक 3,677.00 पुनर्वि. (-)4,131.03	1,045.97	982.97	(-)63.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,131.03 लाख की कमी निधि के कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2016-17 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4225-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5616-गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी का समन्वित विकास— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(18) 4225-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631-अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)601.77	2,598.23	2,598.23	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 601.77 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 4235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 337-आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)480.00	0.00	0.00	0.00
₹ 480.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4250-789-203-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8935-लाइवलीहुड कालेज— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)10.32	89.68	0.00	(-)89.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10.32 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4406-01-789-101-0703-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5538-एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना— मूल 237.60 पुनर्वि. (-)132.60	105.00	48.59	(-)56.41
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 132.60 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4415-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9182-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सहायता— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)125.00	125.00	125.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 4515-789-102-0703-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना— मूल 600.00 पूरक 600.00 पुनर्वि. (-)1,200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 4700-01-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,049.65	450.35	450.35	0.00
(25) 4700-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,331.15	1,668.85	1,649.15	(-)19.70
(26) 4700-08-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 910.00 पुनर्वि. (-)899.86	10.14	10.00	(-)0.14
उपरोक्त क्रम संख्या (24) से (26) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,049.65 लाख, ₹ 1,331.15 लाख एवं ₹ 899.86 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (24) एवं (25) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (26) शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(27) 4700-10-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 105.00 पुनर्वि. (-)105.00	0.00	0.00	0.00
₹ 105.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान व्यय के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 4700-12-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)954.08	1,045.92	1,045.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 954.08 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।			
(29) 4702-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3828—लघु सिंचाई योजना— मूल 4,050.00 पुनर्वि. (-)1,510.49	2,539.51	2,546.29	+6.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,510.49 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5059-एनिकट/स्टापडेम का निर्माण— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)5,497.63	2,502.37	2,502.45	+0.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,497.63 लाख की कमी नवीन योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, एजेंसी का निर्धारण नहीं होने तथा निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(31) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7422-आद्यौगिक जल संरचना निर्माण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)982.13	17.87	17.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 982.13 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण प्रकरण का निपटारा नहीं होने तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(32) 4801-02-789-190-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/ वितरण कम्पनी— मूल 368.40 पुनर्वि. (-)368.40	0.00	0.00	0.00
₹ 368.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(33) 4801-80-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8548-मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)200.00	500.00	500.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी वर्ष के अंत तक निधि के कम विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 4810-789-101-0410-उर्जा विकास निधि— 7693-सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान— मूल 2,343.24 पुनर्वि. (-)1,200.00	1,143.24	1,143.24	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,200.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(35) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)850.97	1,149.03	1,186.40	+37.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 850.97 लाख की कमी योजनाओं का अनुमोदन नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(36) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	1,920.00	1,065.26	(-)854.74
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7813—ई पी सी (नाबार्ड) के माध्यम से सड़क निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नाबार्ड ऋण का अनुमोदन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(38) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	600.00	484.98	(-)115.02
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(39) 5054-04-789-337-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9002—अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण— मूल 21,000.00 पुनर्वि. (-)10,094.78	10,905.22	11,005.33	+100.11
समर्पण द्वारा ₹ 9,994.78 लाख की कमी योजनाओं का अनुमोदन नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 10,094.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के साथ अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 64—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(40) 5054-05-789-337-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7818-ई.पी.सी. (इंजीरियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)— मूल 39,100.00 पुनर्वि. (-)13,760.00	25,340.00	25,340.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,760.00 लाख की कमी नाबार्ड ऋण के स्वीकृति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(41) 5275-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7861-संचार क्रांति योजना— मूल 6,240.00 पूरक 6,801.00 पुनर्वि. (-)10,545.00	2,496.00	2,496.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,545.00 लाख की कमी शासन की परियोजना के लिए प्रशासकीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(42) 6215-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)542.66	57.34	57.34	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 542.66 लाख की कमी शासन द्वारा निधि के कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(43) 6408-02-789-190-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	126.00	0.00	(-)126.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4801-06-789-800-0410-उर्जा विकास निधि— 6758-कृषि पंपों का ऊर्जाकरण— मूल 1.00 पुनर्वि. 1,200.00	1,201.00	1,200.00	(-)1.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,200.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	3,90,592	3,07,858	(-)82,734 82,663
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	10	00	(-)10 10
पूंजीगत:			
दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	2,00,500	00	(-)2,00,500 2,00,500
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 827.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 826.63 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2052-091-4043-विमानन संचालनालय—			
मूल	3,905.92		
पुनर्वि.	(-)826.63	3,079.29	3,078.58 (-)0.71

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 826.63 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं क्षेत्रीय संयोजन योजना के अन्तर्गत वायु सेवा संचालित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2004-05 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है जो कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2017-18 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 65—समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार-			
मूल 2,005.00			
पुनर्वि. (-)2,005.00	0.00	0.00	0.00

₹ 2,005.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जगदलपुर, अम्बिकापुर, एवं बिलासपुर का विकास कार्य जिला खनिज निधि से किए जाने, विमानपत्तन विकास के लिए व्यय की गई निधि की प्रतिपूर्ति विमानन मंत्रालय से किए जाने एवं माना विमान पत्तन के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा राशि की मांग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	24,74,050		
पूरक	88,826	25,62,876	15,45,122
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)10,17,754 10,16,562
पूंजीगत	2,44,300	37,222	(-)2,07,078
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			2,07,078
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 888.26 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 10,177.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 10,165.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5904—पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय—			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)350.00	0.00	0.00
₹ 350.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान पाठ्य पुस्तक निगम से देयक तथा प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(2) 2202-02-109-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 8050—छात्रवृत्तियां—			
मूल	2,300.00		
पूरक	888.26		
पुनर्वि.	(-)930.26	2,258.00	2,260.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 42.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि जारी नहीं किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 888.26 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 930.26 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1395—छात्रावास— मूल 396.00 पुनर्वि. (-)127.38	268.62	267.22	(-)1.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 127.38 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(4) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2949—बालिकाओं का गणवेश— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान हाथकरघा से देयक तथा प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 18,580.00 पुनर्वि. (-)6,701.46	11,878.54	11,878.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,701.46 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5551—हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)445.44	154.56	146.63	(-)7.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 445.44 लाख की कमी लोक सभा निर्वाचन हेतु आचार संहिता लागू होने के कारण सायकल वितरण नहीं होने एवं निधियों के वैयक्तिक जमा खाते में जमा किए जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2010-11 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7363—युवा वाहक विकास योजना— मूल 179.50 पुनर्वि. (-)93.11	86.39	83.94	(-)2.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.11 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 979—क्रीड़ा परिसर— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)91.02	8.98	8.98	0.00
(9) 2225-04-102-5073—अल्पसंख्यक आयोग— मूल 233.90 पुनर्वि. (-)83.95	149.95	149.88	(-)0.07

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 91.02 लाख एवं ₹ 83.95 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—समाप्त

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-202-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना-			
मूल	159.00		
पुनर्वि.	(-)159.00	0.00	0.00
(2) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1395-छात्रावास-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 159.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)82.78	117.22	0.00
(4) 4225-03-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5096-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूँजी-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)90.00	60.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 82.78 लाख एवं ₹ 90.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(5) 4225-04-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7605-अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना-			
मूल	1,339.00		
पुनर्वि.	(-)1,339.00	0.00	0.00
₹ 1,339.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4225-04-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9410-हज कमेटी को सहायता अनुदान-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
2216—आवास			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230—श्रम तथा रोजगार			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2403—पशुपालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
4405—मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	66,13,860	56,29,498	(-)9,84,362
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			9,42,524
<i>प्रभारित</i>	<i>4,600</i>	<i>7,744</i>	<i>+3,144</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>3,047</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	66,85,919		
पूरक	72,432	67,58,351	(-)36,11,789
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			36,23,725
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 9,843.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 9,425.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 67—जारी

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-053-1481—जिला प्रशासन— मूल 447.00 पुनर्वि. (-)91.88	355.12	342.42	(-)0.70
(2) 2059-01-053-1533—जेल प्रशासन— मूल 214.00 पुनर्वि. (-)121.50	92.50	92.50	0.00
(3) 2059-01-053-2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)— मूल 1,243.00 पुनर्वि. (-)717.33	525.67	540.13	+14.46
(4) 2059-01-053-3125—भू-राजस्व— मूल 664.00 पुनर्वि. (-)569.93	94.07	94.08	+0.01
(5) 2059-01-053-3383—विशेष मरम्मत— भवन— मूल 1,862.00 पुनर्वि. (-)1,115.83	746.17	746.16	(-)0.01
(6) 2059-01-053-3387—मरम्मत—विश्राम गृह— मूल 841.00 पुनर्वि. (-)350.75	490.25	500.24	+9.99
(7) 2059-01-053-4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण— मूलभूत सेवाओं के लिये— मूल 1,193.00 पुनर्वि. (-)537.77	655.23	675.25	+20.02
(8) 2059-01-053-4608—स्टाम्प और पंजीयन— मूल 144.00 पुनर्वि. (-)129.83	14.17	20.77	+6.60
(9) 2059-01-053-6220—लोक निर्माण विभाग— मूल 548.00 पुनर्वि. (-)146.76	401.24	406.09	+4.85
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 91.88 लाख, ₹ 121.50 लाख, ₹ 717.33 लाख, ₹ 569.93 लाख, ₹ 1,115.83 लाख, ₹ 350.75 लाख, ₹ 537.77 लाख, ₹ 129.83 लाख एवं ₹ 146.76 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (3), (6) (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(10) 2059-01-053-6519—योजनाओं के अनुश्रवण व्यवस्था का सुदृढीकरण— मूल 3,120.00 पुनर्वि. (-)830.92	2,289.08	2,277.53	(-)11.55

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2059-60-053-3645—राजकीय उच्चतर विद्यालय एवं महाविद्यालयों भवनों के रख रखाव— मूल 979.00 पुनर्वि. (-)473.34	505.66	508.68	+3.02
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 830.92 लाख एवं ₹ 473.34 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2059-60-053-3647—राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का रख रखाव— मूल 1,242.00 पुनर्वि. (-)620.60	621.40	621.42	+0.02
समर्पण द्वारा ₹ 130.60 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 490.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 620.60 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2059-60-053-4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— मूल 555.00 पुनर्वि. (-)371.23	183.77	182.48	(-)1.29
समर्पण द्वारा ₹ 71.23 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 371.23 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2059-60-053-5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण— मूल 265.00 पुनर्वि. (-)74.57	190.43	190.44	+0.01
(15) 2059-60-053-7425—नवीन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का रख रखाव— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)80.16	109.84	109.85	+0.01
(16) 2059-60-053-794—कला और संस्कृति भवनों का रख रखाव— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)227.11	72.89	72.89	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 74.57 लाख, ₹ 80.16 लाख एवं ₹ 227.11 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2059-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3300—मण्डल स्थापना	1,943.75	1,585.14	(-)358.61
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3566-मुख्यालय स्थापना-			
मूल	2,837.95		
पुनर्वि.	215.00	3,052.95	2,501.65
			(-)551.30
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 215.00 लाख का आवर्धन देयताओं के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(19) 2059-80-052-9269-मशीनों का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापना-			
मूल	470.00		
पुनर्वि.	(-)131.68	338.32	340.31
			+1.99
(20) 2059-80-799-1051-स्टॉक-			
मूल	552.00		
पुनर्वि.	(-)511.49	40.51	40.51
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 131.68 एवं ₹ 511.49 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (19) शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(21) 2216-05-053-2450-न्याय प्रशासन-			
मूल	240.00		
पुनर्वि.	(-)96.29	143.71	145.62
			+1.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.29 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2216-05-053-4095-विशेष मरम्मतें-			
मूल	2,337.00		
पुनर्वि.	(-)1,239.83	1,097.17	1,097.15
			(-)0.02
समर्पण द्वारा ₹ 439.83 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,239.83 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2216-05-053-4489-सामान्य मरम्मतें-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)443.49	1,556.51	1,556.45
			(-)0.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 443.49 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2216-80-001-2300-निर्देशन एवं प्रशासन- (मांग संख्या 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना) का समानुपातिक भाग-			
मूल	3,615.71		
पुनर्वि.	(-)3,379.16	236.55	236.55
			0.00

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 2216—80—052—692—औजार एवं संयंत्र प्रभार (मांग संख्या 67—2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)— मूल 1,297.47 पुनर्वि. (-)1,297.29	0.18	0.18	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,379.16 एवं ₹ 1,297.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015—16 से 2017—18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (24) शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007—08 से 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059—01—053—3692—राज्य विधानसभा— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)1.64	118.36	194.39	+76.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.64 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

(2) 2059—60—053—7755—अतिविशिष्ट अतिथियों का भ्रमण— मूल 5,000.00 पुनर्वि. 4,813.72	9,813.72	9,802.97	(-)10.75
--	----------	----------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि दायित्वों के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 186.28 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,813.72 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2059—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2418—निष्पादन	29,660.82	29,855.86	+195.04
---	-----------	-----------	---------

अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(iv) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में ₹ 50.23 लाख को "2059—लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए हैं। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (vi) में दिए गए हैं।

वर्ष 2018—19 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

अनुदान संख्या 67—जारी

विवरण	प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2018 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2019 को नामे+ जमा(-)
2059—लोक निर्माण कार्य—	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-) 2,282.95	0.00	0.00	(-) 2,282.95
(ii) भण्डार	+1,769.80	40.51	0.00	+1,729.29
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 7,355.98	69.11	2.94	+ 7,289.81
योग	+ 6,842.83	109.62	2.94	+6,736.15

प्रभारित—

(v) विनियोग से हुए ₹ 31,44,252 के अधिक व्यय का नियमितीकरण आवश्यक है।

(vi) ₹ 31.44 लाख की अंतिम आधिक्य के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया वर्ष ₹ 30.47 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	----------------	---------------------------------	-------------------

2059—60—800—1835—डिक्री धन का भुगतान—

मूल	35.00		
पुनर्वि.	(-)21.90	13.10	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 21.90 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

2216—80—800—1836—डिक्री धन का

भुगतान (भारित)—

मूल	11.00		
पुनर्वि.	(-)8.57	2.43	64.34

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 8.57 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

पूँजीगत
दत्तमत—

(ix) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 724.32 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि जनवरी 2019 में सांकेतिक प्रावधान भी किया गया।

(x) ₹ 36,117.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 36,237.25 लाख अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(xi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4059—01—051—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

6333—भू—राजस्व

कार्यालय भवन—

मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)1,012.73	287.27	287.28

+0.01

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4059-01-051-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन— मूल 1,682.65 पुनर्वि. (-)811.29	871.36	1,011.98	+140.62
(3) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2407—निर्वाचन— मूल 1,200.60 पुनर्वि. (-)245.47	955.13	957.63	+2.50
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,012.73 लाख, ₹ 811.29 लाख एवं ₹ 245.47 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	200.00	0.15	(-)199.85
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3643—राज भवन— मूल 290.00 पुनर्वि. (-)240.00	50.00	0.67	(-)49.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3755—राष्ट्रीय सैन्य दल— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3855—लोक निर्माण कार्य—भवन— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)3,960.08	6,039.92	6,026.10	(-)13.82
(8) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4606—स्टॉम्प एवं पंजीयन— मूल 180.00 पुनर्वि. (-)98.40	81.60	66.05	(-)15.55
(9) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5049—राज्य विधान मण्डल— मूल 2,600.00 पुनर्वि. (-)2,557.62	42.38	42.38	0.00

अनुदान संख्या 67—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,960.08 लाख, ₹ 98.40 लाख एवं ₹ 2,557.62 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी क्रम संख्या (7), 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (8) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5558-जिला उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण-			
मूल	142.00		
पुनर्वि.	(-)142.00	0.00	0.00
₹ 142.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5600-परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण-			
मूल	320.00		
पुनर्वि.	(-)274.05	45.95	(-)20.00
(12) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5651-हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय-			
मूल	248.00		
पुनर्वि.	(-)46.54	201.46	(-)104.00
(13) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग-			
मूल	1,750.00		
पुनर्वि.	(-)1,711.74	38.26	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 274.05 लाख, ₹ 46.54 लाख एवं ₹ 1,711.74 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (11) एवं (13) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(14) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6220-लोक निर्माण विभाग-			
मूल	174.00		
पुनर्वि.	(-)174.00	0.00	0.00
₹ 174.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन-			
मूल	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)810.60	1,089.40	(-)0.21

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7274—लोक अभियोजन— मूल 160.00 पुनर्वि. (-)132.12	27.88	27.89	+0.01
(17) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7716—मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 907.92 पुनर्वि. (-)897.61	10.31	10.31	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 810.60 लाख, ₹ 132.12 लाख एवं ₹ 897.61 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7717—प्रशिक्षण केन्द्र, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 540.00 पुनर्वि. (-)540.00	0.00	0.00	0.00
(19) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7718—आपातकालीन सेवाएं— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 540.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(20) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8040—जेल भवनों का निर्माण— मूल 4,500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)3,618.24	881.76	896.71	+14.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,618.24 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2008-09 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(21) 4059-60-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9262—जिला सैनिक बोर्ड— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4059-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2418—निष्पादन— मूल 233.00 पुनर्वि. (-)203.86	29.14	29.14	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 203.86 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 4202-01-202-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 4202-01-202-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण— मूल 11,239.00 पुनर्वि. (-)4,103.35	7,135.65	7,295.59	+159.94
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,103.35 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 4202-01-203-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5086—कॉलेज भवन का निर्माण— मूल 2,492.00 पुनर्वि. (-)1,623.60	868.40	995.26	+126.86
(26) 4202-01-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4402—शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)290.10	409.90	409.91	+0.01
(27) 4202-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8071—पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण— मूल 1,596.00 पुनर्वि. (-)165.70	1,430.30	1,351.12	(-)79.18
(28) 4202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 515—इन्जीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान, भवनों का निर्माण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)842.62	157.38	162.83	+5.45
उपरोक्त क्रम संख्या (25) से (28) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,623.60 लाख, ₹ 290.10 लाख, ₹ 165.70 लाख एवं ₹ 842.62 लाख की कमी कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (25) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य एवं क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(29) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5908—खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण— मूल 1,525.00 पुनर्वि. (-)980.00	545.00	545.00	0.00

अनुदान संख्या 67—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 980.00 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7425—नवीन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का रख रखाव— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00

₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(31) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8984—युवा छात्रावास— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

(32) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) — 4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण—मूलभूत सेवाओं के लिये— मूल 90.00 पुनर्वि. (-)90.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 90.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (31) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 4210-02-103-101—राज्य आयोजना (सामान्य) — 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)99.60	0.40	0.41	+0.01
--	------	------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.60 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(34) 4210-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4136—आयुर्वेद भवन का निर्माण— मूल 72.00 पुनर्वि. (-)72.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 72.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(35) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)1,191.32	8.68	8.68	0.00
--	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,191.32 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(36) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4220-शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय-			
मूल	7,000.00		
पूरक	559.51		
पुनर्वि.	(-)6,790.39	769.12	794.64
			+25.52
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,790.39 लाख की कमी कार्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 4216-01-106-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6222-न्याय प्रशासन के आवास गृह का निर्माण-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,027.54	972.46	988.74
			+16.28
(38) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5640-उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण-			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-)1,321.35	78.65	101.52
			+22.87
उपरोक्त क्रम संख्या (37) एवं (38) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,027.54 लाख एवं ₹ 1,321.35 लाख कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम (37) एवं 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (38) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6222-न्याय प्रशासन के आवास गृह का निर्माण-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00
(40) 4250-203-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 976-औ.प्र.सं. कार्यालय भवनों का निर्माण			
मूल	80.00		
पुनर्वि.	(-)80.00	0.00	0.00
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (39) एवं (40) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 80.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (39) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (40) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(41) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8935-लाइवलीहुड कालेज-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)156.93	343.07	343.08
			+0.01
(42) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 976-आई. टी. आई. भवनों का निर्माण-			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)551.21	548.79	584.32
			+35.53

अनुदान संख्या 67—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (41) एवं (42) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 156.93 लाख एवं ₹ 551.21 लाख की कमी प्रशासनिक निविदाओं एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (42) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी क्रम संख्या (42) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(xii) उपरोक्त टिप्पणी (xi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान-(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 2.00 पुनर्वि. 97.92	99.92	99.92	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि दायित्वों का भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.08 लाख की कमी निर्धारित समयावधि में देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 97.92 लाख का आर्वधन उल्लिखित की गई है।			
(2) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7673-विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान- मूल 2.00 पुनर्वि. 92.20	94.20	94.20	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि दायित्वों का भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 7.80 लाख की कमी निर्धारित समयावधि में देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 92.20 लाख का आर्वधन उल्लिखित की गई है।			
(3) 4202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास-स्टेडियम आदि- मूल 2,852.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. 1,966.62	4,918.62	4,918.65	+0.03
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि दायित्वों का भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 33.38 लाख की कमी निर्धारित समयावधि में देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,966.62 लाख का आर्वधन उल्लिखित किया गया है।			
(4) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग- मूल 618.00 पुनर्वि. 221.80	839.80	839.78	(-)0.02
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की वृद्धि दायित्वों का भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 178.20 लाख की कमी निर्धारित समयावधि में देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 221.80 लाख का आर्वधन उल्लिखित किया गया है।			

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	18,30,330	8,80,854	(-)9,49,476
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			9,49,021

पूंजीगत :

(i) ₹ 9,494.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 9,490.21 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-796-051-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7307—विशेष अधोसंरचना विकास योजना— मूल 46.00 पूनर्वि. (-)31.04	14.96	14.96	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 31.04 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4059-01-796-051-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3855—लोक निर्माण भवन— मूल 400.00 पूनर्वि. (-)382.69	17.31	17.31	0.00
(3) 4059-01-796-051-0102— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6333—भू-राजस्व कार्यालय—भवन— मूल 145.00 पूनर्वि. (-)66.07	78.93	78.92	(-)0.01
(4) 4059-01-796-051-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7827—जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के भवन निर्माण हेतु— मूल 40.00 पूनर्वि. (-)34.32	5.68	5.69	+0.01

अनुदान संख्या 68—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 382.69 लाख, ₹ 66.07 एवं ₹ 34.32 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)2,879.72	320.28	320.29	+0.01

समर्पण द्वारा ₹ 2,379.72 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,879.72 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5086—कॉलेज भवन का निर्माण— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,800.94	1,199.06	1,218.15	+19.09
--	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा ₹ 600.94 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,800.94 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4202-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8071—पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)485.61	714.39	714.38	(-)0.01
---	--------	--------	---------

(8) 4202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास—स्टेडियम आदि— मूल 1,228.00 पुनर्वि. (-)810.48	417.52	417.51	(-)0.01
--	--------	--------	---------

(9) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 395—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)94.00	6.00	6.00	0.00
---	------	------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 485.61 लाख, ₹ 810.48 लाख एवं ₹ 94.00 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 4210-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण— मूल 44.00 पुनर्वि. (-)44.00	0.00	0.00	0.00
(11) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 44.00 लाख एवं ₹ 50.00 का सम्पूर्ण प्रावधान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य के प्रारम्भ नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2010-11 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 4210-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5057-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण— मूल 170.00 पुनर्वि. (-)170.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 140.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 170.00 का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2631-पुलिस प्रशासन— मूल 900.00 पुनर्वि. (-)574.16	325.84	325.84	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 574.16 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3070-भाड़ा गृह निर्माण योजना के अंतर्गत आवास गृहों का निर्माण— मूल 40.00 पुनर्वि. (-)40.00	0.00	0.00	0.00
₹ 40.00 का सम्पूर्ण प्रावधान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य के प्रारम्भ नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(15) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5918-सामान्य प्रशासन विभाग— मूल 1,600.00 पुनर्वि. (-)1,104.19	495.81	495.81	0.00

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 4225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना- मूल 105.00 पुनर्वि. (-)100.72	4.28	4.29	+0.01
(17) 4225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9840-शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)747.15	252.85	252.89	+0.04
(18) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8935-लाइवलीहुड कालेज- मूल 743.00 पुनर्वि. (-)394.38	348.62	348.61	(-)0.01
(19) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें कार्यालय भवनों का निर्माण- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)691.24	1,308.76	1,298.79	(-)9.97

उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,104.19 लाख, ₹ 100.72 लाख, ₹ 747.15 लाख, ₹ 394.38 लाख एवं ₹ 691.24 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15), 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (17) एवं (19) एवं 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(20) 4403-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6781-पशुपालन विभाग भवन- मूल 33.30 पुनर्वि. (-)33.30	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 33.30 का सम्पूर्ण प्रावधान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य के प्रारम्भ नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-796-051-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय- भवन- मूल 1,015.00 पुनर्वि. 750.31	1,765.31	1,765.51	(-)3.80

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की वृद्धि दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 49.69 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 750.31 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4210-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	25.86	35.86	37.98
			+2.12

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.14 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 25.86 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(3) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4220-शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	430.63	1,430.63	1,430.63
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 900.00 लाख की वृद्धि दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 469.37 लाख की कमी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 430.63 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज का भुगतान			
2217—शहरी विकास			
राजस्व:			
मूल	85,04,335		
पूरक	21,03,273	1,06,07,608	74,93,010
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)31,14,598 31,14,598

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 21,032.73 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049—60—701—7709—सबके लिए आवास योजना—			
मूल	3,410.00		
पुनर्वि.	(-)3,410.00	0.00	0.00
₹ 3,410.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(2) 2217—05—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7681—वाटर ए.टी.एम. की स्थापना—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)180.00	120.00	120.00
(3) 2217—05—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7681—वाटर ए.टी.एम. की स्थापना—			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)210.00	140.00	140.00
(4) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान—			
मूल	5,800.00		
पूरक	1,384.95		
पुनर्वि.	(-)2,439.84	4,745.11	4,745.11

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 180.00 लाख, ₹ 210.00 एवं ₹ 2,439.84 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015—16 से 2017—18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) एवं 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 69— समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2217-80-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7685-स्मार्ट सिटी-			
मूल	37,800.00		
पुनर्वि.	(-)3,000.00	34,800.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,000.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2217-80-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7706-अमरीत योजना-			
मूल	15,708.00		
पूरक	18,468.00		
पुनर्वि.	(-)18,468.00	15,708.00	0.00
(7) 2217-80-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-			
मूल	2,089.91		
पुनर्वि.	(-)123.42	1,966.49	0.00
(8) 2217-80-192-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	3,113.21		
पूरक	743.77		
पुनर्वि.	(-)743.77	3,113.21	0.00
(9) 2217-80-192-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7709-सबके लिए आवास योजना-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,233.94	1,766.06	0.00
(10) 2217-80-193-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	1,827.63		
पूरक	436.01		
पुनर्वि.	(-)436.01	1,827.63	0.00
(11) 2217-80-193-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7709- सबके लिए आवास योजना-			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-)900.00	500.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 18,468.00 लाख, ₹ 123.42 लाख, ₹ 743.77 लाख, ₹ 1,233.94 लाख, ₹ 436.01 लाख एवं ₹ 900.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सुचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10), 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (7) एवं (11) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3275—अन्य दूरसंचार सेवायें			
5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	13,60,784		
पूरक	50,000	14,10,784	5,01,493
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)9,09,291 9,09,291
पूंजीगत:			
मूल	28,00,000		
पूरक	28,34,000	56,34,000	10,40,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)45,94,000 45,94,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था, जबकि जनवरी 2019 में सांकेतिक प्रावधान भी किया गया। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-			
7900-छत्तीसगढ़ स्टेट स्पेशल			
डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर-			
मूल	86.05		
पुनर्वि.	(-)86.05	0.00	0.00
₹ 86.05 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(2) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6818-स्वान परियोजना-			
मूल	2,779.59		
पुनर्वि.	(-)1,667.75	1,111.84	1,111.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,667.75 लाख की कमी राशि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई।			
(3) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6924-सामान्य सेवा			
केन्द्र परियोजना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राशि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 71-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7270-ई जिला परियोजना- मूल 597.59 पुनर्वि. (-)597.59	0.00	0.00	0.00
(5) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7276-स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना- मूल 3,220.00 पुनर्वि. (-)3,220.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 597.59 लाख एवं ₹ 3,220.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राशि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(6) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7752-कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलिरेटर योजना- मूल 257.30 पुनर्वि. (-)90.06	167.24	167.24	0.00
(7) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7773-सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फार इन्फ्रास्ट्रक्चर- मूल 194.70 पुनर्वि. (-)116.82	77.88	77.88	0.00
(8) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7775- नागरिक संबंधों के लिए केंद्रीय योजना- मूल 927.00 पुनर्वि. (-)297.00	630.00	630.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 90.06 लाख, ₹ 116.82 लाख एवं ₹ 297.00 लाख की कमी राशि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(9) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7776-कौशल विकास एवं प्लेसमेंट हेतु अनुदान- मूल 258.61 पुनर्वि. (-)258.61	0.00	0.00	0.00
₹ 258.61 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना का स्थानांतरण तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग में किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(10) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7823-स्वान परियोजना का विस्तारीकरण- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राशि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 71—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7873-आधार परियोजना (विशिष्ट पहचान)- पूरक 120.00 पुनर्वि. 120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(12) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7901-वर्चुअल एजुकेशन योजना- पूरक 547.50 पुनर्वि. (-)547.50	0.00	0.00	0.00
₹ 547.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(13) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8546-मुख्यमंत्री डैश बोर्ड योजना- पूरक 126.22 पुनर्वि. (-)75.73	50.49	50.49	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.73 लाख की कमी राशि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई।			
(14) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8955-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना- मूल 2,100.00 पुनर्वि. (-)1,406.00	694.00	694.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,406.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

पूँजीगत :

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 28,340.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि में सीमित किया जा सकता था।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5275-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7861-संचार क्रांति योजना- मूल 26,000.00 पूरक 28,340.00 पुनर्वि. (-)43,940.00	10,400.00	10,400.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 43,940.00 लाख की कमी परियोजना पर कुछ नीतियों का निर्णय सरकारी स्तर में करने से निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5275-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7892-भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-),2,000.00	0.00	0.00

₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	70,00,000	45,99,139	(-)24,00,861
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			24,00,512

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 24,008.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 24,005.12 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-02-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)5,299.77	9,700.23	9,697.24	(-)2.99

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,500.00 लाख की कमी, निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,799.77 लाख की अन्य कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 5,299.77 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4700-03-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,796.65	1,203.35	1,203.35	0.00
--	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 193.00 लाख की कमी, निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,603.65 लाख की अन्य कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,796.65 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4700-04-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)572.67	427.33	427.33	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 572.67 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4700-05-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,544.06	1,455.94	1,455.88	(-)0.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,544.06 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4700-09-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 2,700.00 पुनर्वि. (-)2,700.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कमान क्षेत्र विकास के लिए एजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4700-10-800-0313-नाबार्ड योजनाएं- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 800.00 पुनर्वि. (-)800.00	0.00	0.00	0.00
₹ 800.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कमान क्षेत्र विकास के लिए एजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4700-10-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कमान क्षेत्र विकास के लिए एजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4700-11-800-0313-नाबार्ड योजनाएं- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कमान क्षेत्र विकास के लिए एजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4700-11-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,991.47	8.53	8.53	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,991.47 लाख की कमी कमान क्षेत्र विकास के लिए एजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 75-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 4700-12-800-0313- नाबार्ड योजनाएं- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान आचार संहिता लागू होने से शासन द्वारा निविदा कार्यों की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4700-12-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 21,000.00 पुनर्वि. (-)3,066.00	17,934.00	17,934.01	+0.01
समर्पण द्वारा द्वारा प्रावधान से ₹ 3,066.00 लाख की कमी, निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4701-01-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 400.00 पुनर्वि. (-)336.40	63.60	63.60	0.00
समर्पण द्वारा द्वारा प्रावधान से ₹ 336.40 लाख की कमी, कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(13) 4701-05-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 370.00 पुनर्वि. (-)370.00	0.00	0.00	0.00
₹ 370.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4701-08-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(15) 4702-101-0313-नाबार्ड योजनाएं- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5189-लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,563.32	436.68	436.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,563.32 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 75—समाप्त		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(16) 4702—101—0312—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 5,500.00 पुनर्वि. (-)1,324.50	4,175.50		3,872.57	(-)302.93

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,324.50 लाख की कमी कार्य के प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

(1) 4700—07—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 1,800.00 पुनर्वि. 190.68	1,990.68		1,990.68	0.00
---	----------	--	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 193.00 लाख की वृद्धि योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.32 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 190.68 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 4702—101—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 9469—नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत— मूल 6,500.00 पुनर्वि. 1,937.60	8,437.60		8,740.09	+302.49
---	----------	--	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,000.00 लाख की वृद्धि योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,062.40 लाख की कमी वृक्षा रोपण मुआवजा प्रकरणों का भुगतान (₹ 500.00 लाख) नहीं किए जाने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार (₹ 1,562.40 लाख) के निवल परिणाम से प्रावधान में ₹ 1,937.60 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत			
मूल	77,56,000		
पुनर्वि.	01	77,56,001	46,03,409
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)31,52,592 31,52,590

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 31,525.92 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 31,525.90 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054—03—337—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज—II— मूल 26,647.00 पुनर्वि. (-)8,820.73	17,826.27	17,826.27	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,820.73 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 5054—03—337—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज—II— मूल 13,555.00 पुनर्वि. (-)3,005.07	10,549.93	10,549.92	(-)0.01
समर्पण द्वारा ₹ 2,844.07 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 161.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,005.07 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011—12 से 2017—18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 5054—03—337—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज—II— मूल 37,358.00 पुनर्वि. (-)19,858.66	17,499.34	17,499.34	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 19,858.66 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 76—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5626-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 158.56	158.56	158.56	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 161.00 लाख की वृद्धि देयकों के भुगतान करने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.44 लाख की कमी निधियों के उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 158.56 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	61,54,644		
पूरक	28,212	61,82,856	43,51,541
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)18,31,315 11,95,875
<i>प्रभारित</i>	<i>420</i>	<i>00</i>	<i>(-)420</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)</i>			<i>110</i>

पूंजीगत:

दत्तमत—			
मूल	18,92,045		
पूरक	सांकेतिक	18,92,045	9,19,211
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-)9,72,834 9,54,759
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 282.12 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 18,313.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 11,958.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-800-5499-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा—			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)89.54	290.46	0.00
(2) 2210-01-110-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायपुर—			
मूल	8,526.90		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,364.42	7,162.48	7,084.67
(3) 2210-01-110-7719-सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर—			
मूल	1,653.40		
पूरक	230.00		
पुनर्वि.	(-)1,152.64	730.76	730.49

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2210-01-110-962—कैंसर हॉस्पिटल— मूल 1,190.30 पुनर्वि. (-)522.81	667.49	664.98	(-)2.51
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 89.54 लाख, ₹ 1,364.42 लाख, ₹ 1,152.64 लाख एवं ₹ 522.81 लाख की कमी के साथ ही क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2008-09 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (1) एवं 2006-07 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2210-01-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7637—राज्य कैंसर संस्थान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6997—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायगढ़— मूल 3,751.10 पुनर्वि. (-)509.81	3,241.29	3,222.49	(-)18.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 509.81 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(7) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8938—चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय, राजनांदगांव— मूल 2,895.00 पुनर्वि. (-)1,179.07	1,715.93	1,720.19	(-)4.26
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,254.07 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,179.07 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2210-02-101-3821—लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	170.00	66.51	(-)103.49
(9) 2210-02-101-461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढीकरण	938.83	753.75	(-)185.08
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2210-02-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन	1,000.00	0.00	(-)1,000.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(11) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4194—सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय एवं भंडार	541.90	307.46	(-)234.44

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	1,739.80	1,275.63	(-)464.17
(13) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7511-आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल	553.10	435.37	(-)117.73
(14) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	11,124.50	8,499.38	(-)2,625.12
(15) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7240-आयुर्वेदिक ग्राम	500.00	229.73	(-)270.27
(16) 2210-04-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4810-होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)	493.95	324.32	(-)169.63
(17) 2210-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय	1,936.70	1,546.61	(-)390.09
उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (17) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13), 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (15) एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2008-09 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (11) एवं 2007-08 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (14) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(18) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1352-चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर- मूल 8,605.60 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,674.31	6,931.29	6,880.84	(-)50.45
(19) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1355-चिकित्सा शिक्षा संचालनालय- मूल 295.50 पूरक 3.17 पुनर्वि. (-)113.40	185.27	184.60	(-)0.67
(20) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1915-दंत महाविद्यालय- मूल 2,616.70 पुनर्वि. (-)556.42	2,060.28	2,066.68	+6.40
(21) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6996-चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़- मूल 3,389.20 पूरक 24.00 पुनर्वि. (-)1,097.50	2,315.70	2,313.79	(-)1.91

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8897—सिकल सेल संस्थान की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)105.00	195.00	195.00	0.00
(23) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8939—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव— मूल 3,328.50 पुनर्वि. (-)1,392.99	1,935.51	1,932.52	(-)2.99
(24) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 1,846.85 पूरक 24.55 पुनर्वि. (-)752.17	1,119.23	1,118.46	(-)0.77
(25) 2210-06-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7279—चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)100.00	300.00	300.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (25) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,674.31 लाख, ₹ 113.40 लाख, ₹ 556.42 लाख, ₹ 1,097.50 लाख, ₹ 105.00 लाख, ₹ 1,392.99 लाख, ₹ 752.17 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की कमी के कारणों के साथ उपरोक्त क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-17 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (18), 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (22) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007-08 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (20), (21) एवं (23) एवं 2009-10 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(26) 2210-06-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7674—चिकित्सा विश्वविद्यालय में फार्मेशी महाविद्यालय— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 9,728.34 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 9,547.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 79-जारी

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायपुर- पूरक 637.00 पुनर्वि. (-)637.00	0.00	0.00	0.00
(2) 4210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8938-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, राजनांदगांव- पूरक 1,680.00 पुनर्वि. (-)1,680.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 637.00 लाख एवं ₹ 1,680.00 के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6997-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायगढ़- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)390.75	1,109.25	1,109.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 390.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(4) 4210-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4136-आयुर्वेद भवन निर्माण	760.00	304.00	(-)456.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(5) 4210-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव- मूल 2,780.00 पुनर्वि. (-)2,780.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,780.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4210-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1352-चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर- मूल 2,100.00 पुनर्वि. (-)450.00	1,650.00	1,650.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 450.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(7) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8897-सिकल सेल इंस्टिट्यूट की स्थापना- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव-			
मूल	5,640.00		
पुनर्वि.	(-)1,785.78	3,854.22	3,854.22
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,785.78 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 4210-04-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7279-चिकित्सा विश्वविद्यालय-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	0.00	0.00
			0.00

(10) 4210-04-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7674-चिकित्सा विश्वविद्यालय में फार्मसी महाविद्यालय-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)800.00	0.00	0.00
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 600.00 लाख एवं ₹ 800.00 के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7719-सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर-			
मूल	1,300.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)51.18	1,248.82	1,548.82
			+300.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 51.18 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 80—त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन			
4515—अन्य ग्रामीण कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय			
राजस्व:			
मूल	3,81,96,873		
पूरक	38,07,900	4,20,04,773	2,32,50,513
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			(-),1,87,54,260 1,74,37,192
पूंजीगत	18,05,000	17,75,988	(-),29,012
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			28.812
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 (₹ 16,442.00 लाख) एवं जनवरी 2019 में (₹ 21,637.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 38,079.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,87,542.60 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,74,371.92 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-197-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	1,14,227.00		
पुनर्वि.	(-),68,087.03	46,139.97	(-),0.38
(2) 2202-02-196-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	40,000.00		
पुनर्वि.	(-),22,245.35	17,754.65	(-),2.00

अनुदान संख्या 80—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 68,087.03 लाख एवं ₹ 22,245.35 लाख की कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2215-01-198-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण-			
मूल	161.70		
पुनर्वि.	(-)161.70	0.00	0.00
₹ 161.70 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2215-01-198-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 2219-नलकूपों का अनुरक्षण-			
मूल	3,300.00		
पुनर्वि.	(-)573.45	2,726.55	2,741.74 +15.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 573.45 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(5) 2235-60-198-4858-सुखद सहारा योजना	7,770.00	7,251.36	(-)518.64
(6) 2235-60-198-9142-समाजिक सुरक्षा और कल्याण	29,733.00	27,926.50	(-)1,806.50
(7) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	975.00	593.30	(-)381.70
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	7,052.90		
पुनर्वि.	(-)48.37	7,004.53	6,831.28 (-)173.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 48.37 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(9) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7340-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	541.50	410.58	(-)130.92
(10) 2235-60-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7921-मुख्यमंत्री पेंशन योजना	16,442.00	6,745.64	(-)9,696.36
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2403-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय— मूल 160.00 पुनर्वि. (-)76.77	83.23	83.13	(-)0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.77 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(12) 2515-101-6981—पंचमन पत्रिका के संपादन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2515-101-7791—पंचायत पदाधिकारियों का सम्मेलन— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)226.30	773.70	773.70	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.30 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2515-101-8391—त्रिस्तरीय पुरस्कार— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)345.00	355.00	355.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 345.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2515-197-8879—मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से पंचायतों को अनुदान— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00	0.00	0.00	0.00
₹ 350.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2515-197-1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7848—जनपद पंचायत विकास निधि— मूल 2,190.00 पुनर्वि. (-)90.00	2,100.00	2,100.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 2515-198-7675—14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,18,002.00 पूरक 11,637.00 पुनर्वि. (-)63,508.27	66,130.73	66,130.73	0.00

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2515-198-8209—पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं—			
मूल	6,400.00		
पुनर्वि.	(-)402.59	5,997.41	6,019.53
			+22.12
उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 63,508.27 लाख एवं ₹ 402.59 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2515-198-1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 5848—ढांचागत कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों को अनुदान—			
मूल	11,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,519.62	8,480.38	8,480.38
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,519.62 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2515-198-1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7687—मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना—			
मूल	120.40		
पुनर्वि.	(-)120.40	0.00	0.00
			0.00
₹ 120.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण अप्रयुक्त रहा।			
(21) 2515-198-1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7789—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,053.82	446.18	446.18
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,053.82 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(22) 2515-198-1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 8214—सचिवालय प्रबंधन—			
मूल	9,800.00		
पूरक	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)212.14	19,587.86	19,587.86
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 212.14 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2515-198-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,306.70	193.30	193.30
			0.00
(24) 2515-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7790—श्रद्धांजलि योजना—			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)130.38	119.62	119.62
			0.00

अनुदान संख्या 80—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,306.70 लाख एवं ₹ 130.38 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 2515-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8555-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि अन्य पिछड़े वर्ग के 2000 किसानों के अनुपयोगी पम्पों का विद्युतिकरण किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 400.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(26) 2853-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण-			
मूल	10,447.50		
पुनर्वि.	(-)8,046.63	2,400.87	1,953.21
			(-)447.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,046.63 लाख की कमी सरकार द्वारा पंचायतों को अंतरण के लिए निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(27) 3604-197-0480-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि- 4610-स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध पंचायतों को अनुदान-			
मूल	6,500.00		
पुनर्वि.	(-)4,027.91	2,472.09	2,472.09
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,027.91 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 8991-गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण-			
मूल	1,050.00		
पुनर्वि.	(-)1,050.00	0.00	0.00

₹ 1,050.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 80—समाप्त

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 8555-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण-			
मूल	6,200.00		
पुनर्वि.	(-)288.12	5,911.88	6,262.04
			+305.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 288.12 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 8986-मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना-			
मूल	10,800.00		
पुनर्वि.	1,050.00	11,850.00	11,497.84
			(-)352.16

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,050.00 लाख के आवर्धन एकीकृत सुविधाओं के निर्माण किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मुख्य शीर्ष—	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन			
4215—जल पूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,79,58,030			
पूरक	48,12,500	2,27,70,530	1,36,50,515	(-)91,20,015
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				91,19,420

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2019)

7,13,450

4,90,151

(-)2,23,299
2,23,299

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	60,40,000			
पूरक	66,100	61,06,100	18,50,000	(-)42,56,100
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				42,56,100

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2018 (₹ 41,078.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 7,047.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 48,125.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 91,200.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 91,194.20 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबन्धन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	11,883.00		
पुनर्वि.	(-)2,377.00	9,506.00	9,506.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,377.00 लाख की कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 81-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2217-05-191-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	22,197.00		
पूरक	4,320.00		
पुनर्वि.	(-)9,226.00	17,291.00	17,291.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,226.00 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2217-05-191-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	1,250.00		
पुनर्वि.	(-)1,250.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 1,250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2217-05-192-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	7,166.00		
पूरक	1,395.00		
पुनर्वि.	(-)5,770.00	2,791.00	2,791.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,770.00 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	125.00		
पुनर्वि.	(-)125.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 125.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 2217-05-193-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	6,844.00		
पूरक	1,332.00		
पुनर्वि.	(-)5,510.50	2,665.50	2,665.50
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,510.50 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	125.00		
पुनर्वि.	(-)125.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 125.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2235-60-191-4858-इंदिरा सहारा योजना-			
मूल	1,428.00		
पुनर्वि.	(-)280.55	1,147.45	1,148.10
			+0.65
(9) 2235-60-191-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	2,870.00		
पुनर्वि.	(-)450.04	2,419.96	2,419.96
			0.00

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2235-60-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)197.60	202.40	202.40
			0.00
(11) 2235-60-191-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	1,128.00		
पुनर्वि.	(-)60.61	1,067.39	1,067.39
			0.00
(12) 2235-60-191-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-			
मूल	378.00		
पुनर्वि.	(-)67.63	310.37	310.37
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 280.55 लाख, ₹ 450.04 लाख, ₹ 197.60 लाख, ₹ 60.61 लाख एवं ₹ 67.63 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(13) 2235-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7589-नगरी निकाय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमेट्रिक पद्धति से भुगतान हेतु अनुदान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2235-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7921-मुख्यमंत्री पेंशन योजना-			
पूरक	1,780.00		
पुनर्वि.	(-)1,677.31	102.69	102.69
			0.00
(15) 2235-60-192-4858-इंदिरा सहारा योजना-			
मूल	630.00		
पुनर्वि.	(-)80.45	549.55	549.55
			0.00
(16) 2235-60-192-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	1,575.00		
पुनर्वि.	(-)167.79	1,407.21	1,410.71
			+3.50
(17) 2235-60-193-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)133.40	166.60	166.63
			+0.03
(18) 2235-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7921-मुख्यमंत्री पेंशन योजना-			
पूरक	890.00		
पुनर्वि.	(-)827.16	62.85	62.85
			0.00

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2235-60-193-4858—इंदिरा सहारा योजना—			
मूल	588.00		
पुनर्वि.	(-)95.06	492.94	492.94
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,677.31 लाख, ₹ 80.45 लाख, ₹ 167.79 लाख, ₹ 133.40 लाख, ₹ 827.16 लाख एवं ₹ 95.06 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(20) 2235-60-193-9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—			
मूल	1,812.00		
पुनर्वि.	(-)288.06	1,523.94	1,513.84
			(-)10.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 288.06 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2235-60-193-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—			
मूल	240.00		
पुनर्वि.	(-)133.20	106.80	106.80
			0.00
(22) 2235-60-193-1001— अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—			
मूल	576.00		
पुनर्वि.	(-)92.85	483.15	483.15
			0.00
(23) 2235-60-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7921—मुख्यमंत्री पेंशन योजना—			
मूल	888.00		
पुनर्वि.	(-)771.27	116.73	116.73
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (23) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 133.20 लाख, ₹ 92.85 लाख एवं ₹ 771.27 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(24) 3604-191-5061—एफ.एल.लाइसेन्स फीस की राशि से नगर निकायो को अनुदान—			
मूल	3,360.00		
पुनर्वि.	(-)2,095.77	1,264.23	1,264.23
			0.00
(25) 3604-191-8018—प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान—			
मूल	61,752.00		
पूरक	22,887.20		
पुनर्वि.	(-)36,551.20	48,088.00	48,088.00
			0.00
(26) 3604-192-5061—एफ.एल. लाइसेन्स फीस की राशि से नगर निकायो को अनुदान—			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)238.66	11.34	11.34
			0.00

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(27) 3604—192—8018—प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान—			
मूल	20,085.00		
पूरक	7,879.20		
पुनर्वि.	(-)12,051.00	15,913.20	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (24) से (27) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,095.77 लाख, ₹ 36,551.20 लाख, ₹ 238.66 लाख एवं ₹ 12,051.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(28) 3604—193—5061—एफ.एल.लाइसेन्स फीस की राशि से नगर निकायो को अनुदान—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(29) 3604—193—8018—प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायो को अनुदान—			
मूल	18,163.00		
पूरक	6,753.60		
पुनर्वि.	(-)9,765.40	15,151.20	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,765.40 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

प्रभारित—

(iv) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3604—191—4035—विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियां—			
मूल	4,924.50		
पुनर्वि.	(-)1,223.66	3,700.84	0.00
(2) 3604—192—4035—विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियां—			
मूल	950.00		
पुनर्वि.	(-)325.06	624.94	0.00
(3) 3604—193—4035—विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियां—			
मूल	1,260.00		
पुनर्वि.	(-)684.27	575.73	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा विनियोग से क्रमशः ₹ 1,223.66 लाख, ₹ 325.06 लाख एवं ₹ 684.27 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

अनुदान संख्या 81-जारी

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 661.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि में सीमित किया जा सकता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7845-नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना-			
मूल	4,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,100.00	2,400.00	0.00
(2) 4217-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास-			
मूल	19,140.00		
पूरक	661.00		
पुनर्वि.	(-)19,801.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,100.00 लाख एवं ₹ 19,801.00 लाख की कमी वित्त विभाग से नवीन योजनाओं के लिए निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 4217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास-			
मूल	6,960.00		
पुनर्वि.	(-)6,960.00	0.00	0.00
(4) 4217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास-			
मूल	8,700.00		
पुनर्वि.	(-)8,700.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 6,900.00 लाख एवं ₹ 8,700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से नवीन योजनाओं के लिए निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(5) 6217-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	4,600.00		
पुनर्वि.	(-)4,600.00	0.00	0.00
(6) 6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
(7) 6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 81—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 4,600.00 लाख, ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012-13 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (6) एवं 2011-12 से 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती
राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलपूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली—पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ			
2853—अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	1,91,36,511	83,40,882	(-)1,07,95,629
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1,07,76,141
पूंजीगत	19,75,000	19,00,322	(-)74,678
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			74,678
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 1,07,956.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,07,761.41 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-196-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4691—कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ— मूल 598.00 पुनर्वि. (-)383.00	215.00	215.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 383.00 लाख की कमी ऑनलाइन पंजीकृत विधार्थियों की संख्या के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2202-01-796-196-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)7,739.71	260.29	262.86	+2.57
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,739.71 लाख की कमी निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-796-197-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 13,733.00 पुनर्वि. (-)3,248.59	10,484.41	10,484.49	+0.08
(4) 2202-01-796-197-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 8,579.40 पुनर्वि. (-)2,086.75	6,492.65	6,492.89	+0.24
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,248.49 लाख एवं ₹ 2,086.75 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009-10 एवं 2017-18 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-01-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2949—बालिकाओं का गणवेश— मूल 3,100.00 पुनर्वि. (-)3,100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 3,100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान हथकरघा से भुगतान बिल विलम्ब से प्राप्त होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-01-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 87,600.00 पुनर्वि. (-)84,563.90	3,036.10	33,378.95	+30,342.85
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 84,563.90 लाख की कमी पंचायत शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक में संविलियन होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(7) 2202-02-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	48,590.00	18,246.75	(-)30,343.25
अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2011-12 से 2017-18 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2235-60-796-198-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना— मूल 460.00 पुनर्वि. (-)169.80	290.20	290.20	0.00

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- मूल 5,172.00 पुनर्वि. (-)328.08	4,843.92	4,844.24	+0.32
(10) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7336-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन- मूल 1,854.00 पुनर्वि. (-)120.04	1,733.96	1,733.96	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 169.80 लाख, ₹ 328.08 लाख एवं ₹ 120.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(11) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8891-फुलवारी योजना- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)989.50	10.50	10.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 989.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(12) 2405-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7814-नीलकांति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम- मूल 230.00 पुनर्वि. (-)88.03	141.97	141.97	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.03 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।			
(13) 2515-796-196-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उप योजना) 7788-जिला पंचायत विकास निधि- मूल 2,200.00 पुनर्वि. (-)300.00	1,900.00	1,900.00	0.00
(14) 2515-796-197-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उप योजना) 7848-जनपद पंचायत विकास निधि- मूल 3,650.00 पुनर्वि. (-)203.62	3,446.38	3,446.38	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 203.62 लाख की कमी वित्त विभाग से आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2515-796-198-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उप योजना) 7687-मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना- मूल 120.40 पुनर्वि. (-)120.40	0.00	0.00	0.00
₹ 120.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 82—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2515-796-198-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान—			
मूल	1,140.00		
पुनर्वि.	(-)993.10	146.90	146.90
(17) 2515-796-198-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7790—श्रद्धांजलि योजना—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)105.02	44.98	44.98

उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 993.10 लाख एवं ₹ 105.02 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(18) 2853-02-796-800-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण—			
मूल	4,022.50		
पुनर्वि.	(-)3,041.84	980.66	784.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,041.84 लाख की कमी राज्य सरकार से पंचायतों को निधियों के स्थानांतरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)। 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
4515-796-198-1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उप योजना) 8991—गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण—			
पूरक	1,750.00		
पुनर्वि.	(-)1,750.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,290.00 लाख की कमी कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 460.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 1,750.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2019)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

4515-796-198-1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उप योजना) 8896—मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना—			
मूल	18,000.00		
पुनर्वि.	1,003.22	19,003.22	19,003.22

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,290.00 लाख की वृद्धि एकीकृत सुविधा केन्द्र का निर्माण किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 286.78 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,003.22 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	(सभी दत्तमत) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व	4,49,460	4,16,425	(-)33,035
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			33,035
पूंजीगत	3,30,000	3,30,000	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-796-191-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5397-राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना- मूल 60.00 पुनर्वि. (-)45.60	14.40	14.40	0.00
(2) 2235-60-796-191-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन- मूल 129.60 पुनर्वि. (-)33.17	96.43	96.43	0.00
(3) 2235-60-796-192-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5397-राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना- मूल 60.00 पुनर्वि. (-)35.00	25.00	25.00	0.00
(4) 2235-60-796-192-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)37.02	82.98	82.98	0.00

अनुदान संख्या 83—समाप्त

(5) 2235—60—796—193—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—

मूल 250.00

पुनर्वि. (-)80.11

169.89

169.89

0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 45.60 लाख, ₹ 33.17 लाख, ₹ 35.00 लाख, ₹ 37.02 लाख एवं ₹ 80.11 लाख के बचत के कारण सुचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2019)। 2017—18 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) एवं 2015—16 से 2017—18 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 16 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
(₹ हजार में)			
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन			
राजस्व-			
दत्तमत	10,30,000	00	(-)10,30,000
पूंजीगत-			
दत्तमत	33,50,000	8,66,455	(-)24,83,545
10. वन-			
राजस्व-			
दत्तमत	2,74,000	1,40,550	(-)1,33,450
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय-			
राजस्व-			
दत्तमत	1,22,500	49,000	(-)73,500
पूंजीगत-			
दत्तमत	9,76,560,	9,76,350	(-)210
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-			
राजस्व-			
दत्तमत	2,00,000	20,913	(-)1,79,087
23. जल संसाधन विभाग-			
राजस्व-			
दत्तमत	23,68,520	832	(-)23,67,688
पूंजीगत-			
दत्तमत	200	117	(-)83
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
पूंजीगत-			
दत्तमत	20,00,000	25,16,200	+5,16,200
25. खनिज संसाधन विभाग			
से संबंधित व्यय-			
पूंजीगत-			
दत्तमत	41,43,795	8,60,519	(-)32,83,276
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन-			
पूंजीगत-			
दत्तमत	00	1,50,000	+1,50,000

परिशिष्ट-I-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
	(₹ हजार में)		
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय- पूँजीगत-			
दत्तमत	00	392	+392
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- राजस्व-			
दत्तमत	93,140	37,725	(-)55,415
पूँजीगत-			
दत्तमत	7,42,876	7,42,426	(-)450
56. ग्रामोद्योग- पूँजीगत-			
दत्तमत	1,500	1,216	(-)284
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय- राजस्व-			
दत्तमत	27,80,000	13,35,328	(-)14,44,672
पूँजीगत-			
दत्तमत	2,000	00	(-)2,000
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- राजस्व-			
दत्तमत	29,360	11,744	(-)17,616
पूँजीगत-			
दत्तमत	2,34,524	2,34,324,	(-)200
67. लोक निर्माण कार्य-भवन- राजस्व-			
दत्तमत	24,14,675	10,93,857	(-)13,20,818
पूँजीगत-			
दत्तमत	7,93,402	36,674	(-)7,56,728

परिशिष्ट-I-समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
80 त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता- राजस्व-			
दत्तमत	00	12,47,209	+12,47,209
.. भरित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व-			
प्रभारित	00	494	+494
योग-			
राजस्व-			
दत्तमत	93,12,195	40,87,158	(-)52,25,037
प्रभारित	00	494	+494
पूंजीगत-			
दत्तमत	1,22,44,857	62,34,673	(-)60,10,184
महायोग-			
राजस्व	93,12,195	40,87,652	(-)52,24,543
पूंजीगत	1,22,44,857	62,34,673	(-)60,10,184

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 16 पर संदर्भित)

2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्षान्त तक निधि को प्रतिपूरित नहीं किया गया।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	मुख्य शीर्ष	अग्रिम से व्यय (₹ हजार में)	अग्रिम का स्वीकृति दिनांक	आगामी वर्ष 2019-20 में अग्रिम का प्रतिपूरति दिनांक
10. वन	2406	49,233	मार्च 2019	फरवरी 2020
	कुल	49,233		

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2020
www.cag.gov.in



agchattisgarh@cag.gov.in